लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 59 मंगलवार, 13 मई, 1969/23 वैशाख, 1891 (शक)
No.— 59 Tuesday, May 13, 1969/Vaisakha 23, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1651.	मध्यावधि चुनाव — Midterm Elections	1—4
1652.	यात्री गाड़ियों पर आक्रमण — Attacks on Passenger Trains	4—8
1653.	आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर वस्तुयें बनाने वालों को प्रोत्साहन — Incentives for Import Substitution	8—16

अल्पसूचना प्रश्न संख्या — SHORT NOTICE QUESTION NO.

25.	दिल्ली में विश्व विद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन — University Vice Chancellors' Conference in Delhi	16—29

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1654.	औद्योगिक नीति को उदार बनाना — Industrial Liberalisation Policy	29—30
1655.	विदेशी सहयोग संबंधी नीति — Foreign Collaboration policy	30—31
1656.	इस्पात 'डिस्कों' का निर्माण — Manufacture of Steel Discs	31
1657.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता — Need for Improvements in the working of Hindustan Steel Ltd.	31—32

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1658. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को दिये गये सुरक्षों की कार्यान्विति	Implementation of Safeguards given to Scheduled castes/Scheduled Tribes	32
1659. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन	Chief Electoral Officers Conference	32
1660. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में ईरानी तकनीशियनों को प्रशिक्षण	Training of Iranian Technicians in Hindustan Steel Ltd. Plants	33
1661. रेलवे दुर्घटनायें	Railway accidents	33
1662. कागज उद्योग को रियायतें	Concessions to paper industry	33—34
1663. भिवानी से रोहतक तक बड़ी रेल लाइन	Broad Gauge Railway line from Bhiwani to Rohtak	34
1664. पश्चिम बंगाल में एक रेल डिब्बे से चुराये गये कालीन	Carpets stolen from a Railway Compartment in West Bengal	34 -35
1665. बिलेटों का निर्यात	Export of Billets	35—36
1666. स्कूटर बनाने का नया कारखाना स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र	Applications for Establishment of New Scooter Factory	36
1667. लद्दाखी खाना बदोश	Ladakh Nomads	36—37
1668. स्कूटरों का वितरण	Distribution of Scooters	37
1669. छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Small Tractors	37—38
1670. पटना में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Patna	38
1671. सिगरेट उद्योग में विदेशी पूंजी विनियोजन	Foreign investment shares in Cigarette Industry	38—39
1672. 1967 में चुने गये विधान सभा के सदस्यों और संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई चुनाव याचिकायें	Election petitions filed against M. L. A. and M. Ps. elected in 1967	39
1673. वरिष्ठ सदन को समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किया गया संकल्प	Resolution passed by West Bengal Legislative Assembly for abolishing the Upper House	39

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1674. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त	Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	40
1675. गाड़िया लोहार जाति का पुनर्वास	Rehabilitation of Garhia Lohar Tribe	40—41
1676. बोकारो में औद्योगिक गैस बनाने के लिए लाइसेंस	Licences for manufacture of Industrial Gases at Bokaro	41
1677. मैसर्स परमानेंट मेगनेटस लि० में वित्त मंत्री के विशेष सहायक श्री टोंपे के शेयर	Shares held by Shri Tonpe, Special Assistant to Finance Minister, in Messrs. Permanent Magnets Ltd.	41—42
1678. केरल विधान सभा द्वारा पास किया गया भूमि सुधार विधान	Land Reforms Legislation passed by Kerala Legislative Assembly	42
1679. अन्तर्जातीय विवाह	Inter-caste Marriages	42
1680. एच० एम० टी० की घड़ियों के और कारखानों की स्थापना	Establishment of more HMT watch Factories	42—43

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

9363. रेलवे के तार बाबूओं के पद नाम में परिवर्तन	Change of Designation of Telegraph Signallers on Railways	43
9364. भारतीय रेलों की तार शाखाओं में सिग्नेलरों के पद	Posts of Signallers in Telegraph Branches on Indian Railways	43
9365. राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन संबंधी कार्यकारी दल	Working Groups on Industrial Backwardness of States	43—44
9366. अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के एक सदस्य का विमति टिप्पण	Dissenting Note of a Member of Committee on Untouchability	44
9367. पिछड़े क्षेत्रों के बारे में वांचू और पाण्डेय समितियों के प्रतिवेदन	Wanchoo and Pande Committee Reports on Backward Areas	44
9368. मोटरगाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की अतिरिक्त क्षमता	Additional Capacity of Automobile Tyres and Tubes	44—45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9369.	महाराष्ट्र में विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Students in Maharashtra	45
9370.	यवतमाल-अचलपुर लाइन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	Electrification of Railway stations on Yeotmal Achalpur Line	45—46
9371	बिहार में पुनर्बेलन (रिरोलिंग) मिलें	Re-Rolling Mills in Bihar	46
9372.	जयपुर रेलवे माल गोदाम में झगड़ा	Clash in Goods shed of Jaipur Railway Station	46—47
9373.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में छटनी	Retrenchment in Bharat Heavy Electricals Ltd. Hardwar	47—48
9374.	क्षेत्रीय रेलों से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भेजे गये क्लर्क	Clerks drafted to Railway Board's Office from Zonal Railways	48—49
9375.	मैसूर हुबली पैसेंजर रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Mysore Hubli Passenger Train	49
9376.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त	Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	49—50
9377.	सरकार द्वारा किये गये वकील	Lawyers engaged by Government	50
9378.	सहायक स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर	Assistant Station Masters and Station Masters	50
9379.	एक ही जोन में तबादला किये गये रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता	Seniority of Railway Employees transferred in the same zone	51
9380.	औद्योगिक बस्ती ओखला (दिल्ली)	Industrial Estate, Okhla (Delhi)	51
9381.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर	Hindustan Salts Ltd., Jaipur	51—53
9382.	पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने की कसौटी	Criteria for giving scholarships to Backward Classes	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9383.	मैसर्स श्रीराम राम निरंजन बम्बई द्वारा स्लीपरों की सप्लाई में धोखाधड़ी	Fraudulent supply of sleepers by M/s. Shriram Ram Niranjan, Bombay	53—54
9384.	स्लीपरों को सप्लाई में धोखाधड़ी	Fraudulent supply of sleepers	54
9385.	रेलवे मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी	Gazetted officers in Railway Ministry	55
9386.	रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway Property	55
9387.	बिजली के भारी सामान की मांग	Demand for Heavy Electrical Goods	55—56
9388.	लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Lok Sabha and State Assemblies	57
9389.	रेल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Railway Coaches	57
9390.	सवारी गाड़ियों और माल-गाड़ियों के डिब्बों का निर्माण	Manufacture of Railway Coaches and Wagons	57—58
9391.	राज्यों में मद्यनिषेध	Prohibition in States	58—59
9392.	भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में जांच समिति	Committee to enquire into the status of Indian Women	59
9393.	नागालैंड में चुनावों के दौरान पृथक मत पेटियों की व्यवस्था	Separate ballot boxes provided during elections in Nagaland	59
9394.	बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपकरण प्राप्त होने में देरी	Delay in receipt of Equipment for Bokaro Steel Plant	59—60
9395.	महाराष्ट्र के चनाखा भीम कुन्ड क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना	Cement Plant in Chanakha Bhim Kund area of Maharashtra	60
9396.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिये गये अनुदान तथा ऋण	Grants and loans given to Khadi and village industries commission	60—61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9397. सीमेंट की कीमत	Price of cement	61—62
9398. उत्तर प्रदेश में शराब के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of liquor licences in U. P.	62
9399. त्रिपुरा के मनीपुरी निवासियों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करना	Enlistment of Manipur Resident of Tripura as Scheduled Tribes	62—63
9400. पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई धनराशि	Money spent by political parties during Mid term Elections in We st Bengal	63
9401. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	Pre-examination training centre for scheduled castes and scheduled tribes in Madya Pradesh	63
9402. मध्य प्रदेश में सीमेंट की खपत	Consumption of cement in Madhya Pradesh	63—64
9403. सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Public Sector	64
9404. मध्य प्रदेश के अधिसूचित क्षत्रों के बाहर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का दिया जाना	Scholarships to the students outside the notified areas of Madhya Pradesh	65
9405. भारतीय रेलों में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थायी तथा अस्थायी पद	Permanent and Temporary posts of Station Master and Assistant Station Masters on Indian Railways	65
9406. विदेशी सिगरेट कम्पनियों का विस्तार	Expansion of Foreign Cigarette companies	65—66
9407. रेलवे अस्पताल, कोटा के सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु दौरे	Inspection visits by Assistant Medical Officer, Railway Hospital Kota	66—67
9408. पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन के रेल कर्मचारी	Railway Employees in Kota Division Western Railway	67
9409. रेलवे स्कूलों में क्लर्क	Clerks in Railway Schools	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9410. औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs	63
9411. समाज कल्याण विभाग में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियां	Promotion given to scheduled caste and scheduled tribe employees working in social welfare department	68
9412. रेलवे मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की आरक्षित पदों पर पदोन्नति	Promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees against Reserved posts in the Ministry of Railway	68
9413. किसी विशेष भाषायी वर्ग के कर्मचारियों का अन्य क्षेत्र को तबादला	Transfer of Railway Employees of a particular language group to another Region	69
9414. मध्यावधि चुनावों में बिहार में भारतीय क्रांति दल का उम्मीदवार	B. K. D. Candidate from Bihar in Mid-term Elections	69
9315. भारतीय मानक संस्था	Indian Standards Institution	70
9416. पश्चिम बंगाल विधान परिषद को समाप्त करना	Abolition of West Bengal Legislative Council	70
9417. अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के सदस्य श्री अच्युतन द्वारा विमति टिप्पण	Dissenting Note by Shri Achutan, Member of Committee on untouchability	70—71
9418. बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता	Basumati (P) Ltd., Calcutta	71
9419. कलकत्ता स्थित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्य	Members of Income Tax Appellate Tribunals in Calcutta	72
9420. बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता	Basumati (P) Ltd., Calcutta	72—73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9421. अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के एक सदस्य द्वारा दिये गये विमति टिप्पण का प्रकाशन	Publishing of Dissenting Note by a member of committee on Untouchability	73—74
9422. विमति टिप्पण में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति की टिप्पणियां	Comments of Committe on Untouchability on Dissenting Note	74
9423. दुग्ध चूर्ण कारखाने	Milk Powder Factories	74—75
9424. दक्षिण रेलवे पर तीर्थ-यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of facilities to pilgrims on the Southern Railway	75
9425. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के यात्रा भत्ता नियम	Travelling Allowance Rules followed by Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	75
9426. अफ्रीकी देशों को रेल के माल डिब्बों तथा अन्य उपकरणों का निर्यात	Export of Rail Wagons and other equipment to African countries	76—77
9427. किसानों की रेजिमेंटों का गठन	Formation of Regiments of peasants	77
9428. 11-अप हावड़ा/दिल्ली एक्स-प्रैस रेलगाड़ी की दुर्घटना टलना	Avertion of Accident to 11-UP Howrah-Delhi Express	77—78
9429. उत्तर प्रदेश में रेलवे पुल	Railway Bridges in U. P.	78
9430. गुंटकल डिवीजन की 2594 डाऊन रेल गाड़ी के प्रभारी गार्ड पर हमला	Attack on Guard incharge of 2594 Dn Guntakal Division	78—79
9431. प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर मद्य निषेध कार्यकर्ताओं का प्रस्तावित धरना	Proposed Dharna by prohibition workers outside P. M's House	79
9432. लघु उद्योगों के लिए निर्यात सम्बन्धी विचार गोष्ठी	Seminar on Export Promotion for Small Scale Industries	79—80
9433. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निकाली गई थेकरसन स्टेनलैस स्टील पद्धति	Thackerson Stainless Steel process developed by CSIR	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9434. संसद सदस्यों द्वारा सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी	Cases advocated on M.Ps on behalf of Government	80—81
9435. आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम	Import substitution programme	81
9436. गोमोह (पूर्व रेलवे) के गार्डों की शिकायतें	Grievances of Guards of Gomoh (Eastern Railway)	81—82
9437. डाकुओं से आतंकित क्षेत्रों में स्त्रियों तथा बच्चों की सहायता	Help to Women and Children of dacoits infested areas	82
9438. दिल्ली में विद्युत चालित रेलगाड़ी चलाना	Running of Electric Train in Delhi	82
9439. बंगाल बंद के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss of Railways due to Bengal Bandh	82—83
9440. अस्पृश्यता कानून	Untouchability law	83
9441. राज्यों में मद्य निषेध लागू करना	Introduction of prohibition in states	83—84
9442. मैसर्स फायरस्टोन टायर कम्पनी तथा मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बीच विवाद	Dispute between Mrs. Firestone Tyre Co. and M/s Synthetics and Chemicals Ltd.	84—85
9443. रेलवे द्वारा अधिग्रहित सम्पत्तियों के स्वामियों को मुआवजा	Compensation to persons whose properties were requisitiond by Railways	85
9444. दिल्ली में आदिम जातियों के औद्योगिक एककों को सहायता देने की योजना को क्रियान्वित न किया जाना	Non-implementation of scheme to help industrial units of tribes in Delhi	85—86
9445. अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद द्वारा पूर्ण नशाबन्दी का अनुरोध	Urge by All India Prohibition Council for total prohibition	86
9446. युगोस्लाविया और भारत के बीच उद्योगीकरण के लिए आर्थिक सहयोग	Economic collaboration between Yugoslavia and India for Industrial set up	86

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9447. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in U. P.	86—87
9448. रेलवे में लिपिकों का स्थायीकरण	Confirmation of clerical staff on Railways	87
9449. रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष तथा प्रतीक्षा हाल	Waiting Rooms and waiting halls at Railway Stations	87—88
9450. खादी के माल का निर्यात	Export of Khadi Goods	88—89
9451. बिड़ला उद्योग समूह के बारे में जांच	Enquiry into Birla Affairs	89
9452. जापान के औद्योगिक उत्पादन मिशन के नेता द्वारा व्यक्त विचार	Views expressed by the Leader of Industrial Productivity Mission from Japan	89—90
9453. रेलगाड़ियों में जन्म तथा मृत्यु	Births and Deaths in Trains	90—91
9454. योजना आयोग द्वारा राज्यों को पिछड़े राज्य घोषित किया जाना	Declaration of states as Backward by Planning Commission	91
9455. ऊना तहसील (हिमाचल प्रदेश) में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति	Recipients of old age pension in Una Tehsil (Himachal Pradesh)	91
9456. मध्य प्रदेश में चौथी योजना में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Madhya Pradesh during Fourth Plan	92
9457. कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर के बाहर खाली पड़ा भवन	Vacant building outside Kasturba Niketan Lajpat Nagar	92
9458. मध्य रेलवे के परेल तथा दादर के बीच रेलगाड़ियों की टक्कर	Collision between Parel and Dadar on Central Railway	93
9459. आयकर के लिए पान की बिक्री को निर्मित वस्तु की बिक्री की संज्ञा देना	Sale of Pan termed as manufactured item for purposes of income tax	93
9460. भारतीय रेलों में भर्ती और ये पदों को बनाये जाने पर रोक	Ban on Recruitment and creation of new posts on Indian Railways	93—94

अता० प्र० संख्या. U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9461. रेलों में क्लर्कों द्वारा कार्य निष्पादन का मापदण्ड	Yard stick for turnover of work by clerks on Railways	94
9462. विकलांग व्यक्तियों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Handicapped	94—95
9463. चौथी योजना में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Fourth Plan	95
9464. नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण तथा पुनर्वास केन्द्र (पंजियत), माडल टाउन, दिल्ली	Training and Rehabilitation Centre for the Blind (Regd.) Model Town Delhi	95—96
9465. उत्तर रेलवे के वरिष्ठ वेतन मान वाले अधिकारियों से सम्बद्ध आशुलिपिक	Stenographers attached with Senior scale Officers on Nerthern Railway	96
9466. रेलवे आशुलिपिकों का अभ्यावेदन	Representation of Railway Stenographers	96—97
9467. रेलवे के आशुलिपिक	Stenographers on Railways	97
9468. कम्पनी कानून बोर्ड को बदलना	Replacement of Company Law Board	98
9469. उत्तर रेलवे के डिवीजनल और अतिरिक्त डिवीजनल कार्यालयों में हिन्दी अनुवादक	Hindi Translators in Divisional and Extra Divisional offices of Northern Railway	98
9470. स्टेशन कार्यकरण नियमों का अनुवाद	Translation of Station Working Rules	98—99
9471. 'रेलवे सप्ताह पुरस्कार' 1969	Railway Week Awards 1969	99
9472. हिन्दी के बारे में रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन	Implementation of directives of Railway Board on Hindi	99
9473. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों का नामांकन	Nomination of Members for Central Social Welfare Board	100
9474. नई दिल्ली में पटेल रोड पर उपरि पुल	Overbridge at Patel Road, New Delhi	100
9475. पश्चिम रेलवे में अजमेर पार्सल कार्यालय में पार्सल क्लर्कों के काम का मापदण्ड	Working Yard stick for Parcel Clerks at Ajmer Parcel Office, Western Railway	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9476. मलकागंज दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डा हटाना	Removal of the Truck Adda from the Grave Yard near Malkaganj Delhi	101—102
9477. मनीपुर में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Manipur	102
9478. अजमेर डिवीजन में वाणिज्यिक लिपिकों को उच्चतर ग्रेड वाले पद	Higher Grade posts of Commercial Clerks in Ajmer Division.	102—103
9479. गत्ते के डिब्बों में सिगरेटों का बुक किया जाना	Booking of cigarettee consignments in Card Board Boxes	103—104
9480. अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Reports on Committee on Untouchability	105
9481. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की समस्यायें	Problem of Scheduled Castes/Tribes	135—107
9482. उत्तर रेलवे का राजपत्र	Gazette of Northern Railways	107
9483. तीसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध	Ban on Recruitment of class III Posts	107—108
9484. पटना जिले के पुराने दीघा घाट में रेलवे की भूमि	Railway land in old Deegha Ghat of Patna District	108
9485. छोटे स्वदेशी ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of small indigenous tractor	108
9486. अस्पृश्यता अधिनियम में संशोधन	Amendment of Untouchability Act	109
9487. एक ट्रस्ट द्वारा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का लिया जाना	Holding by a trust of the shares of Indian Iron and Steel Company Limited	109
9488. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के निदेशक	Government directions on the Board of Indian Iron and Steel Company Limited	110—111
9489. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अंशों का डलहौजी होल्डिंग के नाम हस्तांतरण	Transfer of shares of Indian Iron and Steel Company to Dalhousie Holdings	111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9490. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अंशों का डलहौजी होल्डिंग के नाम हस्तांतरण	Transfer of shares of Indian Iron and Steel Company Limited to Dalhousie Holdings	111—112
9491. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अंशों का डलहौजी होल्डिंग को हस्तांतरण	Transfer of shares of Indian Iron and steel company to Dalhousie Holdings	112—113
9492. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा खरीदे स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल के अंशों का हस्तांतरण	Transfer of shares of Steel Corporation of Bengal held by Indian Iron and Steel Company Limited	113—114
9493. डलहौजी होल्डिंग को अंशों का हस्तांतरण	Transfer of shares to Dalhousie Holdings	114
9494. मनीपुर सरकार द्वारा लकड़ी के फ्रेमों की खरीद	Purchase of wooden Frames by Manipur Government	114—115
9495. धामपुर सब डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में रहने वाले रेल कर्मचारियों को विशेष भत्ता	Special pay to Railway Employees living in unhealthy area in Champua Subdivision (South Eastern Railway)	115
9496. नोआमण्डी तथा बांसपानी (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच लैवल क्रासिंग	Level crossings between Naomundi and Banspani (SE Railway)	115—116
9497. बड़ा जामदा से बारबाल और बोलानी खादान तक यात्री गाड़ी (दक्षिण पूर्व रेलवे)	Passenger train from Barajamda to Barbil and Bolanikhadan (SB Railway)	116
9498. अजमेरी गेट रेलवे साइडिंग (दिल्ली) में फल मार्किट	Fruit Market at Ajmeri Gate Railway Siding (Delhi)	116
9499. हथकरघा खादी तथा कुटीर उद्योगों में कार्य करने वाले लोग	Persons engaged in Handloom Khadi and Cottage Industries	116—117
9500. मैसूर में उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सर्वेक्षण	Economic Survey for setting up Industries in Mysore	117
9501. मुगलसराय तथा गोमोह के बीच मालगाड़ी की लाइन	Goods link between Mughalsarai and Gomoh	117—118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9502. जबलपुर डिवीजन में गार्डों को संगचल कर्मचारियों के कमरे की सुविधायें	Running room facilities to Guards in Jabalpur Division	118
9503. नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल	Training school for the Blind	119
9504. हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	119
9505. खंडवा दोहद रेल लाइन	Khandwa Dohad Railway Line	119—120
9506. कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों का नियतन	Allotment of Wagons for Transport of coal	120
9507. कोयले के वैगनों का नियतन	Allotment of coal wagons	120—121
9508. उत्तर प्रदेश की दून घाटी में सीमेंट का कारखाना	Cement factory in Doon Valley Uttar Pradesh	121
9509. टैनिस बाल के निर्माण वितरण में भ्रष्टाचार	Abuses in manufacture and distribution of Tennis balls	121—123
9510. डीमापुर मनीपुर रोड रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	Dimapur Manipur road Railway Station (North East Frontier Rly)	123
9511. मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास योजना	Housing Scheme for Manipur Scheduled Castes and Scheduled Tribes	123
9512. सेंच्युरी फाइनेंस एण्ड इंजीनियरी कम्पनी तथा सिक्योरिटी एंड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and Share Holders of Century Finance and Engineering Co. and Security and Finance (P) Ltd. New Delhi	124
9513. महरौली रोड पर लाडो सराय, दिल्ली में शराब की दुकान	Liquor shop on Mehrauli Road, Lado Sarai Village, Delhi	124
9514. फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and Shareholders of Film Companies	124—125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9515. ग्लोब मोटर्स लिमिटेड और सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली में जमा धनराशि	Deposits in Globe Motors Ltd. and Security and Finance (P) Ltd., New Delhi	125
9516. इलाहाबाद डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर अल्पाहार गृहों तथा चाय की दुकानों का आवंटन	Allotment of Refreshment and Tea Stalls on Railways Stations in Allahabad Division	125—126
9517. हिन्दुस्तान पिलिंकग्टन ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता	Hindustan Pilkington Glass Works Limited Calcutta	126
9518. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	126—127
9519. दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary action against staff on South Eastern Railway	127
9520. सिलाई मशीनों के निर्माण के लिए एक विदेशी फर्म को लाइसेंस	Licence to a foreign concern for manufacturing sewing machines	127—128
9521. रेलवे के तृतीय श्रेणी के क्लर्क कर्मचारियों की पदोन्नति कोटे की प्रतिशतता में वृद्धि	Increase in percentage of promotional quotas of class III Clerical staff on the Railways	128
9522. समस्तीपुर स्थित मैकेनिकल वर्कशाप में पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of posts in Mechanical workshop at Samastipur	128—129
9523. मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में कमर्शियल क्लर्कों के पदों का समाप्त किया जाना	Abolition of posts of commercial clerks in Madurai Division 'S. Railway	129
9524. गुजरात में बनसकांठा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये उप-निर्वाचन	Lok Sabha Bye-election in Banas Kantha Constituency of Gujarat	129—130
9525. ताज एक्सप्रैस रेलगाड़ी को ग्वालियर तक बढ़ाना	Extension of Taj Express to Gwalior	130
9526. बांदा जंकशन पर उपरि पुल	Over bridge at Banda Junction	131

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9527. हुबली गुंटाकल यात्री गाड़ी के लिये डिब्बे	Bogies of Hubli Guntakal Passanger train	131—132
9528. गुंटाकल हुबली-पूना और गाडग-शोलापुर सैक्शनों के बीच चलने वाले रेल डिब्बे	Bogies Running between Guntakal-Hubli-Poona and Gadag-Sholapur Sections	132
9529. पूर्वोत्तर रेलवे में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Narrow Gauge Lines into Broad Gauge on North Eastern Railway	132
9530. उत्तर प्रदेश के मध्यावधि चुनावों में प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन)	Impersonation during Mid-Term Elections in U. P.	133
9531. जयश्री टैक्सटाइल्स लिमिटेड, कलकत्ता, भारत प्राड्यूस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा हिन्द गैस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता को लाइसेंस	Licence to Jayashree Textiles Ltd. Calcutta, Bharat Produce Co. Ltd. Calcutta and Hind Gas Industries Limited, Calcutta	133
9532. ब्लेडों का निर्यात	Manufacture of Blades	133—134
9533. चौथी योजनावधि में सिगरेटों का उत्पादन	Cigarette production in Fourth Plan period	134
9534. घोघरडीहा और निरमली स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt Station between Ghoghardiha and Nirmali stations (North Eastern Railway)	134—135
9535. बिड़ला उद्योग समूह को नये लाइसेंस देना	New licences to Birla Industrial Group	135
9536. मध्य प्रदेश में आदिवासियों/हरिजनों को मकान की सुविधायें	Housing facilities to Adivasis/Harijans in Madhya Pradesh	135
9537. मिश्रित इस्पात कारखाने की बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी का एकक बनाने का प्रस्ताव	Conversion of Alloy Steel Plant into a unit of the Birla Jute Manufacturing Company	136
9538. दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक ओवन भट्टी की बैटरियों की मरम्मत	Repair of Coke Oven Batteries of Durgapur steel Plant	136—137

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9539.	राजस्थान में रेल की पटरियों पर रेत के ढेर	Sand deposits on Railway Tracks in Rajasthan	137—138
9540.	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में अनुसंधान के आरक्षित पद पर भर्ती	Recruitment to a reserved of investigator in the Ministry of I. D. I. T. and C. A.	138
9541.	फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and shareholders of film Companies	138—139
9542.	कल्याण संस्थाओं के निवासियों का भोजन व्यय	Dietory expenses of inmates in welfare institutions	139
9543.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमक भट्टी संख्या 2 की मरम्मत	Repair of Blast Furnance No. 2 of Durgapur Steel Plant	139
9544.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल द्वारा माल का निर्यात	Export of Goods by Heavy Electricals Bhopal	140
9545.	दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति	Promotion of Assistant Station Master of Delhi Division	140—141
9546.	आंकड़े तैयार करने वाली मशीनों गणित्रों तथा संगणकों के निर्माण हेतु लाइसेंस	Licences for Manufacture of Data Processing Counting Machines and Computers	141—142
9547.	माल डिब्बों में सीमेंट भेजना	Despatch of Cement Consignment in Wagons	142—143
9548.	माल डिब्बों में सीमेंट भेजना	Despatch of Cement Consignment in Wagons	143
9548-क	कृषि उत्पादों का सट्टा	Speculation in Agricultural produce	144
9548-ख	सरकारी खास भूमि से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का हटाया जाना	Eviction of East Bengal Refugees from Government Khas Land	144
9548-ग	रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया की मांग सूची	Charter of Demands of Republican Party of India	144—145
9548-घ	आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम	Import Substitution Programme	145

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या 4389 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Unstarred Question No. 4389.	145
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	146—149
अग्रिम आयकर की वसूली तथा वितरण के बारे में महान्यायवादी की राय	Attorney General's opinion on advance collection of income-tax and distribution to States	146
श्री मंगलाथु माडोम	Shri Mangalathumadam	146
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	146—149
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	149—150
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	150
तिरुपति मन्दिर की निधियों के तथाकथित दुरुपयोग के बारे में वक्तव्य	Statement Re : alleged misuse of Tirupati Temple Funds	151
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	151
बरेली आगरा यात्री रेलगाड़ी तथा बस के बीच टक्कर के बारे में वक्तव्य	Statement Re : collision between Bareilly-Agra Passenger and Bus	151—152
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	151—152
गन्ने के न्यूनतम मूल्य के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Minimum price of Sugarcane	152
श्री अन्ना साहिब शिन्दे	Shri Annashib Shinde	152
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Mattar Under Rule 377	153—158
बानसकाँठा उपचुनाव के परिणाम की घोषणा का स्थगित किया जाना	With holding of result Banaskantha Bye Election	153
राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक	President (Discharge of Functions) bill	159—162
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce	159
पश्चिम बंगाल विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1969 पुरः स्थापित	West Bengal Legislative Council (Abolition) Bill-introduced	162—164

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
म्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	164—173
चार करने का प्रस्ताव	Motion to consider :	164
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	165—166
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha	166
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	166—167
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarakeshwari Sinha	167—168
श्री जि० मो० विश्वास	Shri J. M. Biswas	168—171
श्री तुलसी दास यादव	Shri Tulshidas Jadhav	171—172
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	172—173
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	173

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 13 मई, 1969/23 वैशाख, 1891 (शक)
Tuesday, May 13, 1969/Vaisakha 23, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mid-term Elections

+

*1651. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Sharda Nand : **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether a number of complaints have been received by Government to the effect that either Government machinery has been used in the mid-term elections or the elections have not been conducted impartially ;

(b) if so, the number of such complaints received, State-wise ; and

(c) the broad details of such complaints and the action taken by Gevernment thereon ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० यूनस सलीम) : (क) से (ग). इस प्रश्न का विचारपूर्ण उत्तर 11 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 395 का उत्तर देते हुए 11 मार्च, 1969 को दिया जा चुका है। इन शिकायतों पर निर्वाचन आयोग ने जो रिपोर्ट मांगी थी उनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The reply to a similar question was postponed one month ago. You had also directed the Minister to inform the House in respect of expenditure incurred by each state separately. The Government have not so far given that information, because they do not want to bring it to light. First of all I want that information and thereafter I will put another question.

Shri Rabi Ray : What is the use of giving such an answer ?

श्री एस० कन्डप्पन : श्री सोंधी की शिकायत के बारे में केवल इतना ही बताया गया है

कि "बिहार पटना के मुख्य चुनाव अधिकारी को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।" प्रधान मन्त्री के अभियान पर खर्च की गई राशि के बारे में प्रश्न पूछा गया था यह जानकारी मुख्य सचिव या गृह सचिव से पूछी जानी चाहिए थीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये सब प्रश्न पूरक प्रश्न समझे जा सकते हैं। प्रश्नकाल तो केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रश्न एक मास पूर्व भी पूछा गया था। उस समय आपने सरकार को जानकारी एकत्र करने के लिए आदेश दिया था। अब एक मास पश्चात पुनः वही प्रश्न पूछा गया और अब भी सरकार कहती है कि उसके पास जानकारी नहीं है; यह जानकारी तो राज्य सरकार से मांगी जानी चाहिए थी। इससे चुनाव आयोग का क्या सम्बन्ध है? सभा को गुमराह किया जा रहा है।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र करने का एक मात्र तरीका यही है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा जाये। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : मध्यावधि चुनाव के दौरान किसी भी राज्य में कांग्रेसी शासन नहीं था। उन सब राज्यों में राष्ट्रपति शासन था।

श्री रवि राय : अप्रत्यक्ष रूप से वह कांग्रेस सरकार ही होती है।

अध्यक्ष महोदय : जो जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है, वह आपको दे दी गई है। आप कहते हैं कि वह सन्तोषप्रद और पर्याप्त नहीं है। मन्त्री महोदय को आप सुनें और देखें कि वह कितनी और जानकारी देते हैं। यदि आवश्यक हो तो दुबारा प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री गोविन्द मेनन : श्री सोंधी के प्रश्न का उल्लेख करके यह कहा गया है कि प्रधान मन्त्री के चुनाव अभियान पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और सरकारी कर्मचारियों ने उस अभियान में सहयोग दिया है। बिहार का दौरा करते समय प्रधान मन्त्री ने भारतीय वायु सेना के विमान का प्रयोग किया था और सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। महालेखा परीक्षक की स्वीकृति से 1950 के के बाद यही व्यवस्था चली आ रही है कि जब भी प्रधान मन्त्री किसी सरकारी या दलगत उद्देश्य से यात्रा करते हैं तो उन्हें भारतीय वायु सेना का विमान उपलब्ध किया जाता है। यदि यात्रा गैर सरकारी है तो यात्रा के लि विमान का किराया दिया जाता है। प्रधान मन्त्री की यात्रा के समय सुरक्षा व्यवस्था का दायित्य राज्य सरकार का होता और इस पर खर्च भी राज्य सरकार करती है।

एक माननीय सदस्य : क्यों?

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस 'क्यों' का उत्तर नहीं दे सकता। इस व्यवस्था को महालेखा परीक्षक की स्वीकृति प्राप्त है और यह 1951 से चली आ रही है। इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री के चुनाव दौरे पर कोई सरकारी धन खर्च नहीं किया गया। यही मैं कहना चाहता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : In spite of the directive given by you, Government do not intend to disclose the information. But it is a fact that jeeps were misused, public funds were misused, Government machinery was misused. So, Will the Minister be pleased to state :

(a) the names of State Governments and the amount they have spent individually on Prime Minister's electioneering campaign with the details of the expenditure on security arrangements and other things ;

(b) whether those State Governments have sent the bills for payment to the Congress Party or Prime Minister ; if not, the reasons therefore ; if yes, the extent to which the payment has been made;

(c) the Government responsible for the payment of rest of the amount ; and

(d) whether any State Government can act as cashier on behalf of any political party ; if not, the reasons why State Governments have spent on Prime Minister's election tour ?

श्री गोविन्द मेनन : प्रधान मन्त्री के लिये की गई सुरक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार खर्च करेगी इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य खर्च किया जाता है तो उसका भुगतान वही व्यक्ति करेगा जिस पर वह खर्च किया जाता है ।

श्री पीलु मोदी : कब और कितना ?

श्री गोविन्द मेनन : सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च राज्य सरकार करती है । इसके अतिरिक्त जो भी खर्च किया जाता है, वह राज्य सरकार को चुकाना होता है । महा लेखा परीक्षक ने 1951 में ऐसा निर्णय दिया था । तब से ही व्यवस्था चली आ रही है ।...(**अन्तर्बाधाएं**)...

अध्यक्ष महोदय : सुरक्षा की बात तो सबको मान्य है । अब सुरक्षा की बात छोड़ दी जाये । समाचार पत्रों में हमने पढ़ा था कि बिहार सरकार ने कांग्रेस कार्यालय के पास 7 लाख रुपये का बिल भेजा है । इसके बारे में श्री कंवरलाल गुप्त ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऐसा बिल भेजा है । किस राज्य ने कितना खर्च किया और ऐसे बिल का भुगतान कौन करेगा ? ये कुछ बातें उठाई गई हैं । महालेखा परीक्षक की बात को बार-बार दुहराना ठीक नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने यह तो नहीं कहा कि राज्य सरकारें कांग्रेस की ओर से खर्च करती हैं मैंने कहा है कि यदि राज्य सरकारों ने ऐसा किया है तो...

श्री पीलु मोदी : परन्तु हम ऐसा कह रहे हैं । हम आप पर यह आरोप लगा रहे हैं ।

श्री गोविन्द मेनन : आप इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

श्री पीलु मोदी : राज्य सरकार ने एक बिल भेजा है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : माननीय मन्त्री इस बात का खंडन करें कि राज्य सरकार ने कोई भी खर्च नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्षतः माननीय मन्त्री के पास इससे सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं है । परन्तु यदि ऐसी चर्चा ही चलती रही तो सम्पूर्ण प्रश्नकाल एक प्रश्न पर ही समाप्त हो

जायेगा । मैंने भी यह समाचार पढ़ा था कि बिहार सरकार ने कांग्रेस कार्यालय के पास एक बिल भेजा है । यह मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक सही है । केवल मन्त्री, कांग्रेस प्रधान या कांग्रेस दल यह बता सकता है कि वास्तव में राशि 7 लाख-रुपये है अथवा नहीं । इस व्यर्थ की चर्चा से तो राज्य सरकार और कांग्रेस प्रधान की बदनामी मात्र होगी । मैं प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण चाहता था । मन्त्री के पास तत्सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Government wants to conceal the mis-deeds done by them. They want to conceal that information. Such a practice is not in the interest of democracy. A number of complaints have been received. It is complained that force is used to prevent voters from going to polling booth and casting their votes ; vehicles have been freely used ; more expenditure than that fixed for election for Legislative Assembly is incurred by the contesting candidates for election purposes. May I know whether Government have ordered any inquiry into these complaints and whether Government intends to amend the election laws ?

श्री गोविन्द मेनन : जहां तक मतदाताओं को मत डालने से बलात् रोकने का सम्बन्ध है, इस बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सम्बधित राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है परन्तु वहां से अभी तक उत्तर नहीं आया । सुरक्षा प्रबन्ध और भारतीय वायु सेना के विमान पर हुए खर्च के अतिरिक्त मंच आदि बनाने पर होने वाले खर्च की जानकारी हमें नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know whether Government have received complaints regarding use of private vehicles for election purposes, more expenditure incurred by candidates than what is fixed for election for Legislative Assembly ; if so whether Government propose to make amendments in the election laws in view of it.

श्री गोविन्द मेनन : विद्यमान निर्वाचन विधि में इस बात की अनुमति नहीं देता कि मतदाताओं को गाड़ी में लाया जाये या उन्हें धन बांटा जाये । यदि इन बातों से किसी चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ा है तो उसके खिलाफ चुनाव कानून के अन्तर्गत याचिका दायर की जा सकती है । जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 इस सम्बन्ध में व्यापक जानकारी देता है । यदि पराजित यह समझता है कि उपरोक्त बातों से उसके चुनाव परिणाम पर कुप्रभाव पड़ा है तो वह याचिका दायर कर सकता है, इसी कानून के आधार पर कुछ चुनाव याचिकाएं सफल हुई हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether Government Vehicles were not used by Government Ministers is Madras when Shri Kamraj was fighting the election ; whether Government Vehicles were not used in support of Shri Menon against the Congress for election purposes ; whether the Jan Sangh people did not prevent the people in Motihari to cast their votes during 1967 general elections. May I know whether Government will order an inquiry into all these matters and place a report of inquiry on the Table of the House.

श्री गोविन्द मेनन : जितने आरोप माननीय सदस्य ने लगाये हैं, यदि वे ठीक हैं, और कदाचार के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए याचिका दायर की जा सकती है ।

यात्री गाड़ियों पर आक्रमण

*1652. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1968 से फरवरी 1969 के दौरान भारत में विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़ द्वारा यात्री रेलगाड़ियों पर अनेक आक्रमण किये गये हैं ;

(ख) कितने यात्री घायल हुए और कितनी सम्पत्ति को क्षति पहुंची ;

(ग) आक्रमणों के कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या अधिकांश मामलों में हिंसा पर उतारु भीड़ में अधिकतर विद्यार्थी थे ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सोहनलाल चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 90 घायल हुए और (लगभग) 66,000 रुपये की रेल सम्पत्ति को नुकसान हुआ।

(ग) अधिकतर हमलों के निम्नलिखित कारण थे ;

(1) तेलंगाना आन्दोलन ;

(2) आकाशवाणी की समाचार बुलेटिनों के समयों में परिवर्तन ;

(3) बिना टिकट यात्रियों की जांच ;

(4) स्कूलों की ट्यूशन फीस में वृद्धि ; और

(5) स्थानीय मांगें।

(घ) जी हां।

श्री वेदव्रत बरुआ : श्रीमन्, ये आंकड़े आंख खोलने वाले हैं चूंकि रेलवे राष्ट्र की सम्पत्ति है और केवल पुलिस कार्यवाही द्वारा रेलों पर आक्रमण रोकना सम्भव नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पर्याप्त प्रचार किया गया है। मेरे विचार में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है और सही तरीके से इसके विरुद्ध जनता में जागरुकता नहीं उत्पन्न की गई है। इसलिये लोग मांग का समर्थन करने वाले लोगों को नाराज किए बिना दण्ड से बचकर ऐसा करते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि रेलवे के लिए रेलगाड़ियों पर आक्रमणों रेलवे को हुई हानि का प्रचार करने लिए और अधिक उपाय करना और लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करना आवश्यक है।

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : एक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव लाभ उठायेंगे।

श्री वेदव्रत बरुआ : ये आक्रमण विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं। नागालैण्ड के निकट और आसाम में प्रतिरोध के कारणों से कुछ आक्रमणों का बल प्रयोग रेलवे सुरक्षा दल आदि द्वारा सामना किया जाना चाहिए। कुछ आक्रमण राजनैतिक कारणों से होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रचार ही एक मात्र हल है। लेकिन कुछ इस प्रकार के आक्रमण होते हैं, जो रेलवे प्रशासन की कथित असफलता, रेलगाड़ियों के देर से चलने तथा कुछ अन्य कारणों से होते हैं, उनमें से एक है बिना टिकट यात्रा। मुझे नही मालूम कि ये बिना टिकट यात्रा के कारण हैं। अथवा भ्रष्टाचार अथवा अन्य बातों के कारण है। क्या इन कारणों पर विचार किया जा रहा है और क्या उन्हें दूर किया जायेगा ताकि रेलगाड़ियां देर से न चलें ?

डा० राम सुभग सिंह : हल इन न्यूनताओं पर भी विचार कर रहे हैं। जैसाकि सभा को

मालूम है, इन उपायों को कठोरता से लागू किये जाने के कारण बिना टिकट यात्रा करने वाले कुछ व्यक्तियों ने हमारे कुछ अधिकारियों पर भी आक्रमण किये गये हैं। राजनीतिक उद्देश्यों से आक्रमणों के बारे में हमें सामूहिक रूप से कार्यकाही करनी होगी और हम इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं।

Shrimati Laxmibai : The hon. Minister has told that the loss has been quite heavy in Telengana. May I know the loss suffered these together with the details of the period ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is estimated to be Rs. 41,000.

श्री ज़ि० मो० विस्वास : लाइन खाली न होने अथवा अन्य कारणों से रेलगाड़ियां जब कभी रुकती हैं तो उपद्रवी यात्री स्टेशन मास्टर, गार्डों और ड्राइवरों आदि रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण करते है ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें उपद्रवी यात्रियों ने मौके पर उपस्थित रेलवे कर्मचारियों पर निर्ममता से आक्रमण किया है। क्या मन्त्री महोदय सभा को बतायेंगे कि प्रश्न में उल्लिखित अवधि में इस प्रकार के कितने मामले हुए हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ स्थानों पर सख्ती से उपाय लागू करने के कारण हमारे रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण किये जा रहे हैं, गत सप्ताह ही ऐसे व्यक्तियों द्वारा तथा डाकुओं द्वारा भी एक सहायक स्टेशन मास्टर और एक टिकट परीक्षक पर आक्रमण किया गया था। मैं उपद्रवी यात्रियों द्वारा व्यक्तियों पर आक्रमण के बारे में विस्तृत आंकड़े पता करके सभा पटल पर रखूंगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : आक्रमणों में विद्यार्थियों के कथित भाग लेने के अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूँगी कि क्या इन आक्रमणों में किन्ही राजनीतिक दलों का कभी कोई हाथ था और यदि हा, तो क्या इनमें कभी कांग्रेस का हाथ था अथवा हमेशा विरोधी दलों द्वारा ही गड़बड़ किये जाने के कारण ये आक्रमण हुए ?

डा० राम सुभग सिंह : ऐसे मामलों में केवल विद्यार्थियों ने ही भाग लिया हो, ऐसी बात नहीं है, विद्यार्थियों ने भाग लिया होगा परन्तु अन्य लोग भी हैं जिनमें राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Ticket checking staff is mainly entrusted with the job of stopping the leakage of revenue in the railways and since they have been attacked, they let off ticketless travellers being afraid of being attacked in case they chalanged the offenders. Will Government give assurance for their protection so that self-confidence may be created in them and they may have a feeling that Government is at their back and they should not let off any ticketless traveller ? Now it a case is registered for a scuffle, proper Government help is not available to them. They have to plead their case from their own pocket. Will be consider to make all arrangements for their security and to bear all expenses in such cases ?

Dr. Ram Subhag Singh : Whenever a ticket collector is attacked while on duty, we will not only bear the entire expenditure in connection with his case but also award them prises and in case of attack on the ticket collector by a ticketless traveller three days back, we have given him a prize of one thousand rupees and have made all sorts arrangements for him. In the case of the Assistant Station Master, who received a number of

bullets but captured the dacoits, we have rewarded him a price of Rs. 5,000 and have made necessary arrangements for his safety.

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the immediate assistance provided.

Dr. Ram Subhag Singh : This was the immediate assistance and we will continue to help them.

Shri Sitaram Kesri : It is an established fact that such incidents, particularly attacks on railways, are mainly organised by the political parties. May I know the action taken against the railway employees in Katihar, who took part in the 19th September strike and did not allow the trains to start on schedule from these resulting in inconvenience to passengers and harassed the passengers and loyal and faithfull employees ?

Dr. Ram Subhag Singh : This question relate to an entirely different matter. I do not have the information with me at the moment.

श्री समर गुह : इस महीने की 9 तारीख को सियालदह और बज बज के बीच चलने वाली उपनगरीय रेलवे पर काफी गड़बड़ हुई है । अनेक रेलवे स्टेशन पर हमले किये गये और कुछ स्टेशन मास्टरों को मारा पीटा गया । आपने समाचार पढ़े होंगे । जब काटे गये बिजली के तार पुन: लगा दिये गये, तो गार्डों ने रेलगाड़ी चलाने से इन्कार कर दिया । श्रीमन्, उपनगरीय क्षेत्रों से यात्री प्रतिदिन कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं और उनमें से अधिकांश दैनिक मजूरी वाले श्रमिक होते हैं । यदि वे कारखानें नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें मजूरी नहीं मिलती है । क्या सरकार अब पता लगायेगी कि लाइन के मरम्मत कर दिये जाने पर यात्रियों के कहने पर भी सम्बन्धित गार्डों अथवा स्टेशन मास्टरों ने गाड़ी चलाने से क्यों इन्कार किया ? हम हमेशा इनका कारण राजनीतिक दंगे बताने का प्रयास करते रहे हैं । अन्य कारण भी हैं, जैसे बिजली का बन्द हो जाना, काम का अव्यवस्थित हो जाना, समय में अचानक परिवर्तन, इंजन का बन्द होना और उपनगरीय क्षेत्रों में अनेक अन्य गड़बड़ । इससे दैनिक यात्रियों, विशेष रूप से श्रमिकों और मजूरी भोगियों को बड़ी परेशानी होती है, क्या सरकार इन मामलों की जांच करने के लिए रेलवे विभाग का एक विशेषज्ञ नियुक्त करेगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि ऐसी घटनायें न हों और रेलगाड़ियां, विशेष रूप से उपनगरीय लाइन पर नियमित रूप से चलें ?

डा० राम सुभग सिंह : सभा को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता और उसके आस-पास के स्टेशनों तथा मुगलसराय अथवा कानपुर तक और उस दिशा में राउरकेला और खड़गपुर तक सब जगह विद्युत कर्षण है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जब बिजली फेल हो जाती है, तो गाड़ियों के चलने में विलम्ब होता हैं और बिजली फेल होने का कारण यह भी है कि जगह-जगह तार काट दी जाती हैं । गार्डों और ड्राइवरों को इतनी राहत अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि केवल हमारी ही बिजली रेलवे को विभिन्न स्थानों को नहीं ले जाती बल्कि यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा विद्युत-बोर्डों अथवा उनके अभिकरणों द्वारा सप्लाई की जाने वाली विद्युत पर निर्भर है । इसलिए बेचारे इन गार्डों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए । जो कुछ भी उनका उत्तरदायित्व है मैं उनके लिये उनसे कहने के लिये तैयार हूं कि वे स्वयं गाड़ियों के चलाने में विलम्ब न करें । यदि इसका कारण किसी अन्य की गलती है तब इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या प्रश्न में निर्दिष्ट अवधि के दौरान जो घटनायें घटीं वे रेलवे कर्मचारियों की अकुशलता, धृष्ठता, उदासीनता तथा भ्रष्टाचार के कारण हुई और क्या रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों पर आक्रमण करने के कार्य में भी भाग लिया ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि माननीय सदस्य का ऐसा अनुभव है, तो मैं इस विषय में जांच करने के लिए तैयार हूँ यदि वे कोई ठोस उदाहरण प्रस्तुत लायें । जहां तक मुझे जानकारी है यह उनकी गलती के कारण नहीं हुआ है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रेलवे के फेल होने से तथा समय पर रेलगाड़ियां न चलने से यात्रियों को अगली गाड़ियां नहीं मिल पाती । डायमन्ड हार्बर से बज-बज जाने वाले यात्री बालीगंज से आगे जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ पाते । जिसकी वजह से कारखानों में उपस्थिति देर से लगती है, अनुपस्थितियां होती हैं और मजूरी तथा वेतन की हानि होती है । ऐसी परिस्थितियों में कितने मामलों में रेलवे सम्पत्ति नष्ट हुई ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि डायमन्ड हार्बर को आने वाले यात्रियों को उपयुक्त गाड़ी नहीं मिली होगी । मैं इस मामले की जांच करने के लिए और ऐसा न होने देने के लिए अपने रेलवे कर्मचारियों को कहने को तैयार हूँ । यह सच है कि 'बन्द' आदि के समय गाड़ियाँ नहीं चल सकती और इसके लिये हम उत्तरदायी नहीं हैं ।

Incentives for Import Substitution

\+

*1653. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Ranjit Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for giving incentives and support to the industries engaged in manufacturing indigenous substitutes of imported goods ; and

(b) if so, the details, thereof ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) तथा (ख) वर्तमान आयात नीति से देश में उपलब्ध पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल दोनों के आयात पर पाबन्दी रहती है और इस प्रकार देश में आयात प्रतिस्थापन के निर्माण में लगे उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं सहायता मिलती है । इस वर्ष से जूट तथा सूती वस्त्र उद्योग में लगे उपकरणों के लिये विकास रियायत की वह उच्च दरजा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों पर लागू होती है, प्रदान करने से देश के मशीन निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा । देश में तैयार की गई प्रतिस्थापन वस्तुओं के प्रयोग के लिये उपभोक्ताओं को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर सावधानी से विचार किया गया है । किन्तु योजना को लागू करने के लिये साधनों के संचित करने तथा उन्हें योजना के प्रयोजन के लिये प्रयोग करने की आवश्यकता के संदर्भ में ऐसा करना उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : It was published in the news papers of 13th April that the Government has made Wanchu panel to ban the import of foreing goods. I want to know whether this panel consists of only Government people or it includes experienced non-Government people also ? Secondly, what are those things which are imported from foreign countries and what amount of foreign exchange is involved in it and what are the names of the countries from where these things are imported ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : So far as the question of giving incentives to indigenously available things, like Capital goods, Components and raw materials for the purpose of import substitution is concerned, we have already stated that we have banned the import of such goods which are available in the Country. We do not want to give any more incentive because if we resort to more incentives our resources will be reduced and there will be no development etc. For this purpose we consult D.G.T.D. ond C.S.I.R. If they say that this is available here, we do not import that. Besides this, we have found out another way. We advertise in the Trade Journal if a thing is more than the value of 7½ lacs rupees. If only indigenous producer is producing that thing, he should inform us within 45 days. If we get the required thing within the country we do not import that.

Shri Ram Gopal Shalwale : The Second part of my question has not been answered. I had asked the names of the things imported from abroad and what is their quantity and the foreign exchange involved therein. The hon. Minister has completely ignored this question. Now, I want to know whether the Government will consider the question of adopting a policy towards restricting import of foreign goods and manufacturing them in the country and whether Government will open new factories in villages so that the village-young people may be able to work in those factories after getting the training and the unemployment may be removed ?

Whether the Government wants to make any changes in the Educational system so that the education may be imported on the basis of the study of the Japanese type of education ? Today, the Indian students remain unemployed after leaving the educational institutions or completion of their education. So it is necessary to give them education of handicrafts so that the problem of unemployment is solved ?

Shri F. A, Ahmed : Our policy is to promote small scale industry and concillary industry to abolish unemployment. We want to give all sort of help to these industries not only in the cities but in the rural areas also so that the industries may flourish and may fulfil their needs and may help in the import substitution.

Shri Bharat Singh Chauhan : The hon. Minister declared on 5th May that t e engineers and the scientists, who are engaged in such type of work, which promotes hf production of indigenous goods and reduces imports will be given awards. What encouragoment did the scientists and engineers get from that award and what is the plan of the Governement in regard to that award ?

Shri F. A. Ahmed : We help the engineers to our best by giving loans, raw materials and components to the industries so that they may continue to work and no difficulty may come in the way.

श्री कार्तिक उरांव : आत्म-निर्भरता का आधार है आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयात में कितने प्रतिशत की कटौती तथा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसी समय ये आंकड़े बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है देश

में उद्योगों के विकास के लिये जो नीति अपनाई गई है उससे काफी हद तक आयात प्रतिस्थान हुआ है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : एक समय था जबकि हमारा देश सिलाई की मशीनों के लिये पूर्णतः आयात पर निर्भर था, उसके बाद इस देश में स्वदेशी सिलाई मशीन उद्योग का विकास जोरों से हुआ जो आज ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि हम उस देशों की सिलाई को मशीनों का निर्यात कर रहे हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वे क्यों एक ओर योजना बनाते हैं और दूसरी ओर विदेशी सिलाई मशीनों का आयात करते हैं । वे विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं को देश में अपनी क्षमता के विस्तार करने से रोक क्यों नहीं रही है जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी सिलाई मशीन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है । इन परिस्थितियों में आप हमारे स्वदेशी उद्योग को कैसे विकसित कर सकते हैं ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि माननीय सदस्य मुझे इस विदेशी कम्पनी का नाम बता सकें तो शायद मैं इसकी जांच कर सकूं । शायद माननीय सदस्य के दिमाग में सिंगर सिलाई मशीन कम्पनी है । लेकिन वे इस समय देश में सिलाई मशीनों का निर्माण नहीं कर रहे हैं । वे हमारे एक भारतीय निर्माता से मशीन खरीद रहे हैं जिसका नाम महाबीर है । बहुत सी मशीनें उससे ले ली जाती हैं और उन पर अपनी मुहर लगाकर बेच दिया जाता है ।

इसका नाम सिंगर नहीं है बल्कि कुछ अन्य व्यापारिक नाम का प्रयोग किया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : सिंगर मैरिट ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : लेकिन उनको सिंगर कम्पनी की एजेंसी के द्वारा बेचा जाता है इनका निर्माण भारतीय कम्पनी द्वारा किया जाता है । उस दिन जब मेरे पास प्रतिनिधि मंडल आया था, तो मैंने कहा : "देश के हित में आप इनको अपने आप क्यों नहीं बेचते अथवा आप अपने देश से एजेंटों की नियुक्ति क्यों नहीं करते ?" उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में ऊषा आदि कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता होगी और इसलिये हमने इस अवसर का उपयोग मशीनों के बेचने के लिये किया है ।"

यह एक ऐसा काम है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, यदि देश में निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिये एजेन्टों को दिया जाता है तो उस पर हमारा क्या नियंत्रण है···व्यवधान···

श्री स० कुन्दू : यह सच नहीं है । उन्होंने लाइसेंस दिया है...

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए । मैं श्रीमती शारदा मुकर्जी को बुला रहा हूं वे अपना प्रश्न पूछें ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि हमने सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जैसे कारखानों में काफी धन राशि लगाई है और बहुत सा सामान बिना बिका पड़ा है तथा वहां क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा । मेरे विचार से मशीन टूल्स से सम्बन्धित लगभग 90 करोड़ रुपये के सामान का आयात किया गया है । इन चीजों के लिए आयात लाइसेंस दिये जाते हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकती

हूँ कि उन्होंने इस बारे में क्या निर्धारित किया है कि भारत में क्या बनाया जा सकता है, किसके लिए लाइसेंस दिये जाते हैं तथा यह निर्धारण करने के पश्चात तथा विदेशी मुद्रा के इस प्रकार व्यय के बचाने के लिये वह क्या प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूँ कि जहां तक पूंजीगत माल तथा कच्चे माल आदि के आयात का सम्बन्ध है उन सब वस्तुओं को जो अपने देश में उपलब्ध हैं आयात करने की बिलकुल अनुमति नहीं दी जाती। इस कार्य के लिए हमारे पास न केवल सरकारी मशीनरी है बल्कि जब साढ़े सात लाख रुपये के बराबर सामान के आयात के आवेदन पत्र मिलने पर हम व्यापारिक पत्रिका में विज्ञापन निकालने की पद्धति को अपनाते हैं, जिसमें हम यह कहते हैं कि हमें अमुक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और यदि कोई स्वदेशी वस्तुओं की सप्लाई कर सकता है तो उसके आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा और यदि दिए हुए समय के दौरान वह कहता है कि वह स्वदेशी वस्तुएं सप्लाई पर सकता है तो उन वस्तुओं के आयात की अनुमति बिलकुल भी नहीं दी जाती, लेकिन जहां सरकारी अथवा गैरसकारी क्षेत्र में प्राकृतिक मशीनरी के सुधार के लिए कुछ संतुलन पैदा करने वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती है वहां देश के हित में ऐसे आयात की अनुमती दी जाती है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : जब हमारे पास सरकारी क्षेत्र हैं तो गैर-सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा उन्हीं वस्तुओं का आयात क्यों किया जाता है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : यदि माननीय सदस्या यह बता दें कि सरकारी क्षेत्रों में किन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है तो मेरे लिए उत्तर देना संभव हो सकेगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मशीन टूल्स।

श्री स० कु० तापड़िया : यूगोस्लाविया तथा दूसरे देशों से मिलिंग मशीन और तल घिसाई मशीनों के आयात के लिए अनुमति दी जा रही है।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जो चीजें हमारे देश में बनाई जा रही हैं उनके आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री स० कुन्दू : कुछ उपकरणों तथा फालतू पुर्जों का आयात एक पहलू है ; लेकिन आयात का एक दूसरा पहलू भी हैं, अर्थात तकनीकी ज्ञान का आयात, जिसके लिये भारत सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया। हमारे इंजिनियर विरोध प्रकट कर रहे हैं कि भारत सरकार लगातार तकनीकी ज्ञान का आयात क्यों कर रही है। जबकि वह ज्ञान अपने देश में उपलब्ध है। हाल में, भारतीय इन्जीनियर संघ ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा अन्य कारखानों के लिए लगभग दो करोड़ रुपये के तकनीकी ज्ञान के आयात का विरोध किया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई विश्लेषण किया है और क्या विदेशी तकनीकी ज्ञान के आयात को रोकने के लिए उनकी कोई योजना है जबकि ऐसा तकनीकी ज्ञान हमारे देश में उपलब्ध है ?

अब मैं सिंगर सिलाई मशीन की बात पर आऊंगा। सिंगर सिलाई मशीन कम्पनी एक

विदेशी कम्पनी है और सरकारी आड़ में उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है । भारत सरकार से अधिक उत्पादन की अनुमति मिलने पर वे हमारे यहां निर्मित किसी दूसरी सिलाई की भी मशीन को ले रहे हैं, और इस पर अपनी मुहर लगाकर सौ प्रतिशत अधिक कीमत पर बाजार में बेच रहे हैं, इस प्रकार भारत सरकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय निर्माताओं के हितों तथा इच्छाओं के विरुद्ध विदेशी सिलाई मशीन निर्माताओं की मदद कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में सरकार को भारतीय सिलाई मशीन निर्माताओं की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

मैं चाहता हूं कि वे इन बातों की जांच करें, उन्होंने कहा है कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इन परिस्थितियों में, वे इस बात का स्पष्टीकरण दें कि सिंगर सिलाई मशीन कम्पनी को लाइसेंस क्यों दिया गया है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां एक इस प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं सोचता हूँ कि माननीय सदस्य हमारी उस नीति की प्रशंसा करेंगे जिसको हमने हाल ही में अपनाया है, अर्थात जो तकनीकी ज्ञान हमारे देश में उपलब्ध है उनके आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है, वास्तव में इस नीति के कारण मेरी आलोचना की गई थी और मुझसे कहा गया था कि मैं वाह्य तकनीकी ज्ञान के अभाव के परिणामस्वरूप देश में सुधार की संभावनाऐं उत्पन्न हो रही हैं केवल वही ज्ञान आयात किया जा रहा है जो देश के हित में है और जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, जो तकनीकी ज्ञान देश में हैं उसके आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं कहूँगा कि माननीय सदस्य को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, जहां तक सिलाई मशीन का सम्बन्ध है इसमें से लाइसेंस हटा दिया गया है, एक ओर तो माननीय सदस्य चाहते हैं कि लाइसेंस के जरिये नियंत्रण रखा जाय और दूसरी ओर जब किसी वस्तु में से लाइसेंस हटा दिया जाता है, यदि कोई विशेष निर्माता किसी आयातित तत्व के बिना उस वस्तु का निर्माण करता है तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ । जब तक मैं इस पर नियंत्रण न करूं और इसको लाइसेंस के अन्तर्गत न लाऊं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यहां विदेशी कम्पनियों की शाखाऐं हैं । क्योंकि आपने इस पर से लाइसेंस हटा दिया है तो वे भी इसका निर्माण कर सकते हैं ।

श्री स० कुण्डू : जहां तक इन माननीय सदस्य का सम्बन्ध हैं वह नियंत्रण चाहेंगे यदि यह देश के हित में होगा ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक मुझे जानकारी है इस विशेष कारखाने द्वारा मशीनों का निर्माण नहीं किया जा रहा है, वे केवल अन्य स्वदेशी एकक से मशीन खरीद रहे हैं और उनसे लेकर उस पर अपनी मुहर लगा कर बेचते हैं, मैं नहीं जानत कि इन मामलों में, मैं क्या नियंत्रण लगा सकता हूँ।

डा० सुशीला नैयर : क्या माननीय मंत्री इस बात से परिचित हैं कि चीनी आक्रमण के पश्चात, आयात पर कठोर प्रतिबन्ध के समय, भारतीय निर्माणकर्त्ताओं द्वारा अनेक औषधि निर्माण क्षेत्रों तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात प्रतिस्थापन के लिए बड़ा प्रयत्न किया गया था?

लेकिन वर्धित ऋणों आदि के बाद आयात के सम्बन्ध में उदारता लाने से इनमें से अनेक एककों को काफी धक्का पहुंचा है क्योंकि जो वस्तुऐं हम विदेशों से प्राप्त करते है वे स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा कुछ सस्ती हो सकती हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हम किस प्रकार अत्मनिर्भर होंगे कि जब तक कि हम इन वस्तुओं को राज्य सहायता देने का कोई रास्ता नहीं निकालेंगे अथवा स्वदेशी उत्पादन को संरक्षण नहीं देंगे ताकि आयात के सम्बन्ध में उदारता अपनाने से आयात प्रतिस्थापन खतरे में न पड़े ?

दूसरे, हमारे देश में एक बड़ा शल्य चिकित्सा औजार कारखाना है जिसकी वस्तुऐं बेची नहीं जा रही है क्योंकि आयातित माल की तुलना में इनकी उत्पादन लागत बहुत अधिक है। इसमें से कई मशीनें सुरक्षा के लिये कुछ बिल्कुल भिन्न वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं और शल्यचिकित्सा के औजारों का निर्माण नहीं कर रहीं। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय मंत्री महोदय शल्य-चिकित्सा-औजार-कारखाने में लगायी गई पूंजी को सुरक्षित करने के लिए, और इन औजारों का निर्माण करने के लिए तथा उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर देने के लिये क्या करना चाहते हैं ताकि हम विदेशों से मंगाये जाने वाले औजारों पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को बचा सकें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : स्वदेशी निर्माताओं की सहायता हम केवल तय कर सकते जब कि हम उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दें जिनको हम अपने देश में बनाते हैं। यह हमारी नीति है कि जो चीज हम अपने देश में बना रहे हैं उसके आयात की अनुमति न दी जाये।

दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध कीमतों को नीचे लाने से है। हम इन सब कारखानों पर चाहे ये सरकारी क्षेत्र में हैं अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में, प्रभाव डाल रहे हैं कि वे अपने प्रबंध तथा तरीकों में सुधार करके उत्पादन लागत को कम करें क्योंकि उत्पादन लागत को कम करने का केवल एक यही रास्ता है। यदि हम आयात बन्द कर दें तो उपभोक्ताओं के पास खरीद का केवल एक स्रोत रह जाता है और तब ये लोग जिस मूल्य पर ये सरकारी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के एकक बेचेंगे उसी पर खरीदेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस प्रश्न के अनेक अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने बार बार उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही हो जिनका देश में निर्माण होता है। मैं उन वस्तुओं के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनका अभी भी आयात किया जा रहा है। क्या सरकार ने उन वस्तुओं को वैज्ञानिक विश्लेषण किया है उनकी सूची तैयार की है, उनको वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है जिनका अभी भी आयात किया जा रहा है ताकि यह जाना जा सके कि छोटे पैमाने के उद्योगों में क्या बनाया जा सकना है अथवा क्या नहीं और क्या उनको संबंधित मन्त्रालय की लघु उद्योग शाखा को सौंपा गया है तथा क्या एक तकनीकी सेल बनाया है जिसमें केवल उन मदों पर विचार किया जा सके जिनका आयात किया जाता है ताकि उनके निर्माण के, उनको वर्गीकृत करने के तरीकों का पता लगाया जा सके और उनको मदवार विशेष प्रोत्साहन दिया जा सके जिससे हम इन मदों को अपने देश में तैयार कर सकें और एक छोटी सी अवधि में उनका विकास कर सकें।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह एक सुझाव है, मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री फ० गो० सेन : जिन वस्तुओं का निर्माण यहां किया जाता है उनका आयात नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सरकारी क्षेत्र में पैदा की जाने वाली वस्तुओं को न खरीद कर गैर सरकारी क्षेत्र से वस्तुओं को क्यों खरीद रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ऐसी बात नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के संदर्भ में, मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यद्यपि विदेशी निवेश पर चाहे वह तकनीनी हो अथवा वित्तीय, सिलाई मशीन उद्योग के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है लेकिन एक विदेशी फर्म के ऐसे उद्योग को आरम्भ करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिस पर से बिना वित्त मन्त्रालय, भारत के रक्षित बैंक, अथवा औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय का अनुमोदन प्राप्त कि पहले ही लाइसेंस हटा दिया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सिंगर सिलाई मशीनों का निर्माण किसी विदेशी कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता। यहां उनकी एक शाखा है और कोई महावीर कम्पनी उसका निर्माण करती है तथा उस पर अपनी मुहर लगाते हैं। मान लीजिये मैं गांधी टोपी पहन लेता हूँ तो क्या मैं कांग्रेसी मन्त्री बजाऊंगा ? यह एक विचित्र बात है। कोई इन पर अपनी मुहर लगाता है लेकिन इन मशीनों का निर्माण सिंगर द्वारा नहीं किया जाता। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब उन्होंने सारी वस्तु पर से लाइसेंस हटा दिया है तो इस शाखा के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि लाइसेंस न लेने की बात विदेशी कम्पनियों पर लागू होती है या नहीं ? दूसरे वे निर्यात बाजार को काटने के लिए उन वस्तुओं पर अपनी मुहर लगा रहे हैं जिसका निर्माण महावीर कम्पनी द्वारा निर्यात करने के लिए किया जाता है। यह निकृष्ट कार्य है। मैं जानना चाहता हूँ क्या इस मामले की जांच की जायेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं इस बात का स्पष्टीकरण पहले ही दे चुका हूँ। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है यहां एक स्वदेशी एकक है जो सिलाई की मशीनों का निर्माण कर रही है और यदि वह स्वदेशी एकक एक बिक्री एजेंट नियुक्त करता है जो कि हमारे देश का आदमी नहीं है बल्कि एक विदेशी है जो यहां बड़ा व्यापार करता है, तो मैं उस स्वदेशी एकक को ऐसा कार्य करने से कैसे रोक सकता हूँ ?

Shri Sheo Narain : We import know-how from Western Countries, Britain and America. We take that know-how when that becomes obsolete for them and they reject it. We have received letters from Panjab that they know know-how. I want to know why you do not seek help from our good scientists, experts and from our persons who possess good know-how ?

Shri F. A. Ahmed : We encourage them. Now we do not obtain old know-how.

Shri Maharaj Singh Bharati : There are some spare parts which are not being manufactured in our country and are being imported. The reason for non-manufacturing

of many of the spare parts is the non-availability of metal. So long the particular type of metal or metals are not imported those spare parts cannot be manufactured. The metal cost rupees two while the same spare part cost rupees hundred if imported. In this background. I would like to know whether the Government will liberalise her policy regarding importing that particular type of metal which has no other use then in the manufacture of that spare part ?

Shri F. A. Ahmed : Efforts are being made in this respect. You take industry only. Where copper was being used previously, now we have developed industry in our country by using Aluminium instead of Copper. In this way by import substitution we are trying to develop our industry.

Shri Maharaj Singh Bharati : I am not taking about substitution. If the machine purchased by you requires any spare part that can be supplied to the machine only when that spare part is made from the particular type of metal. If the metal is imported the spare part can be manufactured here. Because you do not import metal, so you have to import that spare part from outside. What objection you have got in the import of metal ?

Shri F. A. Ahmed : These can be no objection. We are ready to manufacture it here if components can be made by the import of metal.

श्री एस० आर० दामानी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार का उद्देश्य आयात को निरुत्साहित करना है और क्या यह भी सच है कि 500 करोड़ रुपये की मशीनरी का आयात होता है और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के कारखानों की क्षमता निष्क्रिय पड़ी है, इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस देश में निर्मित मशीनों के लिए अवक्षयण तथा विकास छूट के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि स्वदेशी माल को संरक्षण देने के लिए हम इस देश में कई वस्तुओं के आयात पर पाबन्दी लगा रहे हैं। परन्तु मैंने प्रोत्साहन देने तथा वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रश्न को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया था और उनका कहना है कि इससे हमारे साधनों में कमी आ जायेगी जो कि आयोजना के हित में न होगा। अतएव इस पर विचार नहीं किया गया है।

श्री क० लकप्पा : सरकार की औद्योगिक नीति गड़बड़ में है। भारत सरकार स्वदेशी सामग्रियों को ढूंढ़ने की संभावनाओं का पता लगाने में असफल रही है जिससे इस देश में माल का निर्माण किया जा सके। उन्होंने स्वदेशी माल की उपलब्धता और तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में पता नहीं लगाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार बड़े व्यापारियों के दबाव में हैं जो कि सदैव विदेशी सहायता चाहते हैं और इसके द्वारा लाभ कमाना चाहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार इन बड़े व्यापार-गृहों के दबाव में हैं जिससे वे स्वदेशी माल और हमारे देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के उपयोग की संभावनाओं का पता नहीं लगाते हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

श्री क० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इन बड़े व्यापार गृहों के दबाव में है। उन्हें अस्वीकार करने दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अस्वीकार कर दिया है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन

+

अ० सू० प्र० संख्या 2९. श्री मधु लिमये : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में हुए विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर विचार किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा के माध्यम में तुरन्त परिवर्तन करने का समर्थन किया था या उसका विरोध किया था;

(ग) क्या सम्मेलन ने विश्वविद्यालय के निकायों में छात्रों की भागिता के प्रश्न पर विचार किया था; और

(घ) क्या वह छात्रों की इस भागिता के समर्थन में शीघ्र निर्णय के पक्ष में बोले थे अथवा तथाकथित तत्काल निर्णय के विरुद्ध बोले थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री द्वारा दिये गये भाषण का संगत उद्धरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1124/69]

(ग) जी हां।

(घ) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री द्वारा दिये गये भाषण का संगत उद्धरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकाल में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1124/69]

Shri Madhu Limaye : Sir, Now the Minister has given to lenghty of statement in reply that we could not get time to see it thoroughly. Had it been circulated in the morning then it would have been better. Anyhow it makes no difference. His predecessor had admitted that unless the medium of instruction is changed to mother tongue then the student will not be able to make progress. But the statement of our present education minister shows that they are hampering with our demand which was being admitted in a limited way.

The Hon. Minister has stated in clause 8 (1) that we would not switch ever the medium of instriction till the text books are not prepared. Now this is an old dispute. When the medium is changed then the demand for text books will arise and later an incentive will be given to writers for writing books etc.

Shri Samar Guha : How the teachers will teach without the text books being prepared ?

MR. SPEAKER : यह प्रश्न काल है । यह वाद-विवाद का समय नहीं है । कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित करके प्रश्न पूछिये ।

Shri Madhu Limaye : The hon. member should know that the Professers in Indonesia and Burma used to teach the students through books of in all languages and in this way Burma had done away with English and Dutch languages. He has interrupted therefore I replied him. I thought he was replying in a Capacity of a minister so I answered him.

I want to ask from the Hon. Minister that the expansion of higher education is takIng place and colleges are being opened in rural areas. In this connection may I know whether he made an effort to know the views of those students. Would be reconsider his statemeet so that he may complete the process of switching over the medium with in the specified period of one year, two years or three years ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं समझता कि मेरे से पहले के शिक्षा मंत्री और मुझ में इन दोनों बातों पर कोई मतभेद है यथा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से प्रान्तीय भाषा में बदलने की आवश्यकता और इस प्रक्रिया को इस प्रकार से करना जिससे कि स्तर में कोई गिरावट न आये । मेरे से पहले के शिक्षा मंत्री का भी यही विचार था और यही बात मैंने अपने वक्तव्य में भी कही है । मुझे दुःख है कि मेरे वक्तव्य को पहले ही परिचालित नहीं किया जा सका और माननीय सदस्य को इसे पढ़ने का समय नहीं मिल सका है । जहां तक इस सुझाव का संबंध है कि जैसे ही माध्यम में परिवर्तन आयेगा त्योंही पाठ्य पुस्तकें तैयार हो जाएंगी तो मेरा निवेदन पूर्वक यह कहना है कि जब हम शिक्षा माध्यम में परिवर्तन चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें परिवर्तन इस प्रकार नहीं करना चाहिए जिससे नए माध्यम को लेने वाले विद्यार्थी ज्ञान तथा शिक्षा स्तर में पिछड़ जायें । पाठ्य-पुस्तकें पूर्ति और मांग के हिसाब से नहीं आती हैं जो पाठ्य-पुस्तकें इस प्रकार आती हैं तो मुझे आशंका है कि इसमें स्तर की बात नहीं होती हैं । तभी माध्यम में परिवर्तन के साथ-साथ हम पाठ्य पुस्तकों, सहायक पुस्तकों को तैयार करने के लिए ठोस प्रयत्न कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने इंडोनेशिया का हवाला दिया है जहाँ कि अन्य भाषाओं की पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और अध्यापन कार्य इंडोनेशिया की भाषा में होता है । हम भी ठीक यही सुझाव दे रहे हैं । अध्यापन कार्य प्रादेशिक भाषा में होगा परन्तु इसके साथ-साथ अगर प्रत्येक पत्र के लिए प्रादेशिक भाषा में अच्छी पाठ्य-पुस्तक न हों तो विद्यार्थियों के लिए लेक्चर को समझना कठिन हो जायेगा । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी भी उनके समान यह दिलचस्पी है कि शिक्षा का माध्यम यथासंभव शीघ्रता से बदले परन्तु स्तर भी निरंतर वही बने रहना चाहिए । मैं न केवल यह चाहता हूँ कि नऐ लड़के अथवा लड़कियां, जो शिक्षा के प्रादेशिक भाषा माध्यम द्वारा अध्ययन करके आते हैं, उतनी ही धाराप्रवाह भाषा में बोल सकें जैसे कि मेरे माननीय मित्र हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषा बोलते हैं अपितु मैं यह भी चाहता हूँ कि जितना ज्ञान मेरे माननीय मित्र ने अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर, न कि भारतीय भाषाओं के द्वारा, अर्जित किया है, उतना ही वे भी करें ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have raised the question of medium of instruction and not studying of languges. The Hon. Minister may not confuse the issue by mixing these

things. I am raising the question of medium. I have not asked any question regarding of the study of Enghish, French and I want that he should clearly reply to my question pertaining to the change of medium of instruction.

अध्यक्ष महोदय : वे अवधि जानना चाहते हैं चाहे वह दो वर्ष अथवा तीन वर्ष अथवा कुछ भी हो ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ कि उपकुलपतियों के सम्मेलन में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है । यह अवधि.....

Shri Madhu Limaye : What is the Hon. Minister saying ? This House has taken decision.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे दुःख है कि सरकार इस मामले में राजनीतिक निर्णय नहीं ले सकती है । (**व्यवधान**)

श्री बलराज मधोक : इससे उनका क्या तात्पर्य है ? संसद ने निर्णय ले लिया है । इस सभा ने निर्णय ले लिया है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे दुःख है कि मेरे माननीय विपक्षी मित्रों को इससे दुःख हुआ है । जब सरकार शिक्षा के माध्यम के बारे में निर्णय लेती है तो उसे विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके तथा स्तर की ओर ध्यान देकर निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि वे इस देश में लाखों की शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूँ कि कई सदस्य अनुपूरक प्रश्नों को पूछने के लिए उठ रहे हैं । उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपना प्रश्न पूछा है, को पहले बुलाना पड़ेगा । इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ । यह विवाद नहीं हो रहा है । यह केवल अल्प सूचना प्रश्न है । जब माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा है और अगर मन्त्री महोदय उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तब तो कोई कठिनाई की बात नहीं है । परन्तु अगर वह अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में समूची नीति सामने रखता है तब हम कठिनाई में फँस जाते हैं । माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इसे दो या तीन वर्ष में लाया जायेगा । वे 'हां' या 'नहीं' कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इसमें अधिक समय लगेगा और तब यह बात समाप्त हो जाती है । और तब यह बात समाप्त हो जाती है । परन्तु अगर वे उपकुलपतियों, सरकार और देश की समूची नीति का वर्णन करते हैं तो हम कठिनाई में फंस जायेंगे ।

श्री नम्बियार : यह प्रश्न 35 कुलपतियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में है और उनको इसे बताना पड़ेगा (**व्यवधान**)

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या मन्त्री महोदय को उनके बारे में कहना अनुचित नहीं है जिनका जन्म स्वतन्त्रता से पूर्व हुआ था और जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की थी वे और किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे क्योंकि उस समय केवल वही शिक्षा उपलब्ध थी ? मैं नहीं समझता कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात यह उत्तर देना तर्क संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सहमत हूं ।

Shri Madhu Limaye : I read in 'The Hindu' that the Education Ministry is against the participation of students in the administration of the University. I was also influenced by this but the special representative of 'The Hindu' also wrote this. I want to know from the Hon. Minister whether a Copy of the bill, which I placed on the table of the House and in which it was decided to have to circulated and which was discussed here, was placed before the the Vice-Chancellor. Even after this if they have decided that immediate decision will not be taken on this then I want to ask the Hon. Minister whether he will awake only when our students like the students of America and Europe occupy the Universities. That situation is imminent and people like me want that it should come without delay so that their eyes may open.

एक माननीय सदस्य : वे उन्हें उकसा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Of course I am doing this. I do not bide. If they will not undertake any work then I will also do that. First of all I give constructive suggestion but if they do not do this then I will also do that.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार में समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार आने से माननीय सदस्य के मन में कुछ भ्रान्ति पैदा हो गई है, वास्तव में उपकुलपतियों के सम्मेलन में एक समिति ने, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था, यह सुझाव दिया था कि

"इस समय विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों के सांविधिक निकायों जैसे सीनेट, शैक्षिक परिषद् और सिण्डीकेट में भाग लेने का अवसर देना आवश्यक नहीं है" यह उपकुलपतियों की समिति की सिफारिश है जो कि पूर्णाधिवेशन में विचार विमर्श के लिए आए थे, मैं सब अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुआ था। मैं केवल उद्घाटनात्मक और पूर्णाधिवेशन में उपस्थित हुआ था। जब यह प्रश्न आया तो मैंने उठकर कहा कि उपकुलपतियों के सम्मेलन में इस समय यह निर्णय लेना वांछनीय नहीं है कि सांविधिक निकायों में विद्यार्थियों को भाग नहीं लेने दिया जायेगा। मैंने कहा कि श्री मधु लिमये ने संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जो कि सभी विश्व-विद्यालय में परिचालन के लिए भेजा गया है। परिचालन की तिथि अगले वर्ष के पहली मार्च को है और विश्वविद्यालयों को अपने सभी निकायों में इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय है। अतएव मैंने कहा था कि कृपया आप आकस्मिक निर्णय मत लीजिये। इस मामले को खुला रखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है और यह मामला उनको सौंप दिया जाये। मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य ने इसे सारा गलत समझा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मन्त्री महोदय के स्पष्टीकरण करने के बाद मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रश्न के मामले में उनके विचार स्वतन्त्र हैं कि क्या विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय निकायों में भाग लेना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उपकुलपतियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। 'राजनीति' से मेरा तात्पर्य कांग्रेस की राजनीति से है। यह विशुद्ध राजनीति होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों के अधिनियणों में इसकी व्यवस्था है। अतएव मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था और यदि हां तो उपकुलपतियों के क्या निष्कर्ष अथवा निर्णय अथवा राय थे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे ध्यान में राजनीति में भाग लेने का प्रश्न विचार-

विमर्श के लिए एक विशिष्ट विषय नहीं था अतएव उस विषय पर कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया गया।

Shri Shiv Kumar Shastri : The Hon. Minister has stated in the inaugural speech f the Vice-Chancellors' Conference that during the twenty years of independence nothing as been done for the development of National Language. My reaction in this regard is that it was nothing more than the statement of Hon. Minister. The only difference is that the statement was delivered in English and then in Hindi. I want to know what concrete steps are being taken for the development of National language and how much amount has been stipulated for this is the Fourth Five Year Plan.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार में मैंने इसे बता दिया था। भारत सरकार ने 15 करोड़ रुपया भारतीय भाषाओं के विकास और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए अलग रखा है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को 1 करोड़ रुपया दिया गया है और कई राज्यों ने विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकें तैयार करना पहले ही आरम्भ कर लिया है। वे समन्वय कार्यवाही कर रहे हैं, जहां तक हिन्दी भाषी राज्यों का सम्बन्ध है, चूंकि वे पांच हैं अतएव वे इस उद्देश्य के साथ कार्य करेंगे। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस मामले में गम्भीर हैं कि आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध हों ताकि प्रादेशिक भाषाओं में परिवर्तन सार्थक तथा हमारी नीति के अनुरूप बन सके।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या मैं जान सकता हूँ कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में कितनी प्रगति हुई है और भारत के विभिन्न राज्यों में कितनी श्रेणियों से प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री क्लासों के प्रथम वर्ष तक प्रादेशिक भाषाओं में पढ़ाने में कितना समय लगेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उपकुलपतियों और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना चाहिए।

Shri Balraj Madhok : I want to say you humbly that this Partiament is a sovereign one and she take decision on the policies of the Country. The Parliament Constituted a Committee for education which formulated a National Policy on Education and bo h Houses of Parliament passed that policy unanimously. Leading members of both Houses of Parliament had hand in formulating that policy. Now the Hon. Minister says that Vice-Chancellors are expert. If Vice-Chancelors are experts then what we are. Do they think that this House, including myself, consists of idiots ? Dr. Rao is a Professor. He should not say like this. This is contempt of the House and the educationists by uttering such words. If he thinks that he knows everything then he is wrong. He should not say like this.

श्री मनुभाई पटेल : उन्होंने हमारे लिय 'बेवकूफ' शब्द का प्रयोग किया है।

Shri Balraj Madhok : I have said it for all. It was meant for him as well as to me also.

अध्यक्ष महोदय : वे यह नहीं कह रहे हैं कि हम सब बेवकूफ हैं। वे कह रहे हैं कि हम बेवकूफ नहीं हैं।

Shri Balraj Madhok : The question is not what the Hon. Education Minister has said. But the question is what impression the public has got from it. The Public got the

impression that the Hon. Minister has reversed that policy which Dr Triguna Sen and this Parliament had formulated. With the result the whole teachers give lectures in English in the University where 80 to 90 precent students have Hindi medium. Since the Vice-Chancellor does not want Hindi, because he knows English, so the teaching is going on in English. I want to know that in those Universities which have adopted regional language as medium of instruction then will you decide that the whole teachers of those Universities start giving lectures in Hindi or regional languages without further delay and stop giving lecture in English.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जहां विद्यार्थी प्रादेशिक भाषा के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वहां उनको प्रादेशिक भाषा में पढ़ाया जायेगा और अब वर्तमान सरकार अथवा शिक्षा मन्त्री ने इसको बदल दिया है उनका कहना है कि उन कालेजों में जहां 80 से 90 प्रतिशत हिन्दी जानने वाले विद्यार्थी हैं वहां लेक्चर अंग्रेजी में दिये जाते हैं और उपकुलपति एक अंग्रेज हैं मेरा तात्पर्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय से है और लेक्चर अंग्रेजी में दिए जाते हैं। वे जानना चाहते है कि क्या नीति में परिवर्तन लाया गया है। यह प्रश्न था। मेरा विश्वास है कि हिन्दी के प्रति मेरा समझना ठीक है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं दृढ़तापूर्वक इस बात को अस्वीकार करता हूँ जहाँ यह कहा गया है कि भारत सरकार ने मेरे शिक्षा मंत्री बनने के पूर्व जो नीति प्रतिपादित की थी उसको बदल दिया है। इसके विपरीत मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अब नीति को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। प्रत्येक कालेज, संकाय, विषय तथा देश के किसी भाग में प्रत्येक को अपने मनपसन्द का काम करने की पूरी स्वतन्त्रता है। उपकुलपतियों ने निर्णय लिया है कि हमें डिग्री स्तर तक जाना चाहिए तथा शिक्षा माध्यम में परिवर्तन लाना चाहिए। इसको कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने कुछ व्यावहारिक कदम उठाये हैं। मुझे दुख है कि मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये अभियोग को स्वीकार नहीं करता हूँ। मुझे दुख है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को अंग्रेजी समर्थक बताया है। अंग्रेजी समर्थक या अन्य किसी समर्थक वाली बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब ज्ञान समर्थक तथा शिक्षा में ऊंचा स्तर बनाये रखने के समर्थक हैं।

श्री बलराज मधोक : मैं उत्तर चाहता हूँ। क्या आप इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं कि 80 प्रतिशत विद्यार्थियों ने हिन्दी माध्यम को चुना है और उनको लेक्चर अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं ? क्या आप उनको प्रादेशिक भाषा में लेक्चर देने के लिए कदम उठायेंगे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस सम्माननीय सभा के पूर्ण अधीन में हूं। परन्तु मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या यह सभा विश्वविद्यालय के उपकुलपति को इस दिशा में कदम उठाने के लिए आदेश दे सकती है जिसकी ओर माननीय मित्र का इशारा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री तुलसीदास जाधव।

Shri Tulsidas Jadhav : It has been decided to have regional languages as a medium of Instructions then I want to ask from the hon. Minister that it is generally accepted that a boy, who is well versed in English is given priority in services and if such things go on then how this importance of regional language will come. Have you thought over it.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं जानता कि विशेषकर अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त वालों को प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु मैं जानता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग ने, मेरे विचार में, दो पत्रों में प्रादेशिक भाषा में लिखने की छूट दी है। अतएव मुझे विश्वास है कि प्रादेशिक भाषाओं द्वारा जो अपने विषयों में माहिर हो जाएंगे वे वास्तव में ही लाभ में रहेंगे।

श्री एस० कन्डप्पन : शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षा के माध्यम के बारे में जो सतर्कतापूर्वक दृष्टिकोण अपनाया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें विश्वविद्यालय की शिक्षा में अंग्रेजी को महत्त्वपूर्ण स्थान देना है। मैं उनका उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने कई स्थलों में इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा के स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान स्तर के विद्वानों को इधर से उधर आना-जाना चाहिये मैं नहीं सोचता कि इस देश में कोई भी, जो शिक्षा के स्तर को बनाये रखना चाहता है, इस वक्तव्य की अपेक्षा करेगा।

इस बात को देखते हुए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे देश की अखंडता को खतरे में डालकर अंग्रेजी की उपेक्षा करेंगे, क्या सरकार इस मामले में स्पष्ट है। दूसरा, अंग्रेजी से अन्य प्रादेशिक भाषाओं में जो शिक्षा का माध्यम किया गया है, मैं उसकी व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूँ।

इसके लिए जो धनराशि नियत की गई है वह बहुत कम है। सभी भाषाओं को लगभग 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह हिन्दी को दी गई राशि से कुछ कम है। यह सच हो सकता है कि केन्द्र पर हिन्दी की आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व है परन्तु फिर भी अनुवाद कार्य के लिए जितने धन और काम की मात्रा का प्रश्न है वह किसी विशेष भाषा को बोलने वाले लोगों के समुदाय की संख्या पर सीमित नहीं है। चाहे इस समुदाय की संख्या 1 करोड़ अथवा 8 करोड़ लोगों की हो परन्तु इसमें प्रयुक्त धन तथा मात्रा उतनी ही रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार राज्यों को तेजी से माध्यम बदलने के लिए सहायता की मात्रा बढ़ाने को तैयार है।

डा. वी. के. आर. वी. राव : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सम्भवतः कई भ्रान्तियां पैदा हो गई हैं। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है तो इससे मेरा तात्पर्य पुस्तकालय की भाषा और ज्ञान की भाषा से है। मैं इस सिद्धान्त को नहीं मानता कि राष्ट्रीय एकता को लाने के लिए अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनना चाहिये। मेरा विश्वास है कि प्रादेशिक भाषाएं...

श्री एस० कन्डप्पन . मैंने आपके उत्तर का उदाहरण दिया था।

डा० वी० के० आर० वी० राव : उन्होंने उसका उदाहरण तो दिया है परन्तु वे कुछ अधिक कह गये हैं। इससे इस सभा का यह विचार हो सकता है कि मैंने राष्ट्रीय एकता लाने के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया है। मैंने इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है।

जहां तक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के इधर-उधर आने जाने का प्रश्न है, इस समय यह

डिग्री स्तर तक हो रहा है। डिग्री स्तर के समाप्ति के पश्चात मेरे विचार में स्नातकोत्तर स्तर का प्रश्न उठेगा और फिर उसके बाद माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न आयेगा।

श्री एस० कन्डप्पन : मेरे विचार में यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उन्हीं के वक्तव्य का उदाहरण दिया है। मैंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होने की बात नहीं की है। हमने तमिल को शिक्षा का माध्यम अपना लिया है और इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से इस कथन पर सहमत हूँ कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होनी चाहिए, इस पर कोई झगड़ा नहीं है। मैंने उनके वक्तव्य से जो उदाहरण दिया वह यह कि मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय अपना ही वक्तव्य भूल गये हैं।

शिक्षा के स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों के विद्वानों का इधर-उधर आने जाने की आवश्यकता इस तरह कहने से क्या उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्नातकोत्तर शिक्षा के शैक्षिक स्तर और कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के अन्य स्तरों में अंग्रेजी का ज्ञान होना पूर्व-अपेक्षित है ? मैं यही बात मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद का विषय है।

श्री एस० कन्डप्पन : यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। बहुत से हिन्दी विश्वविद्यालय अंग्रेजी से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या उन्होंने इस पर जोर दिया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मनुभाई पटेल।

श्री एस० कन्डप्पन : धन के आवंटन के बारे में मेरे दूसरे प्रश्न का क्या हुआ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह सच है कि हिन्दी में अनुवाद कार्य के लिये जो राशि नियत की गई है वह अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिये नियत की गई राशि की तुलना में अधिक है, क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं के लिये प्रत्येक राज्य के आधार पर राशि नियत की गई है। इसलिए हिन्दी के लिए 5 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं तथा अन्य भाषाओं के लिये 1 करोड़ रुपये प्रतिभाषा नियत किये गये हैं।

श्री एस० कण्डप्पन : इसका क्या कारण है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ज्योंही मुझे यह पता लगेगा कि विभिन्न भाषाओं के लिये नियत की गई राशि पर्याप्त नहीं है तथा वह समाप्त होने वाली है तो मैं तुरन्त अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रश्न पर सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत करूंगा।

श्री मनु भाई शाह : जहां तक भाषाओं के माध्यम का सम्बन्ध है इसमें कोई सन्देह नहीं कि माध्यमिक स्तर तक और शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद तो उच्च स्तर अर्थात विश्वविद्यालय स्तर तक भी विभिन्न भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जायेगा। मुझे खुशी है कि शिक्षा मंत्री ने इस स्थिति को स्वीकार किया है। अब यह कार्यक्रम पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के स्तर पर रुका पड़ा है। यह तो वही कहावत हुई कि जब तक आप तैरना न

जानते हों, तब तक पानी मे नहीं घुसना चाहिये। उनका कहना है कि जब तक पाठ्य पुस्तकें तैयार नहीं हो जाती, तब तक शिक्षा के माध्यम को नहीं बदला जा सकता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का मत यह है कि उच्चस्तर पर शिक्षा के माध्यम को बदलने का प्रश्न पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के साथ जोडा जाये अर्थात पहले पाठ्य पुस्तकें तैयार की जायें और बाद में शिक्षा के माध्यम को बदला जाये ? यदि आप शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन करते हैं, तो यह स्वभाविक है कि पाठ्य पुस्तकें तैयार हो जायेंगी। क्या सरकार इस स्थिति...

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : इस बात को देखते हुए कि शिक्षा आयोग ने लगभग तीन वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय पहले यह सिफारिश की थी कि स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा के माध्यम को बदलने का काम अधिक से अधिक दस वर्ष में पूरा हो जाना चाहिये तथा इस बात को देखते हुए कि वर्ष 1967 में नियुक्त की गई संसद् सदस्यों की समिति ने इस कार्य के लिये अधिक से अधिक पांच वर्ष का समय निश्चित किया था तथा इस बात को देखते हुए कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षा नीति की घोषणा करते समय देश को ऐसा आश्वासन भी दिलाया था। क्या कारण है कि अभी तक इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षा आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए तथा संसद् सदस्यों की रिपोर्ट को देखते हुए और सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए जिनमें स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा के माध्यम को बदलने के लिये कार्य को पूरा करने के लिये पांच वर्ष की सीमा निश्चित की गई है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय सरकार की नीति बदलने के लिये तैयार नहीं हैं, विशेषतया पब्लिक स्कूलों में बारे में क्योंकि खुले तौर पर पब्लिक स्कूलों का समर्थन किया गया है जो कि धनी व्यक्तियों के पक्ष में हैं और जन साधारण के विरुद्ध है ? उन्होंने सामान्य स्कूलों के विरुद्ध विचार व्यक्त किये हैं, जो कि लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। मैं उनसे वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूँ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यदि माननीय सदस्य ने सामान्य स्कूलों तथा पब्लिक स्कूलों के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा होता तो मैं उत्तर देने को तैयार था। मैं समझता हूँ कि शिक्षा नीति में इस विशेष प्रयोजन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

एक माननीय सदस्य : संसद् सदस्यों के प्रतिवेदन में समय सीमा निश्चित की गई है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने शिक्षा नीति का उल्लेख किया है। उन्होंने कई दस्तावेजों का उल्लेख किया है तथा अन्त में शिक्षा नीति का उल्लेख किया है। सरकार शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित करने के लिये वचनबद्ध है। इसमें केवल यही कहा गया है कि प्रादेशिक भाषाओं का प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है तथा उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिये। कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे माननीय मित्र जो स्वयं एक प्रमुख शिक्षाविद है इस बात से सहमत होंगे कि पांच अथवा चार वर्ष की एक विशेष कालावधि नियत करना बहुत कठिन है। मैं उन्हें यह अश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम यह सुनिश्चित करने के लिये कि शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन के कार्य को पूरा किया जाये अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Achal Singh : The late President had expressed great concern about the students in his Address on 26th January and had said that their future was dark. So keeping this in view I want to know whether any forum is being created at University basis so that necessary guidance can be given to the students ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यदि माननीय सदस्य का आशय छात्रों में अशांति की समस्या अथवा उनमें व्याप्त निराशा आदि की भावना आदि से है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कई कार्यवाहियां की गई हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों के छात्र संघों की बैठक बुला रहा है और उसे आशा है कि इस बारे में कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

श्री जे० एच० पटेल : * *

श्री हेम बरुआ : डा० राव ने राष्ट्रीय विकास परिषद् में जो भाषण दिया था उसके लिये श्री ज्योति बसु द्वारा उन्हें बधाई दी गई थी क्योंकि वह उस समय एक साम्यवादी की भांति बोले थे । राष्ट्रीय विकास परिषद् में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कोई विशेष बात नहीं कही गई थी । इस बात को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति विश्वविद्यालयों की संविधिक निकायों में छात्रों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सके हैं तथा उन्होने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है और यदि हां तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह सच है कि उपकुलपति इस बारे में एकमत नहीं हो सके थे कि छात्रों को विश्वविद्यालयों की संविधिक निकायों में कितना भाग दिया जाये और इसीलिए उन्होंने इस मामले पर विचार करने के लिये उप समिति नियुक्त की है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ कि मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उपकुलपति-सम्मेलन का कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से किया गया था । एक समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ छात्र कल्याण तथा छात्रों के प्रतिनिधित्व के विषय पर विचार विमर्श किया था । सुविधाओं सम्बन्धी कई मामलों में वे छात्रों को समान भाग देने को सहमत हो गये थे । उन्होंने शिक्षक-छात्र परिषद् की स्थापना का भी सुझाव दिया था तथा अन्य कई सुझाव दिये थे । परन्तु समिति का प्रतिवेदन इस प्रश्न में नहीं है कि विश्वविद्यालयों की संविधिक निकायों में छात्रों को सामिल किया जाये । उस बैठक में क्या बातचीत हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है । मैं उस बैठक में हाजिर नहीं था । मैंने समिति को यह सुझाव दिया था कि समिति के प्रतिवेदन में उस विशेष वाक्य को शामिल करने की वजाय इस मामले को विचार करने के लिये यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी दल को सौंपा जाये तो अधिक अच्छा रहेगा । वे ऐसा करने को सहमत हो गये हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूँ कि शिक्षा आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के बारे में शिक्षा मंत्री की क्या राय है ? मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूँ कि उन विभिन्न मामलों

* * कन्नड़ में बोले ।

के बारे में जिनको उप कुलपतियों के हाल के सम्मेलन में उठाये जाने का प्रस्ताव था, उनका क्या मत है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं यह नहीं समझ सका हूँ कि इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वास्तव में क्या कर सकता है। यह उस तरह की कार्यपालिका नहीं है, जैसा कि सामान्यतया समझा जाता है। फिर भी मैं यह पता लगाने का अवश्य प्रयत्न करूंगा कि सिफारिशों की क्रियान्विति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कितनी सहायता कर सकता है।

श्री रा० की० अमीन : मैं माननीय मंत्री से दो बातें जानना चाहता हूँ। शिक्षा के माध्यम के बारे में अनेक परिक्षण किये गये गये हैं, विशेषरूप से गुजरात राज्य में एक परी शिक्षा का माध्यम लागू करने करने के लिए एक परीक्षण किया गया था और विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध की गई थीं। फिर भी स्तर गिरता रहा है और इन परिक्षणों से विद्यार्थियों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचा है, विभिन्न पाठ्य पुस्तकें लगाई जाने पर भी स्तर घटता जा रहा है क्योंकि अंग्रेजी का स्तर घट गया है। क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि शिक्षा का माध्यम बदलने का निर्णय करते समय वे यह भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे विश्व विद्यालयों में अंग्रेजी का स्तर नहीं गिरता है ! शिक्षा सम्बन्धी मामलों को विद्यार्थियों के भाग लेने के बारे में, मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने से पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से परामर्श किया जायेगा ?

डा वी० के० आर० वी० राव : पहले प्रश्न के बारे में, मैं ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा था कि शिक्षा का माध्यम बदलने से पहले यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि समझने की भाषा अथवा पुस्तकालय भाषा के रूप में अंग्रेजी प्रयोग करने के लिये विद्यार्थियों में पर्याप्त आत्मविश्वास उत्पन्न हो। दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे नहीं मालूम कि इसे परिचालित किया गया है अथवा नहीं, विधेयकों के परिचालन के लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं। यह तो सभा के सचिवालय द्वारा किया जाता है। मैं उपकुलपतियों को भी पत्र भेजकर प्रार्थना करूंगा कि वे देखें कि विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का शिक्षकों को अवसर दिया जाये।

Dr. Sushila Nayyar : Sir. The hon. Minister is well aware that our teachers find it convenient to teach in English since they themselves received their education through the medium of English. Unless you lay down a deadline, the medium of instruction is not going to be changed and the text books are also not going to be prepared. The hon Minister is also aware that students do not follow the lessons given to them in English. It is necessary in the interest of educational, standard that the medium of instruction is changed on the earliest. The standard of English is deteriorating in the entire country and inspite of all efforts the standard of English can not be high. May I know whether the hon. Minister is going to fix a deadline for the change over of medium of instruction ?

Secondly, in this connection I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that English was also the medium of instruction and examination for matriculation in the past, which was charged after similar agitation. In the beginning at that time, students were given the option of answering their question papers in English, or in their mother tongue as they desired. So, will the hon. Minister think of allowing the students to answer their question papers in their mother tongue through the entire medium

of instruction may take some time to change. It will benefit the students and help to raise the standard of education.

डा० वी० के० आर० वी० राव : श्रीमन, पहले प्रश्न के बारे में, मैं आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं एक निश्चित तारीख निर्धारित करने की सिफारिश करूंगा जब तक कि मैं सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि पाठ्य पुस्तकों की सामग्री तैयार करने के बारे में समुचित प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को लिखने के बारे में, मैं यह बताना चाहता हूं कि उपकुलपति स्वायत्तशासी व्यक्ति हैं और विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें तथा शिक्षा राज्य विषय है और इसलिए शिक्षा के माध्यम के बारे में केन्द्र द्वारा कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निश्चित सीमायें हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी : अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि सम्पूर्णानन्द भावनात्मक एकता समिति ने, जिसके प्रधान मंत्री एक सदस्य थे, उसकी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की थीं—स्पष्ट रूप से सिफारिशें की कि अंग्रेजी स्थायी रूप से रहनी चाहिए..... (**अन्तर्बाधा**) क्या इस समिति ने सिफारिश की थी कि अंग्रेजी वैकल्पिक माध्यम रहना चाहिए ताकि प्रतिभाशाली भारतीय प्रतिभा के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकें ? (**अन्तरबाधा**) क्या कोठारी शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रतिभा का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए सभी अखिल भारतीय संस्थानों और प्रमुख विश्वविद्यालयों में माध्यम अंग्रेजी रहनी चाहिए। अन्त में, क्या उन्हें मालूम है कि उच्चतम न्यायालय ने एक मुकदमे में, जिसमें मैं वकील था—यह गुजरात विश्वविद्यालय का मामला था—घोषणा की थी कि आप किसी प्रादेशिक भाषा को, हिन्दी अथवा गुजराती, शिक्षा का एकमात्र माध्यम नहीं बना सकते हैं क्योंकि इससे शिक्षा का स्तर गिर जायेगा और संविधान अनुच्छेद.....(**अन्तरबाधा**) क्या इन आयोगों और समितियों, जिनकी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की हैं, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वे आश्वासन देंगे कि वे ज्ञानविरोधी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे ?

Shri Bibhuti Mishra : He is falling of standard. The English knowing people have raised the country.

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य के लिए इन सब प्रतिवेदनों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। वे केवल एक आश्वासन चाहते हैं कि मै ज्ञान विरोधी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूँ कि इन सब प्रतिवेदनों की जानकारी न होने पर भी मेरा विचार किसी भी परिस्थिति में ज्ञानविरोधी दबाव के आगे झुकने का नहीं है चाहे मुझे कुछ भी परिणाम भुगतने पड़ें। (**अन्तर्बाधा**)

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir, this is no answer. It is an important question, we should also be given time. The Britishers have gone, this government will also go.

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय दूसरी बार उत्तर दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय चाहें, तो वे कुछ और कह सकते हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मैं

माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रश्न में उल्लिखित ज्ञानविरोध के केवल सामान्य विषय का उत्तर दे रहा था। मैं उनके द्वारा कही गई अन्य बातों से सहमति व्यक्त नहीं कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य मेरा उत्तर ठीक प्रकार क्यों नहीं समझ सके।

श्री बलराज मधोक : वे अंग्रेज हैं, भारतीय नहीं, और हम देखते हैं कि मानवीय मंत्री उनसे सहमत हैं।

श्री शिव नारायण : हम स्कूलों के बच्चे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० वी० के० आर० वी० राव बुद्धिमानी से प्रश्न का उत्तर दे रहे थे; उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा कही गई कोई बात स्वीकार नहीं की है बल्कि केवल इतना कहा है कि वे दबाव में कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री जे० एच० पटेल : **

कुछ माननीय सदस्य : मंत्री महोदय कन्नड़ में उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : यहां माननीय सदस्य किसी को किसी विशिष्ट भाषा में बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि वे प्रश्न समझ सके हैं, तो वे उत्तर दे सकते हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : प्रश्न कन्नड़ में पूछा गया है। श्री जे० एच० पटेल मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और वे जोर देते हैं कि प्रश्न का उत्तर कन्नड़ में दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार जोर देने का किसी को अधिकार नहीं है। हमें समय बेकार नहीं करना चाहिए।

श्री क० लक्कप्पा : मंत्री महोदय कन्नड़ जानते हैं, इसलिए कन्नड़ में उत्तर दे सकते हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : जब मंत्री महोदय कन्नड़ में बोल सकते हैं, तो उन्हें इस अवसर से क्यों वंचित रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। हम इस पर एक घण्टा दे चुके हैं। जब भी हम भाषा का प्रश्न लेते हैं, उस में तनाव पैदा हो जाता है। सभा के समक्ष अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है। पहले ही काफी समस्या है। हमें गड़बड़ी को बढ़ाना नहीं चाहिए। यदि कोई इसे हल कर सकता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और समूचे भारत को बड़ी प्रसन्नता होगी।

डा० वी० के० आर० वी० राव : स्पष्ट है कि मेरा कन्नड़ में उत्तर देना संभव नहीं होगा क्योंकि यह सत्र में अपने उन सभी साथियों के प्रति असम्मान प्रकट करना होगा, जो कन्नड़ नहीं जानते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आया।

** कन्नड़ में बोले

डा० वी० के० आर० वी० राव : एक मंत्री, जो सभा के सेवक हैं, और एक सदस्य, जो स्वतंत्र हैं, की स्थिति में अन्तर है। सरकार का सदस्य होने के नाते मैं सभा का सेवक हूँ और इसलिए यदि मैं ऐसी भाषा में बोलता हूँ, जिसे अनेक सदस्य नहीं जानते हैं, तो मेरी राय में यह एक अपराध होगा। मैं श्री पटेल से प्रकोष्ठ में बात कर सकता हूँ और उन्हें अपनी टूटी-फूटी कन्नड़ में उत्तर बता सकता हूँ।

श्री क० लकप्पा : वे ऐसा क्यों कहते हैं कि वे माननीय सदस्य से प्रकोष्ठ में बात करेंगे और वहां उत्तर देंगे। उन्हें माननीय सदस्य का इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। **(अन्तर्बाधा)**

श्री एन० शिवप्पा : कन्नड़ में उत्तर देने से सत्र का किस प्रकार असम्मान होता है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : कन्नड़ का मेरा ज्ञान मेरे माननीय मित्रों जैसा अच्छा नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण सूचना।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक नीति को उदार बनाना

*1654. **श्री मणीभाई जे० पटेल :**
श्री प० मु० सईद :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने और महत्वपूर्ण कच्चे माल के विनियंत्रण की प्रगतिशील उदार नीति से लघु उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इससे छोटे एककों का बड़े एककों से कड़ा तथा अनुचित मुकाबला करना पड़ेगा;

(ग) क्या उक्त बातों को देखते हुए भारत के लघु उद्योग घन्धों के महासंघ ने लघु क्षेत्र को (संरक्षण) देने के लिये औद्योगिक नीति संकल्प में समुचित संशोधन करने की मांग की है;

(घ) महासंघ द्वारा सरकार के विचार के लिये अन्य क्या प्रस्ताव किये गये हैं; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). लघु उद्योगों के विकास पर सावधानी से विचार किये बिना उद्योगों

को लाइसेंस प्राप्त करने से मुक्त करने का विचार नहीं है लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार सतत प्रयत्नशील है।

(ग) फेडरेशन ने संकल्प में संशोधन करने का सुझाव दिया है।

(घ) और (ङ). फेडरेशन ने कृषि उद्योगों के विकास, सरकारी माल के खरीद कार्यक्रम में लघु उद्योगों को और अधिक हिस्सा दिये जाने और कमी वाले कच्चे माल अधिक परिमाण में उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। सरकार इस मामले में स्थिति से पहले से सजग है और जहां जब भी और कहीं आवश्यक होता है यथा संभव कार्यवाही करती है।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति

*1655. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने उद्योगों के केन्द्रीय बोर्ड अथवा ऐसे ही किसी संगठन के समक्ष विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति में संशोधन के बारे में भाषण दिया था;

(ख) यदि हां, तो निर्यात प्रधान व्यापार तथा औद्योगिक उपक्रमों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हीरो और अन्य वस्तुओं के निर्यात के बारे में कोई उपक्रम स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) विचाराधीन ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 3 जनवरी, 1969 की उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् के उद्घाटन भाषण में कहा गया था कि :—यह सुनिश्चित करने के लिये विदेशी सहयोग करार निर्यात में बाधा होने की अपेक्षा सहायक बने, निम्नलिखित मार्ग दर्शक सूत्र निर्धारित किये गये हैं :—

(क) विद्यमान सहयोग करार जो निर्यात में बाधा डालते हैं जब नवीकरण के लिये आयें तो इन बाधाओं का या तो पूर्ण रूप से विलोप कर दिया जाये या उन्हें पर्याप्त रूप से हटा दिया जाये। यदि विदेशी सहयोगी इसके लिये उद्यत न हो समझौते के नवीकरण की अनुमति न दी जाये।

(ख) नये करारों की निर्यात बाधाओं के विलोपीकरण की दृष्टि से कड़ाई से जांच की जानी चाहिये। दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि केवल विदेशी सहयोगी के देश अथवा ऐसे देशों को जिन में इस उत्पादन क्षेत्र में विदेशी सहयोगी की एक संयुक्त कम्पनियां हों को छोड़कर सभी देशों को निर्यात करने की छूट होनी चाहिए।

(ग) उत्पादन के कम प्राथमिकता प्राप्त या अनावश्यक क्षेत्र जहां सामान्यत: विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती, में उन मामलों में कुछ छूट दी जाये

और विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाये जिनमें विदेशी सहयोगी उत्पादन का अधिकांश निर्यात करने के लिये तैयार हो जाता है।

(घ) व्यापारिक कार्यों में विदेशी सहयोग की अनुमति न दिये जाने की वर्तमान नीति में छूट दी जाये यदि विदेशी सहयोग निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य में हो।

(ग) और (घ). एक गैर सरकारी पार्टी ने हीरो के व्यापार के लिये इंग्लैंड की एक फर्म से सहयोग करार का प्रस्ताव किया था। संयुक्त कम्पनी के इस प्रस्ताव को विदेशी फर्म के पर्याप्त हिस्से होने के कारण लाभप्रद नहीं समझा गया और पार्टी को इस से सूचित कर दिया गया। निर्यात योजनाओं के इस प्रकार के एक या दो और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर विदेशी विनियोजन बोर्ड शीघ्र ही विचार करेगा और तत्पश्चात अन्तिम निर्णय लिये जायेंगे।

इस्पात 'डिस्कों' का निर्माण

*1656. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सहयोग से इस्पात 'डिस्क' बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) इस उद्योग को कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) उस का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). विदेशी सहयोग से इस्पात की चकतियां बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। फिर भी निर्णय यह किया गया है कि इसके निर्माण के लिए विदेशी सहयोग की स्वीकृति न दी जाये।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

*1657. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण में भारी घाटा होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कारखानों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रबन्धक प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार था उसे लागू नहीं किया गया है ।

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की उत्पादन प्रणाली पर मांग के अनुसार अमल नहीं किया जा रहा है और जबकि कुछ वस्तुओं का मांग से अधिक उत्पादन किया जा रहा है, अन्य वस्तुओं की भारी कमी है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के क्या कारण हैं, इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है और इस कम्पनी को सही तौर पर कब पुनर्गठित किया जा सकेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफी कम घाटा होने की सम्भावना है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक ढांचे का पुनर्गठन करने का मुख्य उद्देश्य कम्पनी में निदेशक-मण्डल को सशक्त बनाना था । इस बात को ध्यान में रखते हुई भिलाई, राउरकेला व दुर्गापुर इस्पात कारखानों के महा-प्रबन्धकों को निदेशक-मण्डल में पुनः शामिल किया गया है । निदेशक-मण्डल में दो सरकारी प्रतिनिधि तथा कुछ गैर-सरकार सदस्या पहले से ही हैं। तीन कार्यकारी निदेशकों में से दो की नियुक्ति की संस्वीकृति दे दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को दिये गये संरक्षणों की कार्यान्विति

*1658. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के 19वें सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास करके सरकार से अनुरोध किया है कि यह जांच करने के लिये उच्चतत न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना की जाये कि अनुसूचित जातितों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दिये गये संरक्षणों या रियायतों को किस तरह तथा कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी संसदीय समिति की नियुक्ति से उच्च अधिकार आयोग की आवश्तकता बहुत हद तक पूरी हो गई है ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन

*1659. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 29 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 1968 में ऊटाकमण्ड में हुए मुख्य निर्याचन अधिकारियों के सम्मेलन की सिफारिशें अब निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पर क्या निर्णय किये गये ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में ईरानी तकनीकों को प्रशिक्षण

*1660. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में 500 ईरानी तकनीशनों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या ये सुविधायें भारतीय स्नातकों और डिप्लोमा होल्डरों को भी दी गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अपने कारखानों में 509 ईरानी प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए ईरानी के राष्ट्रीय इस्पात निगम के साथ एक करार किया है। प्रशिक्षण-व्यवस्था 1971 के अन्त तक चलेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Railway Accidents

*1661. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total nnmber of railway accidents that took place in the country during the last three years ;

(b) the number out of them caused due to mechanical defects and negligence of the crew ; and

(c) the value of loss to the Government property caused as a result of these accidents during this period ?

The **Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) During the last three years i e. 1966-67 to 1968-69, there were 3, 114 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossing and fires in trains on the Indian Government Railways.

(b) Of 2,974 train accidents, the causes of which have been finalised, 295 were caused by failure of mechanical equipment and 1,879 were due to failure of railway staff including the crew.

(c) The cost of damage to railway property during 1966-67 and 1967-68 upto which period the information is available was estimated at approximately Rs. 2,47,48,278/-.

कागज उद्योग को रिआयतें

*1662. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज उद्योग को वित्तीय रियायतें देने के कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कागज उद्योग के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के बारे में जो ऋण-सामान्य अंश का वर्तमान अनुपात है उस को बदल दिया जाये ;

(ग) क्या ऐसा भी प्रस्ताव है कि जो कागज मिलें नियमित रूप से काम कर रही है उन्हें विदेशी मुद्रा के आवंटन में प्राथमिकता दी जाये ; और

(घ) अन्य क्या-क्या शिकायतें इस समय विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (घ). कागज, लुगदी तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् की अक्तूबर, 1968 तथा जनवरी, 1969 को हुई बैठक में कागज उद्योग को कुछ वित्तीय रियायतें देने के लिये कुछ सुझाव दिए गये थे । ये सुझाव अभी परिषद् की समन्वय समिति के विचाराधीन हैं ।

(ग) कागज उद्योग को सम्पूर्ण रूप में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में पहले से ही शामिल कर लिया गया है और उसे कच्चे माल तथा उन कागज मिलों को जो अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक अंश को निर्यात करती हैं उन्हें आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों की आवश्यकताएं पूरी करने लिए उन की रूचि वाले देशों से विदेशी मुद्रा दी जाती है । इस के अतिरिक्त कागज मिलें जो अपने उत्पादों का निर्यात करती हैं वे कच्चे माल का आयात करने के लिये 10 प्रतिशत निर्यात अल्पपूर्ण लाइसेंस प्राप्त करने तथा जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक नकद सहायता पाने की हकदार होगी जो निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगा । निर्यात करने वाले एककों के साथ सन्तुलन संयंत्र संबंधी आवश्यकता तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिये पूंजीगत वस्तुओं के लाइसेंसों के मामले में 'मूलभूत' उद्योग जैसा की व्यवहार किया जाता है ।

भिवानी से रोहतक तक बड़ी रेल लाइन

*1663. **श्री क० लकप्पा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री भिवानी से रोहतक तक बड़ी रेलवे लाइन के बारे में 19 नवम्बर, 1968 तारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिवानी से रोहतक तक बड़ी रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना से मालूम होता है कि फिलहाल रोहतक-भिवानी रेल लाइन को बनाने का औचित्य नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में एक रेल डिब्बे से चुराये गये कालीन

*1664. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पहले बंगाल में किसी स्थान पर एक रेल डिब्बे से किसी अन्य देश के लगभग 3 लाख रुपये के मूल्य के कालीन गुम पाये गये थे ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा विस्तृत जांच किये जाने के परिणामस्वरूप अपराधी पकड़े गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों का विवरण क्या है तथा रेल डिब्बे से इन कालीनों की चोरी कैसे हुई थी ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हाँ। 16 दिसम्बर, 1968 को भारत में प्रदर्शनी के लिए फ्रांस सरकार द्वारा भेजी गयी फ्रांसीसी टेपस्ट्री, न कि गलीचे की चोरी हावड़ा-मद्रास डाकगाड़ी के लगेज वैन से हुई जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 30,000 फ्रैंक या 45,000 रु० बताया जाता है।

(ख) जी हाँ।

(ग) 7 बाहरी आदमी जो उलबेड़िया जिला हावड़ा के थे और दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा दल के 2 रक्षक इस चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये हैं।

टैपेस्ट्री चुराने वाले अपराधी हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी में चढ़े और हथौड़ी-छैनी से छत को काटकर लगेजवान में घुसे। उन्होंने चुराया हुआ माल उलबेड़िया स्टेशन के पास व्यवस्थित स्थानों पर गिराया।

बिलेटों का निर्यात

*1665. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्बेलन मिलों ने अपने उत्पादों के लिए अच्छा निर्यात व्यापार बाजार बना लिया है तथा भारत से बिलेटों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की राष्ट्रीय हानि होती है क्योंकि छड़ों तथा शलाखों के प्रति टन निर्यात की तुलना से बिलेटों के प्रति टन निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है ;

(ख) सरकार बिलेटों का निर्यात कैसे न्याय संगत समझती है जबकि भारत में बिलेटों की मांग कभी पूरी नहीं हुई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में भारत में कुछ पुनर्बेलन मिलें बन्द हो गई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) निर्यात के क्षेत्र में पुनर्बेलकों ने गत दो वर्षों में अच्छा काम किया है। सामान्यतः बिलेट की अपेक्षा छड़ों तथा गोल छड़ों के प्रति टन निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

(ख) बिलेट के निर्यात की उस समय अनुमति दी गई थी जब घरेलू खरीद कम थी तथा उत्पादकों के पास बहुत माल जमा हो गया था। इस समय बिलेट के निर्यात की अनुमति पहले तै किये गये सौदों तथा राष्ट्रीय हित में थोड़ी मात्रा के अलावा नहीं दी जाती।

(ग) ऐसी सूचना मिली है कि बिलेट की कमी के कारण गत कुछ महीनों में कुछ पुनर्बेलन मिलों को भिन्न-भिन्न अवधियों के लिये बन्द करना पड़ा। पुनर्बेलन मिलों को बिलेट की सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं। प्रमुख उत्पादकों से बिलेट की यथा संभव अधिकतम सप्लाई करने को कहा गया है और इस दिशा में एक कदम यह उठाया गया है कि टिस्को को दुर्गापुर इस्पात कारखाने से 100,000 टन पिण्ड सप्लाई किये जायंगे जिनसे वे बिलेट का अतिरिक्त उत्पादन करेंगे। यह भी फैसला किया गया है कि सरकार की पूर्व अनुमति किये बिना बिलेट के निर्यात के लिए कोई नये करार न किये जायं।

Applications for Establishment of New Scooter Factory

*1666. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Ram Kishan Gupta :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that applications had been invited by the Government in March, 1965 for issuing licences for setting up new Scooter factories and that 191 applications were received in response thereto ;

(b) whether it is also a fact that these applications were scrutinised by the Kamath Committee and only 17 applications have been recommended by them ;

(c) whether a sub-Committee was appointed by Government in September, 1967 to further scrutinise the applications and that the said Committee selected only three applications, one of which contains the proposal submitted by Bharat Commerce and Industries Ltd., Bombay to set up their plant in Madhya Pradesh ; and

(d) if so, whether Government have taken a decision in this regard and if not, the time by which it is likely to be taken ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) Only 13 applications had been selected by the Kamath Committee as suitable for further detailed consideration but the Licensing Committee had added 4 more to the list.

(c) Of the 17 schemes, only four schemes, adjuged the best among them and worthy of further examination are, at present, pending with Government for selection of one scheme for licensing. All other schemes including the scheme of M/S. Bharat Commerce and Industries have been rejected.

(d) Decision to select one out of the four schemes for the grant of licence is expected to be taken shortly.

लद्दाखी खानाबदोश

*1667. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख खानाबदोश व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उनके जीवन निर्वाह की स्थिति में आगे सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). लद्दाख में चम्पा नामक केवल एक ही वर्ग को खानाबदोश आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है । उन्हें भी जम्मू तथा काश्मीर की अन्य पिछड़ी जातियों को प्राप्त मैट्रिक-पूर्व मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां तथा वजीफें जैसी सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता दे दी गई है / चम्पाओं को लद्दाख के विकास के लिए चलाई जाने वाली सामान्य योजनाओं से भी लाभ मिलता है ।

Distribution of Scooters

*1668. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that people are not getting scooters though they had booked them many years ago ;

(b) the present position of the waiting list for each type of scooters ;

(b) whether Government are also aware that each type of scooter is readily available in the black-market ; and

(b) the action proposed to be taken by Government to check the black-marketing of the scooters, to regulate its distribution and to facilitate its purchase, particularly by the lower middle class people ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of orders of the three makes of scooters pending with the various dealers in the country as at the end of March, 1969, is as under :— .

i. Vespa	1,41,953
ii. Lambretta	74,330
iii. Fantabulus	Nil

(c) No specific instance of black-marketing has been brought to the notice of Government.

(d) In order to secure equitable distribution of scooters in the country the distribution and sale of scooters has been brought under statutory control. There is also an informal control over the selling prices of the scooters and nobody need pay a price higher than the price approved by Government. Further, apart from facilitating existing units to produce upto their full capacity, Government propose to license a new unit of a capacity of 50,000. All these steps, it is expected, will increase the availability of scooters at reasonable prices and bring supply and demand in better balance.

Manufacture of Small Tractors

*1669. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a report published in daily 'Hindusthan' (Hindi) dated the 12th March, 1969, 12 horsepower tractors priced between 11 and 12 thousands of rupees and manufactured totally with indigenous parts would be manufactured by an Engineering firm and intially 1000 tractors would be turned over by firm every year ; and

(b) if so, the name and location of this firm and the nature of facilities provided by Government to encourage them so as to enable small farmers to have more utilisation thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). Government have not received any proposal for the manufacture of 12 HP tractors with all indigenous components. A proposal from a New Delhi firm for the manufacture of 8 HP Diesel tractor without any foreign collaboration of foreign exchange expenditure has, however, recently been received. It is also learnt that a firm in Meerut has also developed and 8 HP tractor without any foreign collaboration. They have, however, not yet submitted any scheme for manufacture of this tractor. The prototype tractors have not yet been tested at the Tractor Training and Testing Station, Budni. Government will consider the proposal received by them after the prototype of tractor is tested at the Tractor Training and Testing Station, Budni and found suitable.

पटना में लघु उद्योग

*1670. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोरिंग रिंग मशीनें, स्लाट कटिंग मशीनें, पाइप ब्रास स्ट्रेनर आदि बनाने वाले बहुत से लघु उद्योग पटना में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार उन उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है और इस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वे आटे की मिलों के लिये भी उपकरण बनाते हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें सहायता देने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). बिहार सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सिगरेट उद्योग में विदेशी पूंजी विनियोजन

*1671. **श्री बिक्रम चन्द महाजन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट उद्योग में कम्पनी-वार कितने प्रतिशत विदेशी शेयर पूंजी लगी हुई है और इन विदेशी शेयर पूंजी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1964 से 1967 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष में विदेशी शेयर पूंजी वाली कम्पनियों में कम्पनी-वार सिगरेटों की अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना था ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक विदेशी कम्पनी ने प्रति वर्ष कितना लाभांश घोषित किया

तथा लाभांश, स्वामित्व तथा अन्य शीर्षों के अन्तर्गत पारिश्रमिक के रूप में वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा भेजी गई ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1125/69]**

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1125/69]**

(ग) सामान्यतः ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जाती।

Election Petitions Filed Against M. L. A. and M. Ps. elected in 1967

*1672. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of M. L. As. and Members of Lok Sabha elected in 1967, against whom election-petitions were filed ;

(b) the number of such petitions on which decisions have since been taken ;

(c) the number of such petitions pending so far ;

(d) whether any petitions pertaining to 1962 election are still pending if so, the number thereof ; and

(e) the reasons for not deciding them so far ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). Two statements are placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1126/69].

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

वरिष्ठ सदन को समाप्त करने के लिए पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किया गया स्वरूप

*1673. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में वरिष्ठ सदन समाप्त करने के लिये राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया संकल्प आवश्यक कार्यवाही के लिए केन्द्र को भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल विधान सभा का संकल्प कार्यान्वित करने के लिए एक विधेयक लोक सभा में शीघ्र ही पुन स्थापित किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

*1674. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के सम्बन्ध में ज्ञापन के बारे में क्रमशः 26 अगस्त, 1968, 5 दिसम्बर, 1968 और 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5786,3428 और 3544 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ज्ञापन में उठाई गई विभिन्न बातों पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या उठाई गई विभिन्न बातों पर सरकार का दृष्टिकोण ज्ञापन के हस्ताक्षर कर्ताओं और आयुक्त को बता दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). मुख्य बात इस अधिकारी के द्वारा दिए गए कथित कतिपय बयानों के निर्वचन की है । इस बारे में अनौपचारिक परामर्श समिति की 30 अगस्त, 1968 को हुई बैठक में बताया गया था कि संबद्ध बयानों के न्यायिक परीक्षण से इस तर्क की पुष्टि नहीं होती है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों के विरुद्ध बयान दिए गए थे ।

Rehabilitation of Garhia Lohar Tribe

*1675. **Shri P. L. Baru Pal** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the families of nomadic Garhia Lohars who are pledged from the time of taking of pledge by Maharana Partap, endeavoured to meet some Union Ministers in the last week of March in connection with their rehabilitation ;

(b) whether some of them staged a 'Dharna' in front of Parliament House and the Prime Minister's residence ;

(c) whether it is also a fact that the Government of Rajasthan organised a big conference after formulating an extensive scheme for the rehabilitation of those Garhiya Lohars who were deposed from Chittoor during the Mughal war and whether any success was achieved;

(d) the expenditure incurred separately by the State Government and the Central Government on the above conference and the full details thereof ; and

(e) the action being taken by Government in regard to settlement of those families ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. Smt Phulrenu Guha) : While the Minister of State for Social Welfare was away on tour, a few members of the Garhia Lohar community presented and application to the Minister's personal staff.

(b) No information in this regard has come to Government's notice.

(c) to (e). An all India Garhia Lohar Convention was held at Chittorgarh on the 6th April, 1955. As the conference was held fourteen years ago, it is not feasible to furnish details of expenditure at this stage.

During the years 1956-57, ten Settlement (Colonies) were established for members of this community. The facilities provided included free housing and allotment of agricultural land, training-cum-production centres for blacksmithy products, primary schools etc. Only a few families chose to remain in these Settlements; after a few years, many of them reverted to their nomadic way of life.

बोकारो में औद्योगिक गैस बनाने के लिये लाइसेंस

*1676. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोकारो में औद्योगिक गैस बनाने के लिए नया औद्योगिक लाइसेंस दिया है, यद्यपि गैस सिलिन्डरों की कमी के कारण बोकारों के निकटवर्ती क्षेत्र में इस उद्योग की काफी क्षमता बेकार पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो नये लाइसेंस देने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का इसे रद्द करने का विचार है ; और

(ग) सरकार देश में गैस सिलिन्डरों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). बोकारो में औद्योगिक गैसों के निर्माण हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस जारी नहीं किया गया है किन्तु बोकारों में तथा उसके इर्द-गिर्द विभिन्न खानों, कोयला धोने के कारखानों तथा उपभोक्ताओं के काम आने वाली अन्य औद्योगिक गैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैसर्स ईस्टर्न आक्सीजन कम्पनी को 20 जनवरी 1969 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। यह आशय-पत्र छः मास की अवधि के लिये मान्य होता है और अगर उसमें निर्धारित शर्तों के इसी अवधि में पूरा नहीं कर लिया जाता तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

(ग) अन्य प्रेशर के गैस सिलेंडरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्रों में एक संयंत्र स्थापित करने का सिद्धांत रूप से निर्णय कर लिया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई इस संयंत्र की परियोजना तथा सम्भाव्यता रिपोर्ट विचाराधीन है।

मैसर्ज परमानेट मेगनेटस लिमिटेड में वित्त मन्त्री के विशेष सहायक श्री टोपे के शेयर

*1677. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के विशेष सहायक श्री टोपे के पास मैसर्ज परमानेट मेगनेट्स लिमिटेड के शेयर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके कुल कितने शेयर है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अट्ठाइस हिस्से, जैसा कि 28 जून, 1968 तक बनाई गई कम्पनी की वार्षिक विवरिणी में दिखाया गया है ।

केरल विधान सभा द्वारा पास किया गया भूमि सुधार विधान

*1678. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल विधान सभा ने केन्द्र द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद हाल में भूमि सुधार विधान पास किया है ; और

(ख) यदि हां तो आपत्ति करने के क्या कारण थे तथा क्या इस विधान से संविधान के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन होता है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) जानकारी गृह मन्त्रालय से संगृहीत की जा रही है जिनका सम्बन्ध उस विषय से है जिसके बारे में यह प्रश्न किया गया है ।

Inter-Caste Marriages

*1679. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government have taken certain concrete steps to encourage inter-caste marriages in the country with a view to promoting unity and mitigating social, prejudices in India ; and

(c) if so, whether the boys and girls who have contracted inter-caste marriages or might do so, would be given preference in Government services, in admission to Government Training Centres and in securing other facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phulrenu Guha) : (a) and (b). Some State Governments have introduce financial incentives to encourage inter-caste marriages.

Concessions in appointment will not be permissible under the Constitution, but the Scheduled Caste party in such marriages will continue to be eligible for all benefits admissible to the Scheduled Castes.

एच० एम० टी० घड़ियों के और कारखानों की स्थापना

*1680. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों में एच० एम० टी० की घड़ियों के कारखाने स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा कश्मीर में घड़ियों का निर्माण करने के लिए एक कारखाना लगाने का विचार है। इस परियोजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

रेलवे के तार बाबुओं के पद नाम में परिवर्तन

9363. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी रेलवे में तार बाबूओं के पदनाम में परिवर्तन नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले पांच वर्षों में कई वर्गों के पदनाम बदले गये ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) बहुत ही म कोटियों के पदनामों में परिवर्तन किये सेये हैं।

(ग) पदनामों में ये परिवर्तन इस आशय से किये गये थे कि इन पदों के धारकों को जिस प्रकार की ड्यूटी देनी पड़ती है, वह उनके पदनामों से भली प्रकार प्रतिभासित हो सके।

भारतीय रेलों की तार शाखाओं में सिग्नेलरों के पद

9364. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भारतीय रेलों में डिवीजन-वार तार शाखाओं में सिग्नेलरों के कितने पदों को समाप्त किया गया ; और

(ख) उन्हें समाप्त करने के क्या कारण हैं?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन सम्बन्धी कार्यकारी दल

9365. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों के अनुसार आंध्र प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े छः राज्यों में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगीकरण के लिये अधिक राशि नहीं दी जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यकारी दल द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की

पहचान के लिए अपनाये गये माप दण्डों के के अनुसार आंध्र प्रदेश को देश का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझा जाता है। कार्यकारी दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो इस समय राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति के विचाराधीन है। विचार पूर्ण होने के पश्चात् इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के एक सदस्य का विमति टिप्पण

9366. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के एक सदस्य श्री आर० अच्युतन ने अपने विमति टिप्पण में कहा है कि निहित स्वार्थ गरीब लोगों के दुर्भाग्य से लाभ उठाने के लिए अस्पृश्यता को बढ़ा-चढ़ा कर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) श्री अच्यूतन के अपने विमति लेख के द्वितीय पैराग्राफ में इस प्रकार का मत प्रकट किया प्रतीत होता है।

(ख) रिपोर्ट तथा विमति लेख पर सरकार विचार कर रही है।

Wanchoo and Pande Commitee Reports on Backward Areas

9367. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports of Wanchoo and Pande Committees on backward areas ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which Government propose to take a decision in regard to their recommendations for the industrialisation of the backward areas like Madhya Pradesh ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The reports of the Working Group are under examination, at present, by the Committee of the National Development Council. These will be placed on the Table of the House after the examination is completed.

मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की अतिरिक्त क्षमता

9368. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की अतिरिक्त क्षमता के लिए आशय-पत्र जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता की स्वीकृति दी गई है ;

(ग) किन-किन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) वे किस तारीख तक उत्पादन आरम्भ कर देंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूबों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गये हैं :—

क्रमांक	पार्टी का नाम	स्वीकृत क्षमता
1.	मेसर्स प्रीमियर टायर्स लिमिटेड कलमाश्शेरी केरल	प्रतिवर्ष 3,00,000 नग मोटर के टायर और टयूब
2.	मेसर्स गुडईयर इण्डिया लिमिटेड बल्लभगढ़ हरयाणा	प्रतिवर्ष 87,000 नग मोटर के टायर और टयूब

(घ) यह पूर्वानुमान है कि 1971 के मध्य तक इन फर्मों द्वारा उत्पादन किया जाने लगेगा ।

महाराष्ट्र में विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

9369. **श्री देवराव पाटिल** : क्या विधि तथा कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1967-68 में महाराष्ट्र में कितने विद्यार्थियों को अल्प आय वर्ग छात्रवृत्तियां दी गई है ;

(ख) ये कुल कितनी राशि की थी ;

(ग) जिन विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां दी गई है उनके संरक्षक किस आय वर्ग के हैं ; और

(घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितनी आय सीमा पर जोर दिया गया था ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) और (ख). ठीक स्थिति यह है कि कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्र-वृत्तियां राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं, पर भारत सरकार उन पर हुए खर्च की एक निश्चित हद तक प्रतिपूर्ति करती है । 625 विद्यार्थियो को छात्रवृत्तियां देने पर 4.008 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी ।

(ग) और (घ). विहित की गई उच्च आय सीमा 2,400 रुपए वार्षिक है । उस सीमा से नीचे, उनको प्राथमिकता दी जाती है, जिन की आय सब से कम होती है ।

यवतमाल-अचलपुर लाइन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

9370. **श्री देवराव पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की यवतमाल-अचलपुर नैरोगेज रेलवे लाइन पर कितने तथा किन-किन रेलवे स्टेशनों पर बिजली नहीं लगाई गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस कमी को कब तक दूर कर दिये जाने तथा सभी स्टेशनों पर बिजली लगा दिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यवतमाल-अचलपुर छोटी लाइन के निम्नलिखित 30 स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है :-

यवतमाल	दादगांव	वनोसा
लासीन	कारंजाटाउन	लेहगांव
लिंग	कारंजा	कोकलदा
लाडखेड	पोहे	कापुसतलवी
तपोना	भडशिवणी	अंजनगांव
दारव्हा मोतीबाग	विलेगांव	पाथ्रोट
भांडेगांव	किनखेड	खस्ताबुजुर्ग
वरूडखेड	मुर्तिजापुर टाउन	चमक
सांगवी	लखपुरी	नौबाग
सोमठाणा	भुजवड	अचलपुर

(ख) इन स्टेशनों पर कब तक बिजली लगायी जायेगी यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इस लाइन का स्वामित्व सेंट्रल प्राविन्सेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड के पास हैं जिसने इस प्रकार के सुधार के लिये धन की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

बिहार में पुनर्बेलन (रिरोलिंग) मिलें

9371. **श्री ई० अहमद** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी पुनर्बेलन मिलें है और उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी कितनी है ;

(ख) क्या वे सभी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं ; और

(ग) राज्य सरकार तथा लोहा और इस्पात नियंत्रण द्वारा अलग अलग कितनी पुनर्बेलन मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जयपुर रेलवे माल गोदाम में झगड़ा

9372. **श्री न० रा० देवघरे :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल, 1969 को जयपुर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम में

रेलवे सुरक्षा दल तथा विशेष पुलिस संस्थान के कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह झगड़ा विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों द्वारा, रेल सुरक्षा दल, जयपुर, के एक सब-इन्स्पेक्टर को, रिश्वत लेने के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार करने के फलस्वरूप हुआ।

(ग) भ्रष्टाचार की रोकथार अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) (घ) और धारा 5(2) के साथ गठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अधीन, रेल सुरक्षा दल के सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया गया है । जयपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भी रेल सुरक्षा दल के सब-इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 149, 224, 225, 307, 395, 332 और 353 के अधीन, 24-4-1969 के अपराध संख्या 24 के रूप में एक मामला दर्ज किया है । इन मामलों में छानबीन की जा रही है ।

रेलवे सुरक्षा दल के सब-इंस्पेक्टर और 13 अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें विलिम्बित कर दिया गया है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में छटनी

9373. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री झारखन्डे राय :
श्री काशी नाथ पाण्डेय :
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के इंजीनियर और ओवरसीयर अपनी प्रस्तावित छटनी का विरोध कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे भोपाल में इस उपक्रम में पिछले 12 वर्षों में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो 12 वर्ष की सेवा के पश्चात उनकी बड़े पैमाने पर छटनी किये जाने के क्या कारण हैं ;

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). हरिद्वार स्थित भारी वैद्युत उपकरण संयंत्र 13 नवम्बर 1964 तक हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के आधीन था तब तिरूची, हैदराबाद तथा हरिद्वार स्थित भारी विद्युत उपकरण संयंत्रों के प्रशासन के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड नामक नई कम्पनी का पंजीकरण किया गया ।

भारी विद्युत उपकरण संयंत्र, हरिद्वार में निर्माण का कार्य पूर्ण होने को हैं और इस के

परिणामस्वरूप निर्माण कर्मचारी परियोजना की आवश्यकता से फालतू हो गये हैं। कुछ कर्मचारियों ने प्रबन्धकों को अभ्यावेदन भेजे हैं। प्रबन्धक तथा सरकार उनको कम्पनी के प्रभागों में खपाने की सम्भावनाओं पर पहले ही विचार कर रही है।

क्षेत्रीय रेलों से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में भेजे गये क्लर्क

9374. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** : क्या रेलवे मंत्री 15 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6381 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन क्लर्कों को प्रतिनियुक्त समझने का क्या औचित्य है जबकि क्लर्कों को बोर्ड के कार्यालय में स्थायी रूप से रखने के लिए भेजा गया था ;

(ख) क्या ऊंचे पद पर स्थायी बनाये गये रेलवे कर्मचारियों को निम्न पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखने की नियमों में अनुमति है जैसा कि इन क्लर्कों के मामले में किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वर्तमान रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लैरिकल सेवा योजना के पैरा 17 (1) के अनुसार वे वहां पर स्थायी किये जाने के पात्र हैं ;

(घ) क्या उक्त योजना में किये गये समायोजन के कानूनी उपबन्धों को क्रियान्वित करना तथा उनको कार्य सम्भालने की तिथि से यू०डी०सी० के पद पर स्थायी रूप से रखने के लिए रेलवे बोर्ड बाध्य हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि 20 अप्रैल, 1961 का आदेश प्रशासनिक प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किया गया था यद्यपि नियम 2026 (एफ० आर० 30) आर-दो के अन्तर्गत उपबन्धों में छूट देने की शक्ति ऐसे प्राधिकार को नहीं दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो 28 मार्च 1961 के आदेश को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इन क्लर्कों को शुरू में निम्न श्रेणी क्लर्कों के ग्रेड में अस्थायी पदों पर नियुक्त किया गया था। लेकिन बाद में इन्हें अपने मूल कार्यालयों में पूर्व व्याप्ति सहित मूल रूप से ऊंचे ग्रेड के पदों पर नियुक्त किये जाने पर इन्हें बोर्ड कार्यालय में निम्न श्रेणी क्लर्कों के रूप में समाहित करने का प्रश्न नहीं रहा। तदनुसार, इन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना गया है।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा योजना के पैरा 17 का सम्बन्ध सेवा के ग्रेड II (निम्न श्रेणी) में समाहित करने से है। जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, इन क्लर्कों के मामले में इस तरह का समाहित करना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) उल्लिखित समंजन का सम्बन्ध निम्न श्रेणी से है और इन क्लर्कों को उच्च श्रेणी में इस तरह समाहित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ङ) जी नहीं। 20 अप्रैल, 1961 के आदेशों में सक्षम प्राधिकारी अर्थात राष्ट्रपति का विनिश्चय बताया गया है।

(च) 28 मार्च, 1961 के आदेश को क्रियान्वित करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि इसका अधिक्रमण करते हुए उपर्युक्त भाग (ङ) में उल्लिखित आदेश जारी किया गया है।

मैसूर हुबली पैसेंजर रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

9375. **श्री अदिचन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर-हुबली पैसेंजर रेलगाड़ी 15/16 अप्रैल की रात को गुटंकल के निकट पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए ;

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे ; और

(घ) क्या इस दुर्घटना में तोड़-फोड़ किये जाने का संदेह है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया और 12 को चोटें आयीं जिनमें से तीन की चोटें गम्भीर थीं।

(ग) और (घ). रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दो जोड़ी फिश प्लेटों को हटा लिए जाने के कारण गाड़ी पटरी से उतर गयी थी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

9376. **श्री राम चरण** : **श्री रामजी राम** :
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति आयुक्त उक्त जातियों में से किसी एक का भी व्यक्ति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो वह अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की कैसे रक्षा कर सकते हैं ;

(ग) उक्त आयुक्त किस तिथि से वर्तमान पद पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में सुरक्षित स्थानों के कोटे को भरने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम रहे ;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में उक्त पद पर केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति को ही नियुक्त करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) जी हां।

(ख) आयुक्त का कार्य इन जातियों के लिये संविधानिक सुरक्षणों के कार्य की जांच करना

तथा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना है । यह अनुमान करना हितकर नहीं होगा कि इन जातियों के हितों की रक्षा केवल इन्हीं जातियों का व्यक्ति ही कर सकता है ।

(ग) वर्तमान आयुक्त ने 1 जुलाई, 1967 के अपने पद का कार्यभार सम्भाला था । आरक्षित कोटे को पूरा करना भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा कार्यालयों का उत्तर-दायित्व है ।

(घ) और (ङ). सरकार इस सिद्धांत पर अमल करती है कि इस पद को एक विख्यात सार्वजनिक व्यक्ति से करा जाये, जिस प्रशासनिक अनुभव तथा अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं की सहानुभूतिक समझ हो ।

सरकार द्वारा किये गये वकील

9377. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में भारत सरकार ने उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार से सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों में कौन-कौन वकील किये ;

(ख) किन-किन मामलों में वकील किये गये ;

(ग) उन मुकदमों के क्या परिणाम निकले ;

(घ) वे वकील किन-किन शर्तों पर किये गये ; और

(ङ) उनमें से प्रत्येक वकील को कुल कितनी फीस और अन्य भत्ते दिये गये ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) । (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी मंत्रालय के पास तत्काल उपलभ्य नहीं है तथा संग्रहीत कर लिए जाने के पश्चात सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Assistant Station Masters and Station Masters

9378. **Shri S. S. Kothari :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at some stations the Stations Masters or the Assistant Station Masters have to sell tickets also in addition to attending to the passing trains ;

(b) whether it is also a fact that sometimes the work of attending to the passing trains is not properly done on account of heavy work relating to the sale of tickets at several places and this causes accidents ; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) No. The work of passing train will not be affected by non-provision of booking clerks, as booking clearks are provided, wherever justified depending upon the volume of work.

(c) Does not arise.

Seniority of Railway Employees Transferred in the same Zone

9379. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shai Ranjit Singh : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Railways be pleased to state the policy and basis on which the seniority of those railway employees who are mutually transferred in the same Zone of Railways at their own requests is decided ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : The information is given in Rule 310 of Chapter III of the Indian Railway Establishment Manual (Second Edition)—extracts attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1127/69].

औद्योगिक बस्ती ओखला (दिल्ली)

9380. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री प० मु० सईद :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बस्ती, ओखला (दिल्ली) के उद्योगपतियों ने व्यापार में साझेदारी के लिये सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) उन्होंने सरकार से क्या अन्य मागें की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी मांगों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुरोध किया गया है कि इन शेड़ों को किराया-खरीद आधार पर उन उद्यमियों के हाथ जो कि इस समय इन शेडों में कार्य कर रहे हैं बेचे जाएं ।

(ग) और (घ). कुछ प्रतिबन्ध लगाकर साझेदारी की अनुमति दी गई हैं । किराया खरीद के आधार पर शेड़ों को दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड जयपुर

8381. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर को गत तीन वर्षों में अनियमितताओं, चोरी और भण्डार में कमी के कारण हुई हानि का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या इन मामलों की जाँच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) कमियों का पता लगाने तथा इसके कार्यसंचालन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०, जयपुर में पिछले तीन वर्षों में 'अनियमिताओं' तथा 'चोरी' के कारण कोई घाटा नहीं हुआ है । कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत 'स्टाक की कमी' निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	खरगोधा साल्ट्स वर्कस		मण्डी साल्ट माइन्स	
	परिणाम (मी० टनों में)	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1965-66	11,114†	1,83,381 रुपये	—	—
1966-67	—	—	—	—
1967-68	28,015†† ———	4,51,049 ———	—	—
योग :	39,129 ———	6,34,430 ———		

† 1960 की उपज से सम्बन्धित 1965 में पूर्ण रूप से अपाकृत और 1965-66 में निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित

†† 1962-63 और 1963-64 की उपज से सम्बन्धित 1967-68 में पूर्णरूपेण अपाकृत तथा 1967-68 में निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित

उपर्युक्त आंकड़े सहायक सांभर साल्ट्स लि० को छोड़कर हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० से ही सम्बन्धित है ।

नमक के मामले में स्टाक में कमी होना सामान्य बात है, चूंकि यह खुला पड़ा रहता है । इससे बरसात के मौसम में इस का कम हो जाना स्वाभाविक बात है । घाटे पर विचार अंतिम रूप से ढेरों की बिक्री के पश्चात होता है और बोर्ड की स्वीकृति पर बट्टे खाते में छोड़ दिया जाता है । बट्टे खाते में छोड़ने से पहले इन घाटों पर कम्पनी द्वारा विचार किया जाता है तथा यह घाटा सामान्य है अथवा नहीं, इस बात की पुष्टि बोर्ड के समक्ष की जाती है ।

स्टाक निरीक्षण तथा लेखा-जोखा के तरीकों में सुधार करने के लिये कदम उठाए गये हैं । इन में ये हैं ।—

1. स्टाक का सालाना व्यक्तिगत रूप में निरीक्षण करना ;
2. वित्तीय नियम पुस्तिका तैयार करना ;
3. स्टोर/खरीद, नियम पुस्तिका तैयार करना ;
4. मण्डी, खरगोधा तथा जयपुर में यूनिट टेंडर समिति स्थापित करना ;

5. वस्तुवार रजिस्टर तैयार करना ; और

6. बिक्री नीति पर पुनर्विचार करना ।

Criteria for Giving Scholarships to Backward Classes

9382. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Molahu Prashad :** **Shri Ram Charan :**

Will the Minister bf **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the basis on which scholorships are given to the backward classes by the Department of Social Welfare and the State Governments and the classes to which these scholarships are given ;

(b) whether it is a fact that these scholarships are not given on the basis of caste but they are given on the basis of income ;

(5) whether it is also a fact that the chances of students of backward classes getting these scholarships have reduced as a result of it :

(d) the percentage of backward classes and other classes among these who were granted scholarships between 1966 and 1968 ; and

(e) the action being taken by Government to ensure that this scholarships are mostly given to the students belonging to the backward classes only ?

The Minister of State in the Minister of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (e).

Post-matric scholarships

Scholarships are granted on the basis of the regulations framed for the purpose. A copy of the regulations was attached in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 7969 on the 29th April, 1969.

In so far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, eligibility is determined on the basis of community and a graded means test of Rs. 500 p.m.

In the case of backward classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, eligibility for post-matric scholarships is determined entirely on the basis of poverty, the annual income limit being Rs. 2,400/-. Thus only the poorest students usually receive these scholarships.

Pre-matric scholarships

In the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, such scholarships are given on the basis of caste certificate and sometimes also subject to a means test which varies from State to State.

In the case of the other backward classes, the terms of award of scholarships vary from State to State.

Fradulent Supply of Sleepers by M/s. Shriram Ram Niranjan, Bombay

9383. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s, Shriram Ram Niranjan, Bombay concluded a contract in 1955 to supply sleepers worth lakhs of rupees to the Railways ;

(b) if so, whether it is also a fact that the firm supplied some inferior quality sleepers and got them passed as good quality sleepers in connivance with the then Assistant Works Manager and got 90 per cent of the full amount of the contract fraudulently ;

(c) whether it is also a fact that a penal suit was filed by Goveenment first in Kerala

and later on the court of the Special Judge, Poona and the firm was convicted under Section 120, 420 and 109 which was upheld by Bombay High Court also ;

(d) whether it is also a fact that the Supreme Court has also rejected the appeal of the firm and after accepting Government's appeal declared that action be taken against the firm as per Poona Court's judgment ; and

(e) is so, the action taken by Government against the firm, and the loss suffered by Government in this contract ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. The contract was entered into with the firm by the Director General of Supplies and Disposals for the supply of 1306.5 tons of bottom boards of various sizes valued about Rs. 3.99 lakhs and not for the supply of sleepers.

(b) The firm supplied the stores passed by the Assistants Works Manager (Timber Inspection), Central Railway, Bombay. As a result of a complaint received by the Special Police Establishment, Madras, they had the supply examined by the Wood Technologist, Dehradun who found that a large portion of the bottom boards were of inferior quality.

The firm drew 90% payment on proof of inspection and despatch as per terms of the contract. They had, however, drawn the payment fraudulently by supply of inferior quality of stores as was revealed on subsequent examination by the Wood Technologist. Dehradun.

(c) A criminal case was lodged by the Special Police Establishment before the sub-judge, Trichur, Kerala State. The case was however, later on transferred to the Poona Court as per orders of the Supreme Court.

The question of conviction of the firm does not arise as the case is still pending trial before the Special Judge, Poona.

(d) Does not arise in view of the reply given against (c).

(e) The DGS and D suspended business dealings with the firm on 13.10.1959 and the firm were finally black-listed on 29.5.61 by the Ministry of Works Housing and Supply.

To recover the loss assessed at Rs. 1,72,650/- the case has been referred by Director General Supplies and Disposals to arbitration on 5.1.61. The arbitration case has been adjourned till the decision on the criminal proceedings is available. The arbitration case will proceed after the criminal case is decided by the court.

Fraudulent Supply of Sleepers

9384. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1974 on the 9th June, 1967 regarding fraudulent supply of sleepers by M/s Shriram Ram Niranjan, Bombay and state :

(a) whether hearing in the case has since been held ;

(b) if so, the outcome thereof the action taken by Government in that connection ; and

(c) the reasons for inordinate delay in this matter ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The case is still pending trial before the Special Judge, Poona.

(b) Does not arise in view of the reply given against (a).

(c) As started in reply to part (a) the case in still pending trial before Special Judge, Poona.

Gazetted Officers in Railway Ministry

9385. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of employees working in his Ministry at present and the number of Gazetted Officers out of them : and

(b) the total expenditure incurred by the Government on their pay, allowances and over time allowances during the financial year 1967-68 ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 2,257 employees as on 31.3.1969, out of which 327 were gazetted officers.

(b) Rupees 144.07 lakhs.

Theft of Railway Property

9386. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Ministers of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Indian Railways who were suspended on the charge of stealing or associating in stealing the Railway property during the last three years : and

(b) the number out of them who were prosecuted in the courts and how many of them were punished ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The number of employees in the Indian Railways, who were suspended on the charge of stealing or associating in stealing Railway Property during the last 3 years was as under :

1966	—	683
1967	—	890
1968	—	913

(b) The number out of them who were prosecuted in the courts and those punished was as under :—

Year	No. Prosecuted	No. Punished
1966	444	137
1967	566	101
1968	580	63

बिजली के भारी सामान की मांग

9387. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली के भारी सामान की मांग बहुत कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात के लिए मंडियां ढूंढने तथा उनके विकास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों की क्षमता को प्रयोग करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख). भारी वैद्युत उपकरणों, विशेषकर टर्बाइन और जनित्रों की आन्तरिक मांग किसी विशिष्ट अवधि में समूचे विद्युत विकास कार्यक्रम पर तथा इस्पात संयंत्रों जैसे बड़े-बड़े एककों की स्थापना पर निर्भर करती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में निर्धारित वर्तमान लक्ष्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आंतरिक मांग आगामी 5 वर्षों में उपलब्ध निर्माण क्षमता से पर्याप्त रूप से कम रहेगी। इस प्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों में विशेषकर तापीय जनित्र सेटों के लिये काफी निर्माण क्षमता फालतू होने की आशा है। संगठित निजी क्षेत्र में ऊंची क्षमता के ट्रांसफार्मरों, मोटरों तथा स्विचगियर के उत्पादन स्तर को बनाये रखा जा रहा है किन्तु इस अवधि में सभी एककों की क्षमता का पूर्ण उपयोग सम्भव न हो पाये।

(ग) इस प्रकार के उपकरणों के निर्यात के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए एक सार्थ संघ स्थापित किया जा रहा है। हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भोपाल) में एक निर्यात प्रभाग खोला गया है और उपकरणों के सम्भरण के लिए मध्य पूर्व तथा सुदूर पूर्व देशों में निविदाएं दी गई हैं। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स (तिरुचि एकक) ने हाई प्रेशर बायलरों के लिये मलेशिया को निविदायें भेजी गई हैं और पश्चिमी ज़र्मनी को निर्यात करने का मामूली सा आर्डर भी प्राप्त किया गया है। भारी वैद्युत उद्योगों की विकास परिषद् द्वारा संगठित निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(घ) और (ङ). उपलब्ध क्षमता के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ही सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों में उत्पादन में विविधता लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स के एकक ने उत्पादन में विविधता लाने तथा अधिक मांग वाली नई वस्तुओं के उत्पादन के विकास के लिये कदम उठाये हैं। उदाहरणार्थ इंडस्ट्रियल रेक्टिफायर आऊटडोर कियोसल प्रकार के स्विचगियर इत्यादि का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। वैद्युत परियोजनाओं के विशिष्ट उपकरणों के हिस्सों के निर्माण प्रतिरक्षा इत्यादि की मशीनों के हिस्सों आदि के निर्माण का फालतू उपलब्ध क्षमता के प्रयोग की दृष्टि से आरम्भ किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के एककों में उत्पादन में विविधता लाने का काफी काम किया गया है। हैदराबाद संयंत्र में छोटे आकार के टर्बो सेटों, टर्बो कम्प्रेसरों तथा ब्लोअरों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है और तिरुची के हाई प्रेशर बायलर संयंत्र में औद्योगिक बायलरों का निर्माण शुरू किया गया है।

लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

9388. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 जनवरी, 1970 के बाद लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों का रक्षण बनाये रखने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है ।

Supply of Railway Coaches

9389. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of companies in the private sector with whom orders were placed for supplying railway coaches during the last two years ;

(b) whether Government have also stipulated that the supply should be made within a fixed period ; and

(c) the action proposed to be taken against them in case they are not supplied in time ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) One. M/s. Jessop and Co. Ltd., 63 Netaji Subhas Road, Calcutta.

(b) Yes.

(c) In the event of the contractor's failure to deliver the coaches by due dates as stipulated in the contract, the delay in each case is examined and action is taken as per terms and conditions of the contract.

Manufacture of Railway Coaches and Wagons

9390. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of factories in the private sector engaged in the manufacture of railway coaches or wagons ;

(b) the licensed capacity of each factory ;

(c) the names of the factories with whom order were placed by his Ministry for the supply of coaches or wagons and the time allowed to each for completing the supply ;

(d) whether it is a fact that the factories did not complete the supply within the period allowed to them and Government had to extend that period ; and

(e) if so, the extent to which the period was extended and the number of coaches or wagons since supplied and the number of coaches or wagons which remain to be supplied ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) **Coaches :** One

Wagons : 16

(b) The information is given in Annexure 'A'. [*Placed in Library. See* No. LT—1128/69].

(c) (i) **Coaches :**

During the last two yeors i.e. 1967-68 and 1968-69 two orders were placed on M/s. Jessops & Co. Ltd., Calcutta for manufacture of coaches. Delivery period stipulated in these two orders were 31-3-68 and 31-3-69 respectively.

(ii) **Wagons :**

The names of the factories on whom wagons orders were placed against 1967-68 wagon building programme for delivery to be completed by 31-3-68 and against 1968-69 wagon building programme for delivery to be completed by 30-6-69 are given in Annexure 'B' attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1128/69].

(d) (i) **Coaches :**

The firm M/s. Jessop and Co. Ltd. did not complete the delivery of the coaches ordered within the contract delivery period.

(ii) **Wagons :**

Similarly some of the firms also did not complete the wagon orders against 1967-68 programme by 31-3-68.

(e) (i)) **Coaches :**

In respect of 75 Postal Van Shells ordered in 1967-68, the original delivery period of 31-3-68 was extended suitably up to 31-12-68 and the firm had completed the supplies within this date. The delivery period in respect of 384 M. G. Coaches ordered in 1968-69, the original delivery period of 31-3-69 has been extended suitably up to 31-12-69. The entire quantity except 16 Nos. remains to be supplied.

(ii) **Wagons :**

The delivery period for wagons against 1967-68 wagon building programme which remained outstanding on 31-3-68, was extended suitably upto 31-10-68. Stock of the wagons against 1967-68 programme which remained outstanding even on 31-10-68 were cancelled and re-ordered at prices and other terms and conditions applicable to 1968-69 Wagon Building Programme. A statement showing the orders outstanding with each firm as on 1-4-69 is given as Annexure 'C'.

राज्य में मद्यनिषेध

9391. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का ध्यान मैसूर राज्य के वित्त तथा उत्पादन शुल्क मंत्री द्वारा 17 जनवरी, 1969 को राज्य विधान सभा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राज्यों में मद्यनिषेध लागू करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा उठाई गई हानि के अंश के रूप में केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, तथा राज्यवार, कुल कितनी राशि वहन की है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ नहीं ।

भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में जांच समिति

9392. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 11 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2583 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में जांच करने वाली राष्ट्रीय समिति के सदस्यों तथा निर्देश पदों के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक गठित किये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस विषय पर सरकार विचार कर रही है ।

नागालैंड में निर्वाचन के दौरान पृथक मत पेटियों की व्यवस्था

9393. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में हुए निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक मतपेटियां रखी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि नागालैंड में साक्षरता का प्रतिशत काफी अधिक है वहां पर इस पुरानी व्यवस्था को वरीयता दिये जाने के क्या कारण थे ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु०यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) चिह्न लगाकर मतदान करने की प्रणाली अपनाने के लिए नागालैंड राज्य के निर्वाचकों को निर्वाचन का पर्याप्त अनुभव नहीं था ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपकरण प्राप्त होने में देरी

9394. **श्री बे० कु० दास चौधरी :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपकरण कार्यक्रम के अनुसार नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपकरणों की सप्लाई "तेजी से हो इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 3 मई, 1966 को बोकारो स्टील लिमिटेड और मेसर्स त्याज प्रोम एक्सपोर्त मास्को के बीच हुए करार के अनुसार इस संगठन को 1,11,502 टन उपकरण सप्लाई करने हैं । इन उपकरणों की सप्लाई जुलाई, 1970 तक पूरी की जानी है । मार्च, 1969 के अन्त तक रूस से 40,689 टन उपकरण आ चुके हैं जो कुल सप्लाई का 40.08 प्रतिशत है । सोवियत सम्भरण कर्त्ताओं ने आश्वासन दिया है कि वे करार के अनुसार सप्लाई पूरी कर देंगे ।

महाराष्ट्र के चनाखा भीमकुण्ड क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना

9395. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में यवतमाल जिले की चनखा भीम कुण्ड पट्टी में चूने तथा सीमेंट के पत्थरों के बड़े-बड़े भंडारों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस क्षेत्र में सीमेंट का कोई कारखाना स्थापित करने का विचार नहीं है । सीमेंट उद्योग को 18 मई, 1966 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 से लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी उपबन्धों से छूट दे दी गई है और अब किसी के लिये इस क्षेत्र के सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रह गयी है । महाराष्ट्र सरकार ने यह बताया है कि एक प्राइवेट पार्टी ने चूने के पत्थर के निक्षेपों के किस्म तथा परिमाण का अध्ययन किया है और उसने इस क्षेत्र में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में रुचि व्यक्त की है बशर्ते कि एक रेलवे लाइन चनखा और बोरी होती हुई भीमकुण्ड से घुगुस/वनी तक समय के अन्दर बन जाये जिससे सीमेंट परियोजना को पूरा किया जा सके । राज्य सरकार द्वारा इस मामले में रेल मंत्रालय से बातचीत की जा रही है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के दिये गये अनुदान तथा ऋण

9396. **श्री बाबूराव पटेल** :

श्री अर्जुन सिंह भादौरिया :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग किस तारीख को स्थापित किया गया था और अनुदान तथा ऋण के रूप में उसे अब तक कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) जब कि अनुदानों पर राशि अथवा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है और ऋणों का ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है अब तक कितना ब्याज तथा कितना ऋण लौटाया गया है;

(ग) अशोधित ऋणों के लिए प्रत्याभूति के रूप में आयोग की सम्पत्ति का वर्तमान वास्तविक मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि 200 करोड़ रुपये से भी अधिक अनुदान तथा ऋण को कैसे और कहाँ खर्च किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना एक अप्रैल, 1957 को हुई थी। इसकी स्थापना से 31 मार्च, 1969 तक 79.18 करोड़ रु० की राशि का ऋण और 136.62 करोड़ रु० का अनुदान जिसमें 21.53 करोड़ रु० की राशि का उपदान भी सम्मिलित है दिया गया है। यह उपदान आयोग द्वारा देय ऋण के ब्याज अदा न करने के रूप में है।

(ख) आयोग द्वारा 1.44 करोड़ रु० की ऋण की राशि का भुगतान कर दिया गया है यह 3.81 करोड रुपये के उस विशेष ऋण के कुछ ऋण की अदायगी है जिसका उल्लेख (क) भाग के उत्तर में किया गया है। आयोग द्वारा 31 मार्च, 1968 तक ब्याज के 87.14 लाख रु० का भुगतान किया है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिये गये ऋण के लिए कोई औपचारिक प्रतिभूति नहीं ली गई है। आयोग की आस्थियां तथा वे विभिन्न संस्थायें जिन्हें आयोग ने सरकारी राशि की वास्तविक प्रतिभूति से ऋण दिये हैं, ऋणों के सरकार द्वारा मांगे जाने की स्थिति में वे आस्तियां सरकार को ऋण का भुगतान करने के लिये वसूल की जायेंगी। आयोग की आस्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस सूचना का परिचायक विवरण यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) जी, हां, आयोग के हिसाब की लेखा परीक्षा की जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट की कीमत

9397. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री रामावतार शर्मा : श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट की वर्तमान कीमतों के बारे में निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या सीमेंट की उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई हैं;

(ग) क्या सीमेंट की कीमत में भी वृद्धि कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जी, हां, तीन निम्नस्तर के एककों को छोड़कर जिनके लिये उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग मूल्य निश्चित किये जायेंगे, अन्य सभी सीमेंट कारखानों के लिये 16 अप्रैल, 1969 से कारखाने से चलते समय का सामान मूल्य 100 रु० प्रति मी० टन निश्चित करने का निर्णय किया गया है । कारखाने से चलते समय के बढ़े हुए मूल्यों के फलस्वरूप रेल के गंतव्य स्थान तक नि:शुल्क विक्रय मूल्य में 16 अप्रैल, 1969 से 3.60 रु० प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि कर दी गई है ।

उत्तर प्रदेश में शराब के लिये लाइसेंस जारी करना

9398. डा० सुशीला नैयर : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू होने से पहले देशी तथा विदेशी शराब के लिये जिले-वार कितने-कितने लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात ऐसी शराब के लिये जिले वार कितने लाइसेंस दिये गये;

(ग) उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शराब के प्रचार सम्बन्धी कितने विज्ञापन बोर्ड लगाये गये हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू होने से पहले सप्ताह में एक दिन (मंगलवार) शराब की मनाही होती थी और इस प्रतिबन्ध को अब हटा दिया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रखा जायेगा ।

त्रिपुरा के मनीपुरी निवासियों की अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करना

9399. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के पचास हजार मनीपुरी निवासी उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करने की मांग के समर्थन में आन्दोलन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) त्रिपुरा के पनिपुरियों ने अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से सम्बन्धित संसद की संयुक्त समिति को अभ्यावेदन दिए थे । इन अभ्यावेदनों पर निर्णय लेना समिति का काम है ।

पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई धन राशि

9400. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में 19 फरवरी, 1969 को हुए मध्यावधि चुनावों के सम्बन्ध में प्रत्येक राजनीतिक दल ने कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : चूंकि आज जैसी स्थिति है उसमें ऐसी धनराशि के बारे जो किसी राजनैतिक दल ने किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में खर्च किया हो कोई विवरण तैयार करने या फाइल करने की अपेक्षा करने वाला कोई भी उपबन्ध विधि में नहीं है इसलिये उस धनराशि के सम्बन्ध में जो प्रत्येक राजनैतिक दल ने पश्चिमी बंगाल में हुए गत मध्यावधि निर्वाचनों के सम्बन्ध में खर्च किए, कोई जानकारी देना निर्वाचन आयोग के लिए सम्भव नहीं है ।

किन्तु आयोग की यह प्रस्थापना है कि अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो निर्वाचन व्यय किसी राजनैतिक दल द्वारा भविष्य में उपगत किए जाएं उनके बारे में विधि का संशोधन करने के लिए सिफारिशें की जाएं ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

9401. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को राज्य तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार का विचार एक परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उस प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र के लिये कुछ राज-सहायता देने जा रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा०(श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). राज्य सरकार से ऐसा एक केन्द्र भोपाल में पहले ही स्थापित कर दिया है। इसका सारा खर्च भारत सरकार उठाती है ।

Consumption of Cement in Madhya Pradesh

9402. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minster of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the consumption of nearly 164,840 tonnes of cement in

Indore and Bhopal Divisions of Madhya Pradesh in 1967 was far less than the actual requirement due to lack of supplies ;

(b) whether it is also a fact that the increase in the consumption of cement during the next three years in these two divisions would be to the extent of 40 per cent ;

(c) whether the attention of Government has been draw to the fact that nearly 5 lakh tonnes of cement would be required for Narmada Basin Project, work on which would start shortly as also for Tawa Project for which nearly one lakh tonnes of cement would be required in addition in the above requirements ; and

(d) if so, whether Government propose to set up a Cement Factory in Madhya Pradesh itself ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). No, Sir.

(c) No intimation has been received in regard to requirement of cement for Narmada Basin Project. Cement consumed for Tawa Project during the years 1967 and 1968 is 6235 and 6150 metric tonnes only.

(d) A cement factory in the public sector at Mandhar with an annual capacity of 2 lakh tonnes is under construction by the Cement Corporation of India Ltd.

सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखाना

9403. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने के लिए सीमेन्ट निगम ने केन्द्रीय सरकार से पांच स्थानों की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल एक या दो सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजना के लिये स्थानों के चयन के लिये क्या कसौटी अपनाई गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सीमेन्ट कारपोरेशन ने 8 स्थानों, जिनमें एक इमारती सीमेन्ट संयंत्र सम्मिलित है, में० सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये परियोजना में संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। इनमें सरकार ने दो स्थानों अर्थात (1) मध्य प्रदेश में मंधार और (2) मैसूर में कुरकुन्ता के लिये पहले ही स्वीकृति दे दी है क्योंकि ये स्थान कच्चे माल के अपेक्षित परिमाण में और उसकी किस्म तथा अन्य सुविधाओं के उपलब्ध होने की दृष्टि से उपयुक्त पाये गये थे। सीमेन्ट कारपोरेशन फिलहाल इन स्थानों में कारखानों का निर्माण करने में लगा हुआ है।

अब यह भी निर्णय किया गया है कि कारपोरेशन द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिये जिनमें सीमेन्ट की कमी हो। तदनुसार निश्चय किया गया है कि कारपोरेशन को आसाम के बोकाजन में सीमेन्ट का कार ना। न की अनुमति दी जाए।

Scholarships to the Students outside the Notified Areas of Madhya Pradesh

9404. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have granted scholarships to the students outside the notified areas in Madhya Pradesh during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 under the centrally sponsored scheme ;

(b) if so, whether any scheme has been submitted to Central Government in this regard ; and

(c) if so, the reaction of the Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (c). The details have been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

भारतीय रेलों में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थायी तथा अस्थायी पद

9405. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थायी तथा अस्थायी पदों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) भारतीय रेलों में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) भारतीय रेलों में स्थायी तथा अस्थायी सहायक स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) भारतीय रेलों में छुट्टी रिजर्व स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के कुल कितने पद मंजूर है और वास्तव में कितने पद भरे गये हैं ; और

(ङ) 1 अप्रैल, 1966 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में जोन-वार, डिवीजनवार तथा वर्ष-वार कुल कितने स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को किराया-मुक्त रेलवे क्वार्टर दिये गये ?

रेल मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी सिगरेट कम्पनियों का विस्तार

9406. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में विदेशी सिगरेट कम्पनियों की मशीनों के लिये कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) वर्ष 1964 से 1967 तक विदेशी कम्पनियों द्वारा कितनी कम्पनियां अपने अधिकार में ली गई या नये एकक चालू किये गये ;

(ग) क्या विदेशी सिगरेट कम्पनियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की अनुमति देना भारत सरकार की नीति का एक अंग है ; और

(घ) विदेशी मुद्रा के विदेश जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशी सिगरेट कम्पनियों को मशीनों के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

1966	8,73,896 रु०
1967	1,19,970 रु०
1968	3,08,015 रु०

(ख) एक भी नहीं ;

(ग) और (घ). सरकार की नीति सिगरेटों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए भारतीय स्वामित्व की फर्मों द्वारा उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना है । सरकार उन कम्पनियों की स्थापना करने के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है जो शत-प्रतिशत भारतीय स्वामित्व की है । गुजरात में एक कारखाना स्थापित करने के लिये इस प्रकार की एक कम्पनी को आशय पत्र दे दिया गया है ।

Inspection Visits by Assistant Medical Officer, Railway Hospital, Kota

9407. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Medical Officers and the Assistant Medical Officers often visit the stations for inspection ;

(b) if so, the number of visits made by the Assistant Medical Officer Railway Hospital, Kota during 1968-69 so far ;

(c) the amount of D. A. and T. A. claimed and the number of night halts made by him during 1968-69 ; and

(d) the places where night-halts were made ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes Sir.

(b) 40.

(c) (i) Daily allowance — Rs. 530.10
(ii) T. A. for 1968-69 — nil.
(iii) Night halts — 32

(d) Shamgarh.
Sawaimadhopur.
Guna.
Gangapur City.
Bayana.

Bharatpur.

Agra Area.

Bhawani Mandi.

Railway Employees in Kota Division Western Railway

9408. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees in Kota Division, Western Railway who had been declared medically fit and included in category B. I. from category C. I. during 1967, 1968 and 1969 ;

(b) the names of doctors who examined them ; and

(c) the number of employees, section-wise, who were included in category B. I. after operation ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 1967 ... 57
1968 ... 20
1969 2

(b) Dr. R. Bhattacharya,
Dr. S. B. Mathur,
Dr. O. P. Gupta,
Dr. R. N. Rawat,
Dr. Faujdar,
Dr. Sarkar,
Dr. J. P. Sharma,
Dr. M. L. Kalra.

(c) Nil.

रेलवे स्कूलों में क्लर्क

9409. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे स्कूलों के क्लर्कों को रेलवे के अन्य विभागों में क्लर्कों के समकक्ष समझा जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के मामले में दानापुर तथा मुगलसराय के रेलवे स्कूलों के क्लर्कों को रेलवे के अन्य विभागों के क्लर्कों के समकक्ष नहीं समझा गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रेलवे बोर्ड द्वारा 11 मई, 1935 को जारी किये गये आदेश के अनुसार 1956 से पहले उन्हें अन्य क्लर्कों की तरह यथावत पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). माननीय सदस्य का ध्यान 9-6-1967 के अतारांकित प्रश्न 2095 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

Scheduled Caste and Scheduled Tribe officers in Ministry of I.D.I.T. and C.A.

9410. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them up to 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Promotions Given to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees Working in Social Welfare Department

9411. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the Office-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto 15th March, 19 9 in and under the Department of Social Welfare according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1-12-69 Establishment (C) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the designations of such employees and the name of the offices where they are working ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Deparment of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) There was only a single Class III post which came within the purview of the instructions during the period of approximately 8 months referred to.

(b) Senior Handicraft Instructor in the National Central for the Blind, Dehra Dun.

Promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees against Reserved Posts in the Ministry of Railways

9412. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the department-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto the 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1/12/67 Establishment (c) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Information is collected and will be laid on the Table of the Sabha.

किसी विशेष भाषायी वर्ग के कर्मचारियों का अन्य क्षेत्र को तबादला

9413. **श्री राम स्वरूप :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री 5 मार्च, 1669 को लोक सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि किसी विशेष भाषायी वर्ग के रेलवे कर्मचारियों का उनके बच्चों की शिक्षा के हित में अन्य खण्डों को स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि नहीं, तो उनके कब तक जारी किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जहां एक भाषायी वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण दूसरे भाषायी खण्ड को किये गये हैं , और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में रेलवे बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क से (घ). ऐसे आदेश पहले से ही हैं कि एक भाषायी क्षेत्र से दूसरे भाषायी क्षेत्र में स्थानान्तरण करते हुए ऐसे कर्मचारियों का हर सम्भव तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिये जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हों और इन्हीं को अब दोहराया गया है ; प्रशासन के हित में एक भाषायी क्षेत्र में स्थानान्तरण बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता ।

B. K. D. Candidate from Bihar in Mid-Term Elections

9414. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Moin Ansari was the candidate of the Bhartiya Kranti Dal from Danapur constituency for the Bihar Legislative Assembly in the last mid-term poll ;

(b) if so, whether it is also a fact that he had addressed a complaint to the Election Commission of India on the 8th February, 1969 i.e., one day before the polling ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) whether Government have taken any action in this regard ; and

(e) if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). Shri Moin Ansari addresed a letter dated the 8th February, 1969 to the Returning Officer, Danapur making certain allegations against Shri R. Alam, Inspector of Police, Danapur. A copy of the same was received in the Election Commission on 22nd February, 1969 i.e. 13 days after the date of the poll in the Constituency. The Returing Officer, Danapur Assembly Constituency was immediately asked to send his report in the matter, which is awaited.

भारतीय मानक संस्था

9415. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1969 के 'ब्लिट्ज में' इस्टिट्यूट आफ स्कैण्डल एंड इररैगुलैरिटी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय मानक संस्था (इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्टिट्यूशन) में कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारें में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं ?

औद्योगिक बिकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां। आरोपों जी जांच की जा रही है ।

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद को समाप्त करना

9416. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने 21 मार्च, 1969 को एक संकल्प पारित किया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि विधान परिषद् को समाप्त किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ;

(ख) पश्चिमी बंगाल विधान सभा का संकल्प कार्यान्वित करने के लिए ; और

(ग). एक विधेयक लोक सभा में शीघ्र ही पुर:स्थापित किया जाएगा ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के सदस्य श्री अच्युतन द्वारा विमति टिप्पण

9417. **श्री सूरजभान :**

श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने अपने एक सदस्य श्री आर० अच्युतन द्वारा दिये गये विमति टिप्पण को कई कारणों से स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 1969 में समाचारपत्रों को इस समिति के प्रतिवेदन के

सारांश के साथ सरकार द्वारा इस अस्वीकृत/अमान्य विमति टिप्पण को परिचालित किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या संसद् सदस्यों को इस समिति की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध होने से पहले ही सरकार ने 9 मार्च, 1969 को छपे सरकारी प्रकाशन "योजना" के माध्यम से इस अस्वीकृत टिप्पण का प्रचार किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट क सारांश अथवा विमति लेख की प्रतिलिपि सरकार द्वारा फरवरी, 1969 में अथवा उससे पूर्व प्रेस को नहीं बांटी गई थी ।

(ग) जी नहीं । 'योजना' ने श्री आर० अच्युतन द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दिया गया एक लेख प्रकाशित किया था । यह लेख विमति लेख से मेल नहीं खाता है । यदि श्री अच्युतन न इस लेख में विमति लेख में प्रकट किये गए कुछ विचारों को शामिल कर लिया है, तो उसके लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता

9418. **श्री बदरुद्दुजा :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री नम्बियार :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री रविराय :**
डा० रानेन सेन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा कि करेंगे :

(क) कलकत्ता के बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड की मुद्रण तथा अन्य मशीनरी का कौन मालिक है ;

(ख) उनकी क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या उक्त मशीनों के मालिकों के वित्तीय साधनों की जाँच की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी जाँच करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कलकत्ता स्थित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्य

9419. **श्री बदरूद्दुजा :** **श्री नम्बियार :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री रविराव :**
श्री रानेन सेन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(ख) वे किन-किन तारीखों को तैनात हुए ; और

(ग) क्या उनकी तब्दीली का कोई प्रस्ताव है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) 8

(ख) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

क्र० सं०	नाम	पदाभिधान	कलकत्ते में तैनाती की तारीख
1	बी० एस० कसबेकर	लेखापाल सदस्य	19-6-1963
2	एन० श्रीनिवासन	लेखापाल सदस्य	15-7-1964
3	वी० सेथूरामन	न्यायिक सदस्य	14-11-1966
4	एस० रंगानाथन	न्यायिक सदस्य	14-8-1967
5	जी० घोष	लेखापाल सदस्य	26-12-1966
6	वी० पी० तेवारी	न्यायिक सदस्य	26-5-1967
7	ए० सी० मैत्रा	न्यायिक सदस्य	14-1-1969
8	च० जी० कृष्णामूर्ति	लेखापाल सदस्य	16-12-1968

(ग) अधिकरण के अध्यक्ष ने कलकत्ते में तैनात ऊपर वाले सदस्यों में से दो सदस्यों के अन्य के स्थानों को अन्तरण के आदेश हाल ही में निकाले हैं ।

बसुमती (प्राइवेट) कलकत्ता

9420. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री नम्बियार :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री के० हाल्दर :**
डा० रानेन सेन : **श्री रविराय :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ने चैक द्वारा/नकद ऋण लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म के किन व्यक्तियों को किस तारीख को भुगतान किया गया था ; और

(ग) इसका अन्य संगत ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मैसर्स बसुमती (प्रा०) लि० के 31-12-1967 तक के तुलन-पत्रों के अनुसार, कम्पनी पर, समाचार मुद्रण-पत्र भंडार के उपप्राधियन के विरुद्ध, यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया से, 52,630.76 रुपये का प्रतिभूत ऋण, आन्ध्र बैंक लिमिटेड से 11,280.52 रुपयों का एक प्रतिभूत-रहित ऋण, न 1,14,800.00 रुपयों के अन्य पार्टियों के ऋण शेष थे।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के एक सदस्य द्वारा दिये गये विमति टिप्पण का प्रकाशन

9421. **श्री प्र० रा० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के पाक्षिक पत्रिका योजना के 9 मार्च, 1969 के अंक में "अनटचेबिलिटी-ए मिथ" नामक क लेख प्रकाशित किया गया था जिसे अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के एक सदस्य द्वारा "विमति टिप्पण" की संज्ञा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग के एक सरकारी पत्रिका में ऐसे विवादास्पद टिप्पण को प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस पत्रिका के सम्पादक ने समाज कल्याण विभाग से इस बात का सत्यापन किया था कि क्या वह टिप्पण इस समिति के रिपोर्ट का एक अंश है और उसे एक सरकारी पत्रिका में प्रकाशित करने से पूर्व अनुमान लगाया था कि वह किन तथ्यों तथा परिस्थितियों में दिया गया था ;

(घ) किसी व्यक्ति को हरिजन नेता बताते हुए व्यक्तिगत रूप से सदस्य के भिन्न विचारों का प्रचार करने से पूर्व अस्पृश्यता के बारे में समिति के अधिकांश सदस्यों के विचारों को प्रकाशित न करने के क्या कारण थे ; और

(ङ) एक बहुत ही संवेदनशील मामले पर इस प्रकार के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा): (क) और (ख). यह लेख विमती लेख की प्रतिलिपि प्रतीत नहीं होता है। यह लेख भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री आर० अच्यूतन द्वारा दिया गया है। 'योजना' सरकार तथा गैर सरकारी अभिकरणों और व्यक्तियों द्वारा दिए गए लेख प्रकाशित करता है। इस लेख को पत्रिका में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं दी गई थी जो अन्य लेखों को न दी गई हो तथा उसे सामान्य रूप से प्रकाशित किया गया था।

(ग) जैसा कि बताया जा चुका है, यह लेख विमति लेख की प्रतिलिपि नहीं है। इसलिये

उस पत्रिका के सम्पादक के लिए उस लेख में प्रकट किये गए विचारों के बारे में इस विभाग से सलाह लेना आवश्यक नहीं था।

(घ) यह लेख श्री अच्चूतन द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में "योजना" में प्रकाशन के लिए उस समय दिया गया था जब अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के साथ उनके सम्बन्ध समाप्त हो गए थे। इस विषय पर कोई दूसरा लेख प्रकाशन के लिए प्राप्त होने की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमति टिप्पण में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति की टिप्पणियां

9422. **प्र० र० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के किसी सदस्य ने देश में अस्पृश्यता के प्रश्न के बारे में "विमित टिप्पण" दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ;

(ग) क्या इस टिप्पण के बारे में समिति ने कोई टिप्पणियां की हैं और क्या उसे प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। और

(ङ) इस टिप्पण की स्थिति के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) : (क) और (ख). जी, हां। श्री आर० अच्यूतन ने विमति लेख पेश पेश किया था।

(ग) और (घ). 10 अप्रैल, 1969 को सभा पटल पर रखे गए समिति की रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित दस्तावेजों के पृष्ठ 2 पर समिति के संकल्प से विमति लेख तथा उस पर समिति के विचार दिए है।

(ङ) इस मामले को विशेष "हैसियत" प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सरकार इस जनतन्त्रीय सिद्धान्त को मानती है कि एक समिति के सदस्यों को अपने मत प्रकट करने का अधिकार है।

Milk Powder Factories

9323. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for setting up Milk Powder Factories by Government when children in the country are not getting sufficient quantity of milk ;

(b) the number of licences given so far to the Private Sector for the manufacture of milk powder and the number of such factories established in the public sector ; and

(c) the manufacturing capacity of these factories ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : Milk powder factories have been established in placed

where sufficient milk is available for the conservation of surplus milk after meeting the liquid milk requirements. The Milk Powder so manufactured is also used for infant feeding.

(b) 11 licences have been given to private sector for the manufacture of milk powder and 4 such factories have been established in the public sector.

(c) The manufacturing capacity of these factories is 39,411 tonnes per annum.

दक्षिण रेलवे पर तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

9424. **श्री मंगलाथमाडोम** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के दौरान दक्षिण रेलवे में तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए कितने साइडिंग्ज बनाने का विचार है ;

(ख) क्या तीर्थयात्रियों की ओर से ऐसी मांग की गई है कि रामेश्वरम, मदुरै, त्रिवेन्द्रम तथा मैसूर जैसे स्टेशनों पर अच्छी भोजन व्यवस्था तथा स्नान आदि की सुविधाएं बढ़ाई जायें तथा उनमें सुधार किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कोई नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Travelling Allowance Rules Followed by Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

9425. **Shri A. Dipa :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khadi Commission have framed rules where-under employees of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi are required to furnish the requisite information before proceeding on tour and the necessary advance for the tour is also granted under those rules ;

(b) if so, whether these rules do not apply to the Manager of the Bhawan ;

(c) whether it is a fact that the Manager of the Bhawan draws more money in the name of T.A. Advance than that admissible to him under the rules ; and

(d) if not, the amount of money spent by the Manager in connection with his tour from Delhi to Jaipur in March, 1969 out of the amount drawn by him in connection therewith and the reasons for which the unspent amount was not deposited by him after returning from the tour and whether Government or the Commission propose to take any action in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Industrial Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) T. A. rules framed by the Commission are applicable to the Manager of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

अफ्रीकी देशों को रेल के माल डिब्बों तथा अन्य उपकरणों का निर्यात

9426. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अफ्रीकी देशों के अधिकारियों ने भारतीय रेल-पटरियों, माल डिब्बों, सिगनल करने के उपकरणों आदि के क्रियादेश देने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये अभी हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अफ्रीकी देशों के साथ लम्बी अवधि की ऋण सुविधाओं का न होना ही अफ्रीकी देशों को ऐसे माल की सप्लाई करने की अच्छी सम्भावनाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है ; और

(ग) अफ्रीका के उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने भारत के रेलवे उपकरणों को खरीदने में रुचि दिखाई है तथा क्या सरकार उन्हें अपेक्षित ऋण सुविधा प्रदान कर सकेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). रेलवे बोर्ड के निमंत्रण पर निम्नलिखित अफ्रीकी रेलों से सात वरिष्ठ रेल अधिकारी भारतीय रेलों के अवलोकन एवं अध्ययन दौरे में शामिल हुए जो 17 मार्च, 1969 को शुरू हुआ ।

1 नाइजेरियन रेलवे कारपोरेशन ।

2 जाम्बियन रेलवे (दो अधिकारी) ।

3 सूडान रेलवे ।

4 ईस्ट अफ्रीकन रेलवे एण्ड हार्बर ।

5 मालियन रेलवे ; और

6 घाना रेलवे और पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ।

भारतीय रेलों और अफ्रीका की रेलों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से इस दौरे की व्यवस्था की गई थी ।

आगन्तुक रेल अधिकारी भारत से माल डिब्बे और दूसरे रेल उपस्कर खरीदने का कोई निर्दिष्ट प्रस्ताव लेकर नहीं आये थे । लेकिन उन्होंने भारतीय रेलों के विकास, हमारी तकनीकी जानकारी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-क्षमता में बहुत रुचि दिखायी ।

यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि ऋण सुविधाओं की कमी एक ऐसा कारण है जो अफ्रीकी देशों को रेल उपस्कर निर्यात करने में बाधक है । इंटस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया की फिर से पूंजी लगाने का प्रत्यक्ष रूप से पूंजी लगाने की योजना, एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन की निर्यात ऋण बीमा और गारंटी योजना के रूप में निर्यात वित्त का प्रवाह बनाये रखने के लिए जो संस्थागत प्रबन्ध उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए हमारे निर्यातकर्ता मान्य वाणिज्यिक व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यम और लम्बी अवधि के ऋणों की सुविधा दे सकते

हैं । वास्तव में अन्य देशों जैसे ईरान, दक्षिण कोरिया आदि को रेल पटरियों और रेल पथ के सामान, माल डिब्बों आदि का निर्यात किया जा रहा है और इन मामलों में ऋण सुविधाएं बाधक नहीं पायी गयी है ।

किसानों की रेजिमेंटों का गठन

*9427. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अखिल भारतीय महासंघ की कार्यकारिणी समिति ने इस समय जातीयता के आधार पर गठित किसानों की विभिन्न रेजिमेंटों को एक उपयुक्त नाम से गठित करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री डा० (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). सरकार को इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

11-अप हावड़ा/दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी की दुर्घटना टलना

9428. **श्री इसहाक सम्भाली :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अप हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, जो 24 मार्च, 1969 को कानपुर से चली थी, उत्तर रेलवे के कानपुर-टूंडला सेक्शन पर अछलदा-समहोन स्टेशनों के बीच 1118/13 किलोमीटर पर भयानक दुर्घटना होने से बची, क्योंकि पीछे की ब्रेक बैन का ब्रेक बीम अलग हो गया था और नीचे गिर गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि गाड़ी के प्रभारी गार्ड ने जब कोई असाधारण ध्वनि सुनी तो जंगल में अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरन्त गाड़ी रोक दी और भयानक दुर्घटना बचा ली ;

(ग) क्या यह सच है कि गार्ड और ड्राइवर ने टूटे हुए पुर्जे को अलग कर दिया और गाड़ी को अगले स्टेशन तक ले आये ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ड्यूटी पर तैनात कोई अन्य रेलवे कर्मचारी उनकी सहायता करने नहीं आया ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना को बचाने वाले प्रभारी गार्ड को कोई पुरस्कार देने का प्रस्ताव है ; और

(च) क्या यात्री ले जाने वाली सभी रेल गाड़ियों में अधिक परिवहन कर्मचारी रखने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जब 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी अछलदा और साम्हों स्टेशनों के बीच चल रही थी, तो टी० एल० आर० नं० 5617 की पिछली

बोगी के 2 ट्रस-बार इसलिए क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गये क्योंकि ट्रस-बार हैंगर पिनों ने काम करना बन्द कर दिया था। गार्ड ने अजीब सी आवाज सुनते ही बैकुअम ब्रेक लगा दिया और किलोमीटर 1118/13 पर गाड़ी को रोक दिया।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) गाड़ी के इंचार्ज गार्ड को प्रशंसा-पत्र दिया गया है ;

(च) जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में रेलवे पुल

9429. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों पर कुल कितने पुल हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में वहां कितने पुल बनाये गये हैं ; और

(ग) उन पुलों की संख्या कितनी है जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा समय समय पर उनकी मरम्मत करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : माननीय सदस्य सम्भवतः उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उपरि पुलों की संख्या पूछना चाहते हैं। यदि हाँ, तो स्थिति निम्नलिखित है :—

(क) 39

(ख) 2

(ग) 25—वर्ष में एक बार पुलों का भली-भांति निरीक्षण किया जाता है और जब भी पुलों की मरम्मत की आवश्यकता हो, की जाती है।

गुटकल डिवीजन की 2594 डाउन रेलगाड़ी के प्रभारी गार्ड पर हमला

9430. **श्री इसहाक सम्भाली** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1969 को गुटकल डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में 2594 डाडन रेल गाड़ी के प्रभारी गार्ड पर रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक ने, जोकि नशे की हालत में था और जिसको बाद में चिकित्साधिकारियों द्वारा पुष्टि की गयी थी, हमला किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गार्ड ने उसे शराब के नशे में होते हुए अपनी गाड़ी के साथ चलने से रोका, तो उसने अपनी भरी हुई बन्दूक गार्ड पर तानी थी, जिसे बाद में चतुराई के साथ सुरक्षा निरीक्षक ने जोकि गाड़ी के इन्जन में था, छीन लिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुटकल डिवीजन (दक्षिण रेलवे के डिवीजनल अधिकारियों द्वारा जोकि निरीक्षण पर जा रहे थे, गार्ड द्वारा शिकायत किये जाने के बाद तुरन्त कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई ; और

(घ) यदि हां, तो उस रक्षक के विरुद्ध जो ड्यूटी पर होते हुए नशे की हालत में पाया गया था, रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) ऐसी कार्यवाहियों तथा धमकियों से गार्डों की सुरक्षा के लिये रेलवे द्वारा क्या क्या निवारक उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) ; (क) एक रक्षक ने गार्ड के काम में बाधा डाली और उसके साथ गर्मागर्म बहस की लेकिन उसने मारपीट नहीं की। रक्षक नशे में था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) रक्षक को निलम्बित करके गुंतकल्लु की सरकारी रेलवे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सरकारी रेलवे पुलिस, गुंतकल्लु ने इस सम्बन्ध में एक मामला दर्ज कर लिया है।

(ङ) पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा अचानक जाँच के काम को तेज कर दिया गया है।

प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के बाहर मद्यनिषेध कार्यकर्ताओं का प्रस्ताविक धरना

9431. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे भारत से एक सौ मद्यनिषेध कार्यकर्ताओं का विचार प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के बाहर धरना देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के लिये निर्यात संवर्धन सम्बन्धी विचार गोष्ठी

9432. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों के लिये निर्यात संवर्धन सम्बन्धी विचार गोष्ठी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में हुई थीं,

(ख) यदि हां, तो उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1. दिल्ली में एक सूखे पतन की स्थापना

2. लघु उद्योग विकास आयुक्त के कार्यालय में निर्यात संवधन निदेशालय का खोला जाना ।

3, कच्चे माल के बैंक की स्थापना जो केवल मात्र लघु उद्योग क्षेत्र के एकक की निर्यात आवश्यकताओं पर ध्यान देगा ।

4. विदेशों को जाने वाले व्यापारिक शिष्टमंडलों के एक तिहाई सदस्यों को लघु उद्योग क्षेत्र से लिया जाने की व्यवस्था ; और

5. निर्यात के भावी लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना ।

(ग) लघु उद्योग बोर्ड ने निर्यात संवर्धन के लिये एक स्थायी समिति बनाई है और ये सुझाव उस समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निकाली गई थेकरसन स्टेनलैस स्टील पद्धति

9433. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वर्ष पूर्व वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा निकाली गई और पेटेंट की गई स्टेनलैस स्टील पद्धति, जिसका बहुत प्रचार किया गया था, निराशाजनक सिद्ध हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में भारत में इस पद्धति के अन्तर्गत कितनी कीमत के (कीमतवार और वजनवार) स्टेनलैस स्टील का निर्माण किया गया ?

इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी, नहीं । दुर्गापुर स्थित मिश्र-इस्पात कारखाने ने परीक्षण के तौर पर उत्पादन किया था और इन्डक्शन फरनेस में इस विधि से चार टन इस्पात का उत्पादन किया । इस विधि से व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने से पहले और परीक्षण की आवश्यकता होगी तथा इस विधि की मितव्ययिता का अध्ययन करना पड़ेगा । ऐसा करने में एक वर्ष या इससे ज्यादा समय लग सकता है ।

संसद् सदस्यों द्वारा सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी

9434. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों में किन-किन संसद् सदस्यों ने सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी की है ; और

(ख) प्रत्येक सदस्य को दी गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

विधि और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी मन्त्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा संग्रहीत कर लिये जाने के पश्चात् सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम

9435. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आयात प्रतिस्थापन उपायों पर विचार करने के लिये एक सरकारी समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) इस समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी समिति की नियुक्ति औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई है। आर्थिक मंत्रालय के सचिव तकनीकी विकास के महानिदेशक और लघु उद्योगों के आयुक्त उसके सदस्य हैं।

(ग) यह एक स्थायी समिति है जिसकी बैठकें प्रगति का लेखा जोखा देखने और आमदनी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए समय-समय पर होगी।

गोमोह (पूर्व रेलवे) के गार्डों की शिकायतें

9436. **श्री इसहाक सामभली**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोमोह (पूर्व रेलवे) के गार्डों ने 21 मार्च 1969 को समूचे रेलवे विभाग को तार और याचिका दी थी, जिसमें मुगलसराय और गोमोह के बीच 373 किलो-मीटर लम्बी डी० एम० विंग आरम्भ करने का जिसे उन्हें लगातार 14 घण्टे काम करना पड़ता है, विरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गोमोह के गार्डों को इस लाइन पर काम करने के लिये बाध्य किया जा रहा है, हालांकि उन्हें सड़क पर और गार्डों के गया मुख्यालय से गुजरते समय काफी समय लग जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि माल ब्रेक डिब्बों में, जिनमें हल्केपन तथा गाड़ी की अधिक गति के कारण बड़ा घुमाव होता रहा है, 373 किलोमीटर लाइन पर लगातार 14 घण्टे तक सतर्क रहना एक मनुष्य के लिये असंभव है ; और

(घ) यदि उपयुक्त भागों का उत्तर हां हो, तो गोमोह के गार्डों को गया में अर्थात् गोमोह और मुगलसराय के बीच समुचित साहत देकर उनमें असंतोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). डी० एम० लिंक इस उद्देश्य से चालू की गयी है ताकि पूर्व ड्यूटी पर अधिक लगने वाले घण्टों में कमी की जा सके और अब रनिंग समय घट कर औसतन 12 घण्टे का हो गया है, जो नियमानुकूल है । फिर भी, ऐसे गार्ड को कार्यमुक्त करने की व्यवस्था है जो 12 घण्टे की रनिंग ड्यूटी या 14 घण्टे की कुल ड्यूटी करने के बाद कंट्रोलर को दो घण्टे पूर्व नोटिस देकर कार्यमुक्त होने की मांग करे ।

Help to Women and Children of Dacoits Infested Areas

9437. **Shri Yashwant Singh Kushwai** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state the measures adopted by Government to render help to those women and children who become helpless as a result of crimes committed in the dacoits-infested areas of Madhya Pradesh (Chambal Valley), Rajasthan and Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guhu) : The matter relates to the State Governments. The information is not available with the Central Government.

Running of Electric Train in Delhi

9438. **Shri Maharaj Singn Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time of introducing electric train in Bombay, the population of Bombay was less than that of Delhi at present ;

(b) if so, the reasons for which even the initial work in this connection has not been started in Delhi ;

(c) whether it is a fact that the population of Delhi and its suburban colonies would increase to 70 lakhs by the end of the Fifth Plan ; and

(d) if so, the scheme formulated to meet the future railway traffic demand ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d). It may be true that growth of population especially in urban areas, is outstriping the progress of electrification suburban lines, but electrification is undertaken not on the basis of increase in population but when it is found that other types of traction are unable to cope with the increased traffic. Contiguity to areas already electrified and availability of funds are also important considerations.

So far as Delhi is concerned, the question of electrification of subburban services will come up when electrification, which has progressed from Calcutta to Kanpur-Tundla, reaches Delhi a few years hence.

बंगाल बन्द के कारण रेलवे की हुई हानि

9439. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल बन्द के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे पर्याप्त सुरक्षा देने से इंकार कर दिया था ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इंकार किये जाने के परिणामस्वरूप भीड़ की गड़बड़ी में को कोई हानि हुई थी ;

(ग) क्या उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सरकार ने रेलवे के लिये सुरक्षा दल को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता अथवा राज्यों में चलने वाले केन्द्रीय सम्पति। व्यापारिक उपक्रमों की पर्याप्त सुरक्षा करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों की बैठक बुलाने का विचार किया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जब 'बन्द' का एलान किया गया, तो रेल-प्राधिकारियों ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से आवश्यक संरक्षण देने के लिए इस मामले को उठाया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया कि महत्वपूर्ण संस्थापनों के संरक्षण को छोड़कर रेल-गाड़ियों को चलाने के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।

(ख) क्रुद्ध भीड़ के कारण रेल सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

(ग) अभी तक इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

अस्पृश्यता कानून

9440. **श्री देवकी नन्दन पोटोदिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलायापेरुमल समिति ने हाल में सभा-पटल पर रखे गये अपने प्रतिवेदन में देश में अब तक विद्यमान अत्याचारों तथा अस्पृश्यता का उल्लेख किया है ;

(ख) क्या समिति द्वारा बताये गये तथ्यों को देखते हुए सरकार ने कानून में उपयुक्त परिवर्तन करना वांछनीय समझा है जिससे अस्पृश्यता मानने को अधिक कठोर दण्ड का अपराध माना जाये ; और

(ग) क्या सरकार ने कानून में ऐसा संशोधन किये जाने तक राज्य करकारों से यह अनुरोध करने के लिए कार्यवाही की है कि वे वर्तमान कानून का प्रवर्तन करें और इस बुराई को समाप्त करने के लिए सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य व्यापक रूप से करें ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) (क) जी, हां।

(ख) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम में संशोधन के लिए समिति के सुझावों पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने तथा अस्पृश्यता दूर करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों को लगातार आग्रह किया आता है।

राज्यों में मद्यनिषेध लागू करना

9441. **श्री हेम बरुआ** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कुछ राज्य सरकारों ने मद्यनिषेध लागू करने के लिए प्रतिकार मांगा है ;

(ख) यदि हो, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ संगठित दलों ने मद्यनिषेध का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) और (ख). जी, हां। मद्यनिषेध शुरू करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को आबकारी राजस्व में जो हानि होगी, उसके 50% तक की प्रतिपूर्ति करने की भारत सरकार ने जो पेशकश की थी, उससे हरियाणा तथा राजस्थान सरकार ने ऐसी प्रतिपूर्ति की मांगे की हैं। इन दोनों राज्यों की मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) सरकार के पास को सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स फायर स्टोन टायर कम्पनी तथा मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल लिमिटेड के बीच विवाद

9442. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान मैसर्स फायरस्टोन टायर कम्पनी और मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के विवाद की ओर दिलाया गया है, जिसके कारण इन दो कम्पनियों के बीच सार्वजनिक चर्चा छिड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों फर्मों द्वारा एक दूसरी पर लगाये गये आरोपों में क्या सार है ;

(ग) क्या मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के किन्हीं अंशधारियों ने सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो अंशधारियों द्वारा किये गये अभ्यावेदन की रूपरेखा क्या है ;

(ङ) क्या इस विवाद में हस्तक्षेप करने का सरकार का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्। इस प्रकार का एक व्याख्यान मैंने 28 अप्रैल, 1969 को पहले ही सदन में दिया है।

(ख) से (च). मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमीकल्स लि० के कुछ हिस्सेधारियों ने यह कामना करते हुये अभ्यावेदन दिये है कि मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० को उपरोक्त कम्पनी के एकमात्र विक्रेता अभिकर्ता के पद पर पुनर्नियुक्त करने के विषय में, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 204 के उपबन्धों का आवाहन करना चाहिये। उनका

कहना है कि वर्तमान मामले में, एक मात्र विक्रेता अभिकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें, मुख्य कम्पनी के हितों के प्रतिकूल है। एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं के तर्क-वितर्क यह है कि बिक्री की बाबत, वह कम्पनी की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं तथा मुख्य कम्पनी के लिये अपनी निजी बिक्री व्यवस्था स्थापित करना अधिक मंहगा पड़ेगा।

यह विषय कम्पनी विधी बोर्ड के ध्यान में है, वस्तु बोर्ड के द्वारा कार्यवाही करने का अवसर, उसी समय आयेगा जबकि कम्पनी के हिस्सेधारी एक-मात्र विक्रेता अभिकर्ता की पुर्ननियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। इस उद्देश्य के लिये की गई बैठक में, उनमें उनके मतदान के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेलवे द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्तियों के स्वामियों को मुआवजा

9443. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि टिनसुखिया रेलवे स्टेशन से मालगोदाम को हिजिगुड़ी के स्थान पर ले जाते समय जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति अधिग्रहीत की गई थी उन्हें अभी तक रेलवे ने उसका मुआवजा नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी अदायगी में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का कब तक इसको अदायगी करने का विचार है ?

रेलवे रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सिविल प्राधिकारियों द्वारा दिये गये लागत के अनुमान में कुछ विसंगतियां होने के कारण जमीन के केवल एक छोटे से हिस्से के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा सका।

(ग) यथा सम्भव शीघ्र भुगतान करने के लिए इस मामले सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली में आदिम जातियों के औद्योगिक एककों को सहायता देने की योजना को क्रियान्वित न किया जाना

9444. **श्री देवराज पाटिल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में वर्ष 1965 में अनुसूचित आदिम जातियों के आठ औद्योगिक एककों को सहायता देने की एक योजना को स्वीकृति दी थी;

(ख) क्या उक्त योजना को क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुहा): (क) इस योजना को 1967-68 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) क्रियान्वित प्राधिकारी अर्थात् दिल्ली प्रशासन को इस बारे में लिखा गया है तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद द्वारा पूर्ण नशाबन्दी का अनुरोध

9445. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद् ने राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया है कि यदि किसी जिले के निवासियों अथवा पंचायतों में से 90 प्रतिशत नशाबन्दी की मांग करे तो वहां पूर्ण नशाबन्दी लागू कर देनी चाहिये ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार का विचार राज्य सरकारों को कुछ लिखने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ख). प्रश्न नहीं उठते ।

यूगोस्लाविया और भारत के बीच औद्योगीकरण के लिए आर्थिक सहयोग

9446. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लाविया और भारत के बीच अधिक घनिष्ट आर्थिक सहयोग के लिए उद्योगों के अनेक क्षेत्र चुने गये हैं ; और

(ख) किन-किन उद्योगों में भारत और यूगोस्लाविया के बीच सहयोग होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारत और यूगोस्लाविया ने दोनों देशों में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के महत्व को समझ लिया है जिनमें वे पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर औद्योगिक सहयोग व्यवस्था को चालू कर सकें । इस प्रकार की सम्भावनायें उसके सहायक उद्योगों कृषि और क्रालर इक्टरों, रेलवे उपकरणों, हाई प्रैशर गैस सिलेन्डरों, खाद्य परिष्करण मशीनों, जहाज निर्माण, इस्पात उद्योग और भारी विद्युत उपकरण और तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं के क्षेत्र में जान पड़ती हैं ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

9447. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां हैं तथा वे जिलेवार किन-किन स्थानों में स्थित हैं ;

(ख) अन्य राज्यों में औद्योगिक बस्तियों की संख्या की तुलना में ये कितनी कम अथवा अधिक हैं ; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक राज्य बड़ा विशाल, गरीब तथा पिछड़ा हुआ है क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश में पूर्ण की जा चुकी औद्योगिक बस्तियों की कुल संख्या 54 है। उनका जिला-वार स्थापना स्तल अनुबन्ध 1 में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1129/69]

(ख) राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक औद्योगिक बस्तियां हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में पूर्ण की जा चुकी औद्योगिक बस्तियों की संख्या का विवरण अनुबन्ध 2 में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1129/69]

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकार का विचार दो और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने का है।

रेलवे में लिपिकों का स्थायीकरण

9418. **श्री नाम्बियार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सभी रेलों में लेखा शाखा, निर्माण शाखा, कर्मचारी वर्ग शाखा तथा अनेक अन्य विभागों में अनेक लिपिक कर्मचारी अनेक वर्षों, यहां तक कि दस वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर भी अभी भी अस्थायी ही हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक रेलवे में ऐसे अस्थायी क्लर्कों की सेवा का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उन्हें स्थायी करने में अनुचित विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें कितनी सम्भावित अवधि में स्थायी किये जाने की आशा है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष तथा प्रतीक्षा हाल

9429. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **रेलवे** मन्त्री माहनार रोड स्टेशन पर प्रतीक्षा कक्षों के बारे में 15 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे में नये प्रतीक्षा कक्ष तथा प्रतीक्षा हाल बनाने का निर्णय करने का आधार क्या है; और उन स्टेशनों के लिए उच्च श्रेणी का कितना यातायात होना आवश्यक है ;

(ख) क्या उन स्टेशनों पर प्रतीक्षा हाल नहीं है, जहाँ उच्च श्रेणी का यातायात नहीं है अथवा उच्च श्रेणी का यातायात थोड़ा है, चाहे निम्न श्रेणी का यातायात बहुत अधिक हो; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) माहनार रोड स्टेशन से पिछले तीन वर्षों की आय के आधार पर वार्षिक आय क्या है तथा जिन पर प्रतीक्षा हाल है उनकी न्यूनतम आय-सीमा कितनी है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सभी स्टेशनों पर यात्रियों को दी जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं की मदों में तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय को शामिल कर लिया गया है । बनाये जाने वाले तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय के क्षेत्रफल के लिए मानदण्ड प्रति यात्री 15 वर्ग फुट है जो छोटे स्टेशनों । बड़े स्टेशनों पर किसी एक समय सम्हाले जाने वाले यात्रियों (मेल यातायात को छोड़कर) की अधिकतम संख्या के 67%/4‘% पर आधारित है । तीसरे दर्जे के नये प्रतीक्षालयों का निर्माण और वर्तमान प्रतीक्षालयों का विस्तार एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है ।

जहां तक ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय का सम्बन्ध है, इनकी व्यवस्था एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन अनुपनगरीय स्टेशनों पर की जाती है, जहां पर सम्हाले जाने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों की दैनिक संख्या 25 या इससे अधिक होती है ।

(ग) माहनार रोड स्टेशन पर यात्रियों से पिछले तीन वर्षों में हुई आमदनी नीचे दिखायी गयी है :—

	रुपये
1966-67	3,10,743
1967-68	3,08,514
1968-‘9	3,30,309

जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, रेलवे स्टेशनों पर तीसरे तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करने के लिए आमदनी की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

खादी के माल का निर्यात

9450. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 और 1968-69 में खादी के माल का निर्यात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को ;

(ग) उनका अनुमानित मूल्य क्या था ; और

(घ) इस माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिड़ला उद्योग-समूह के बारे में जांच

9451. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के 67 वकीलों ने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बिड़लाओं तथा उप-प्रधान मंत्री के मामलों के बारे में जांच करने के लिए प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही गई है या करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बिड़ला उद्योग समूहों के खिलाफ लगाये गये आरोपों की विस्तृत रूप से जांच कराई गई है और इन आरोपों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर पहले ही रखा जा चुका है। विवरण से यह पता चला है कि अधिकतर मामलों में विस्तृत जांच, छानबीन और कार्रवाई की गई है या सरकार के प्रमुख अभिकरण के मध्यम से प्रत्येक मामले में कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। उद्योगों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के पास भेज दिया गया है। इनमें से कुछ आरोपों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल अभी भी की जा रही है और अन्य आरोपों के मामले न्यायालय के समक्ष हैं। जिन मामलों की अभी जांच हो रही है या जो विभिन्न न्यायधिकरणों के समक्ष हैं उन पर निगरानी रखने और उन्हें पूरा करवाने के लिए सरकार ने मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय में एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया है जिसका कार्य ऐसी जांच पड़तालों का समन्वय करना तथा शीघ्र निर्णय करने के लिए मामलों को सरकार के सम्मुख रखना है। ऐसी परिस्थिति में जांच आयुक्त नियुक्त करने का विचार नहीं है।

जापान के औद्योगिक उत्पादन-मिशन के नेता द्वारा व्यक्त विचार

9452. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन-मिशन जिसने मार्च 1969 में 2 सप्ताह तक भारत का दौरा किया था, के नेता मि० तोसलिरो डाको ने विचार व्यक्त किये हैं कि भविष्य में एशिया में शान्ति और विकास के बढ़ाने के लिए भारत और जापान के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग आवश्यक हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री तोशियो दोको की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल उत्पादिता कौशल पर विचारों के आदान प्रदान तथा भारत के औद्योगीकरण को आंकने के उद्देश्य से भारत आया था ताकि जापान तथा भारत में व्यापारिक तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र को और बढ़ाया जाये। शिष्टमण्डल के नेता ने प्रस्थान के समय प्रैस सम्मेलन में यह कहा था कि निम्नलिखित तीन दिशाओं में सहयोग की पर्याप्त सम्भावनायें हैं।

(1) कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें दोनों देशों में से एक देश उत्पादित करता है और वे दूसरे देश के लिए हितकारक हो सकते हैं।

(2) भारत में और अधिक भारतीय तथा जापानी संयुक्त कम्पनियां होनी चाहिए जिन के उत्पाद जापानी उद्योगों में काम आ सकते हैं।

(3) भारत तथा जापान दोनों संयुक्त रूप से तीसरे देश में कम्पनियां स्थापित कर सकते हैं।

(ख) और (ग). शिष्टमण्डल को उन निर्मित तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं की एक सूची भी दी गई जिन्हें भारत जापान के अधिक जटिल उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सम्भरण कर सकता है। शिष्टमण्डल इसके लिए भी राजी हो गया था कि जिन वस्तुओं में जापानी उद्योग रुचि रखता होगा। उनके सम्भरण को प्राप्त करने के लिए उन की एक सूची भारत को भेज देगा। शिष्टमण्डल ने इसी प्रकार के भारतीय शिष्टमण्डल को निकट भविष्य में जापान आने का निमंत्रण भी दिया है।

रेल गाड़ियों में जन्म तथा मृत्यु

9453. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रेल गाड़ियों में कितने बच्चे पैदा हुए तथा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) चिकित्सा सम्बन्धी आपात कालिक सहायता के लिए लम्बी यात्रा वाली रेलगाड़ियों के साथ संगचल चिकित्सालय, जिसमें एक डाक्टर तथा एक नर्स हों, न जोड़ने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों में सप्लाई किये जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा पानी से प्रायः उलटियों, दस्तों, पैचिश, हैजे, इलेष्मकोलन-शोथ जैसी तेज दर्द वाली और आकस्मिक बीमारियों तथा अन्य कई प्रकार की पेट दर्द वाली बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनके लिए सक्षम चिकित्सकों से तुरन्त चिकित्सा सहायता लेने की जरूरत पड़ती है।

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गाड़ियों में पैदा होने अथवा मरने की अप्रत्याशित घटनाओं, जो कि बहुत कम होती हैं, के आंकड़ नहीं रखे जाते।

(ख) सवारी गाड़ियों में चलते-फिरते दवाखानों के लगाये बिना आपात स्थिति में गाड़ियों

में यात्रियों का डाक्टरी इलाज सुविधाजनक ढंग से करने की व्यवस्था है । इसलिए सवारी गाड़ियों में चलता-फिरता दवाखाना लगाना आवश्यक नहीं समझा गया है । इसके अलावा यह व्यवस्था खर्चीली होगी क्योंकि इससे खर्च के अनुपात में लाभ कम होगा । इसके लिए काफी स्थान की आवश्यकता होगी जबकि इन गाड़ियों में पहले से ही भीड़-भाड़ रहती है और अन्यथा जिसका उपयोग जनता के लिए किया जा सकता है ।

(ग) यह स्थिर करना कठिन होगा कि इस प्रकार की बीमारियों की घटनाएं चलती गाड़ियों में अपेक्षाकृत अधिक होती हैं । इसके अलावा गाड़ियों में यात्रियों को जो खाना और पानी दिया जाता है, उसकी निरन्तर और नियमित रूप से जांचें रेलवे प्रयोगशालाओं में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाती है और रेल-प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयास करते हैं कि यात्रियों को सुरक्षित पेय जल तथा खाद्य पदार्थ दिये जायें ।

Declaration of States as Backward by Planning Commission

9454. **Shri Deorao Patil :** **Shri Chengalraya Naidu :**
Shri R. Barua : **Shri N. R. Laskar :**

Will the Minisier of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States declared backward by the Working Group of the Planning Commission ; and

(b) the steps which are being taken to remove their backwardness ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The Working Group set up by the Planning Commission to recommend the criteria for the identification of backward areas has submitted its report. The report is under examination, at present, by the Committee of the National Development Council. It will be placed on the Table of the House after the examination is completed.

Recipients of Old Age Pension in Una Tehsil (Himachal Pradesh)

9455, **Shri Swami Brahamanand :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of men/women in receipt of old-age Pension in Una Tehsil of Himachal Pradesh on and before the 30th October, 1966 ;

(b) the number of those out of them who were granted such pension from the 1st November, 1966 to the 31st March, 1969 ;

(c) the number of those who have not been paid such person with effect from the 1st November, 1966 : and

(d) the reasons therefor in respect of part (c) above and when arrears of pension from 1st November, 1966 would be paid to them ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में चौथी योजना में नई रेलवे लाइनें

9456. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइनें उस क्षेत्र के विकास में, जहाँ पर वे बिछाई जाती हैं, महत्वपूर्ण योगदान करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं जब कि संचार, परिवहन आदि के साधनों के अभाव में खनिजों, वनों आदि से भरपूर विशाल क्षेत्र अविकसित पड़ा है ;

(ग) क्या चौथी योजना में मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे विकास किसी राज्य या क्षेत्र की धारणा पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र विकास के विचार पर आधारित होता है । निर्माण में अधिक लागत आने के कारण नई लाइनें वित्तीय दृष्टि से नहीं चल पायेंगी जब तक कि उन पर भारी मात्रा में यातायात जैसे अयस्क, खनिज तथा अन्य माल का संचलन न हो । अभी हाल में विशाखापत्तनम बन्दरगाह से निर्यात के लिए मध्य प्रदेश के बैलाडिल्ला क्षेत्र से लौह अयस्क के संचलन के लिए बैलाडिल्ला से कोट्टवलासा तक नई लाइन बनायी गयी है ।

(ग) और (घ). चौथी योजना में नयी लाइनों के प्रस्तावों पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर के बाहर खाली पड़ा भवन

9457. **श्री बलराज मधोक** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली के बाहर एक भवन पांच वर्ष से अधिक समय से खाली पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने उनके विभाग से अनुरोध किया है कि इस भवन को उन्हें पूर्णतः या आंशिक रूप में सौंप दिया जाये, ताकि समाज के लिए उसका उपयोग किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा०(श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां ।

(ख) कुछ कल्याण कार्यवाहियों के लिए इस भवन के एक भाग को दिल्ली प्रशासन को दे दिए जाने के बारे में डा० रामलाल वर्मा, कार्यकारी पार्षद्, दिल्ली प्रशासन से एक सुझाव प्राप्त हुआ था ।

(ग) इस भवन को समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय के केन्द्रीय कटाई अनुभाग के लिए रखा गया है, क्योंकि जामनगर हाऊस हटमेंट्स में कटाई अनुभाग का वर्तमान स्थान अपर्याप्त तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से असंतोषजनक है। भवन में आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं तथा उसमें बिजली लगाने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं ताकि कटाई अनुभाग को इस भवन में बदल दिया जाए।

मध्य रेलवे के परैल तथा दादर के बीच रेल गाड़ियों की टक्कर

9458. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री मध्य रेलवे में ट्रैक-रिकार्डिंग कोच के बारे में 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1969 को परैल और दादर स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों में पटरी की खराबी के कारण टक्कर हुई थी ; और

(ख) क्या कुर्ला यार्ड के निकट एक गाड़ी का डिब्बा पटरी की खराबी के कारण पटरी से उतर गया था ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) एक स्थानीय गाड़ी का एक सवारी डिब्बा 29-3-1969 को कुर्ला और विद्या-विहार स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया। उसके पटरी से उतरने के कारण की जांच की जा रही है।

Sale of 'Pan' Termed as Manufactured Item for Purposes of Income Tax

9459. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that some States have termed the sale of 'Pan' as a manufactured item for purposes of income-tax and have started levying income-tax on it as a result of which thousands of innocent Pan sellers have been affected ;

(b) whether it is a fact that some time ago, the Ministry of Law had given a definite opinion that Pan was not a manufactured item ; and

(c) if so, the reaction of his Ministry towards those States which are not complying with the said opinion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) to (c). The information is being collected by the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) who are concerned with the subject matter of the Question.

भारतीय रेलों में भत्तों और नये पदों को बनाये जाने पर रोक

9460. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और उनके लिए नये पदों को बनाने पर रोक है ;

(ख) क्या भारतीय रेलों में किसी और वर्ग के कर्मचारियों पर भी ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रतिबन्ध के कब तक उठाये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). प्रधान कार्यालय, मंडल । जिला कार्यालयों में सभी वर्ग के कर्मचारियों के पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध है, सिवाय ऐसे पदों को छोड़ कर जिनकी जरूरत परिचालन और अनुरक्षण सम्बन्धी कामों के लिए पड़ती है । लेकिन नियुक्तियों के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध केवल क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रिकार्ड सार्टर, दफ्तरी, चपरासी फर्राश के पदों पर लागू हैं ।

(ग) यह प्रतिबन्ध प्रशासनिक खर्च में किफायत बरतने के उद्देश्य से लगाया गया है और यह प्रतिबन्ध फिलहाल 31-3-1970 तक लाभ रहेगा ।

रेलों में क्लर्कों के द्वारा कार्य निष्पादन का मापदण्ड

9461. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में क्लर्कों द्वारा कार्य-निष्पादन का कोई मापदण्ड है ;

(ख) यदि हां, तो जोनवार उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्तमान कार्यभार इन मापदण्डों के अनुसार है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां

9462. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ऐसी छात्रवृत्तियों के लिये सभी आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधानों के माध्यम से भेजने अपेक्षित हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों को ये आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजने होते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि आवेदनकर्त्ताओं को संस्थाओं के प्रधानों अथवा राज्य सरकारों द्वारा कोई रसीद नहीं दी जाती ;

(घ) क्या कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र को ये आवेदन पत्र भेजने में विलम्ब किया गया है ;

(ङ) क्या ऐसे भी मामले सामने आये हैं जिनमें ये आवेदन पत्र केन्द्र को भेजे ही नहीं गये ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है कि राज्य सरकारें सभी आवेदनपत्रों की रसीदें और आवेदन पत्र केन्द्र को भेजें जायें ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) कूलरेणु गुह) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) अधिकतर कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ङ) इस प्रकार का कोई मामला केन्द्र को सूचित नहीं किया गया है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना में औद्योगिक बस्तियां

9463. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां बसाने का सरकार का विचार है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये बस्तियां स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) इस समय विद्यमान औद्योगिक बस्तियों ने कितनी प्रगति की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय राज्य सरकार करती हैं । भारत सरकार तो इस मामले में राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के लिए समूचे भारत की एतत्सम्बन्धी नीति निर्धारित करती हैं और राज्य सरकारों द्वारा जिन योजनाओं पर निर्णय ले लिया जाता है, उनके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देती है ।

(ग) 31 मार्च, 1968 तक 311 औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जा चुकी है और इनमें 248 ने काम करना भी आरम्भ कर दिया है । पूर्ण की जा चुकी औद्योगिक बस्तियों में 8124 शैडों का निर्माण किया गया था और उनमें से 6482 शैडों का आवंटन किया जा चुका है । उनमें से 6026 का कब्जा लिया जा चुका हैं और 4793 में औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं । इनमें प्रति वर्ष 89 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन होता है और लगभग 69,000 व्यक्तियों को रोजगार मिला है ।

Training and Rehabilitation Centre for the Blind (REGD) 'Model Town' Delhi

9464. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in Nav

Bharat Times, New Delhi dated 11th April, 1969 under the heading "Netrahin Kendra Ke Nideshak Ko Bidai (farewell to the Director of the Centre for the Blind)" ;

(b) the aims and objects and also the functions of the Training and Rehabilitation Centre for the Blind (Regd), Model Town, Delhi and the names of the members of its Managing Committee ;

(c) whether the said centre had sent any proposal to the Delhi Administration or Delhi Municipal Corporation or to his Department of Social Welfare in 1967-68 or 1968-69 requesting for grant or whether Government gives any grant to this Centre ; and

(d) the policy of the Government of India in regard to providing employment to the Blind people ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) This is a voluntary organisation whose main object appears to be to promote the training and rehabilitation of the blind. A list of members of the Managing Committee is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No, LT—1130/69].

(c) An application made by the centre in 1968-69 for assistance from the Government of India is being examined by the Delhi Administration. The Government of India have not so far given any assistance to this centre.

(d) It is the policy of the Government of India to promote the placement of physically handicapped persons, including the blind, in suitable employment.

उत्तर रेलवे के वरिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारियों से संबद्ध आशुलिपिक

9465. **विद्याधर वाजपेयी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में, डिवीजन-वार, वरिष्ठ-वेतन मान वाले तथा उनसे ऊंची पदवी वाले अधिकारियों के पास काम करने वाले 130-300 रुपये वेतन मान में आशुलिपिकों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

रेलवे आशुलिपिक का अभ्यावेदन

9467. **श्री सूरज भान :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के काम करने वाले आशुलिपिकों ने अपनी कुछ शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी प्रत्येक मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जी हां । स्टेनोग्राफर मुख्यतः अपने वेतनमानों में सुधार और पदोन्नति के अवसरों की मांग करते रहे हैं । सरकार ने इन पर विचार

किया है और यह तय किया गया कि समय-समय पर पहले किये गये सुधारों को ध्यान में रखते हुए इनके वेतनमानों तथा पदोन्नति-सरणियों में आगे सुधार करने का औचित्य नहीं है। फिर भी तीसरे श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनमें स्टेनोग्राफर की कोटि भी शामिल है, जो कुछ दिनों से अपने वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंच गये हैं, राहत देने के प्रश्न पर जाँच की जा रही है। यह जांच यथासम्भव शीघ्र पूरी हो जायेगी।

रेलवे के आशुलिपिक

9467. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
कुमारी कमला कुमारी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में कार्य करने वाले आशुलिपिकों की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के निदेशों को क्रियान्वित करने के बारे में उत्तर रेलवे प्रशासन उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रहा है ;

(ख) यदि, हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार आशुलिपिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदनों का शीघ्र निपटान करने और उनकी सही व्याख्या करने से सम्बन्धित प्रक्रिया में सुधार करने का है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की प्रक्रिया का ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि अभ्यावेदनों को शीघ्र न निपटाया गया हो या उनके सम्बन्ध में अनुचित कार्यवाही की गई हो तो क्या सरकार का विचार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई निश्चित कार्यवाही करने का है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (च). यद्यपि प्रशासनिक कारणों से आशुलिपिकों के पदक्रमण सम्बन्धी रेलवे बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करने में उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा कुछ देरी हुई है, किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उक्त रेल प्रशासन का उधर ध्यान ही नहीं था। कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के निपटारे के लिए आदेश पहले से ही हैं। कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है या की जा सकती है क्योंकि यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि जिस प्रकार की मांग की गयी है। इस प्रकार अभ्यावेदनों के निबटारे से सम्बधित किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी कानून बोर्ड को बदलना

9468. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान कम्पनी कानून बोर्ड को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाले एक स्वतंत्र बोर्ड के रूप में बदल देने का सुझाव दिनांक 30 मार्च, 1969 को हुई एक विचार-गोष्ठी में दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उस विचार गोष्ठी में और क्या सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) उन्हें सरकार ने किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारतीय विधि संस्थान में की गई, "निजी उपक्रम के सरकारी विनियम" विषय पर गोष्ठी में पढ़े गये पत्रों में से एक में इस आशय का एक विवादास्पद सुझाव था ।

(ख) गोष्ठी में, निजी उपक्रम के सरकारी विनियम दृष्टिकोणों की बाबत, अनेक सुझावों से युक्त बहुत से पत्र पढ़े गये थे ।

(ग) गोष्ठी ने एक मतैक्य पर पहुंचने अथवा इन सुझावों पर कोई दृढ़ सिफारिश करने का कोई प्रयास नहीं किया । अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे के डिवीजनल और अतिरिक्त डिवीजनल कार्यालयों में हिन्दी अनुवादक

9469. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कितने डिवीजनल तथा अतिरिक्त डिवीजनल कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति की गई है और उनके ग्रेड क्या हैं ;

(ख) रेलवे बोर्ड के विभिन्न आदेशों और राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों को समूचे उत्तर रेलवे मे लागू करने के विशाल कार्य को करने के लिये क्या उनकी संख्या पर्याप्त समझी गई है : और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टेशन कार्यकरण नियमों का अनुवाद

9470. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन जोनल रेलवे में 'स्टेशन कार्यकरण नियमों' का अनुवाद आरम्भ कर दिया है ;

(ख) अब तक उन्होंने कितने "स्टेशन कार्यकरण नियमों" का अनुवाद कर लिया है ;

(ग) इस गति से अनुवाद किये जाने से सभी स्टेशन कार्यकरण नियमों का अनुवाद करने में कितने वर्ष लगेंगे ; और

(घ) कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). हाल में इस आशय की हिदायत जारी की गयी है कि स्टेशन कार्य-संचालन नियमों का हिन्दी में अनुवाद कराया जाये । चूंकि भारतीय रेलों में 7000 से भी अधिक स्टेशन हैं, इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि शुरू में, केवल उन स्टेशनों के स्टेशन कार्य संचालन नियमों का हिन्दी अनुवाद किया जाये, जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हों । लेकिन इन स्टेशनों की संख्या भी काफी अधिक हैं और स्टेशन कार्य संचालन नियमों का हिन्दी अनुवाद करने में समय लगेगा ।

"रेलवे सप्ताह पुरस्कार" 1969

9471. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के "रेलवे सप्ताह पुरस्कार," 1969 प्राप्त करने वालों तथा दर्शकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी सम्मिलित थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनरल मैनेजर ने अपना भाषण केवल अंग्रेजी में पढ़ा था ; और

(ग) रेलवे के हिन्दी भाषी प्रदेशों में विभागाध्यक्षों को हिन्दी भाषा के प्रयोग के बारे में सजग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) इस बात के अनुदेश जारी किये जा रहे हैं कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में संगठित सरकारी जन-समारोहों में रेलवे अधिकारीगण उपस्थित जन समूह के सामने हिन्दी में बोलने को तरजीह दें ।

हिन्दी के बारे में रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन

9472. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनल रेलवे मुख्यालय कार्यालयों में विभाध्यक्षों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि वे हिन्दी के बारे में रेलवे बोर्ड के आदेशों और राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे रेलवे कार्यालयों में लागू करने की प्रगति को प्रमुख अधिकारियों की बैठक में इस पर नियमित रूप से क्यों विचार नहीं किया जाता ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Nomination of Members for Central Social Welfare Board

9473. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the meaning of 'Social Worker' in the context of nomination of members for the Central Social Welfare Board ;

(b) the number of those Members of the said Board who are the family members/ wives of the distinguished persons/Central and State Ministers and the criteria and qualifications laid down for nominating them for the said Board ;

(c) the reasons for not having any representative of the Harijans in the said Board ; and

(d) whether Government propose to accept the name of the representative proposed by the Members of Parliament so as to include the representation of the Scheduled Castes in the said Board ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) The term 'Social Worker' has been used in the general sense, meaning thereby a person engaged in or actively associated in promoting social welfare activities.

(b) No member of the Board belongs exclusively to the category referred to. The appointment of members to the Central Body of the Central Social Welfare Board is regulated by the provisions of Clause 4 of the Articles of Association of the Board.

(c) and (d). As provided for in the Articles of Association, nominations are made from among prominent social workers. It is not always possible to accept individual cases sponsored dy different Members of Parliament.

नई दिल्ली में पटेल रोड पर उपरि पुल

9474. **श्री बलराज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर, नई दिल्ली में पटेल रोड क्रासिंग पर उपरि पुल बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिगोजना को पूरा करने की अन्तिम तिथि क्या है ;

(ग) क्या लिंक रोड, महरोली रोड और रोहतक रोड के रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल बताने का कार्य आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) आशा है, रेल पथ पर ऊपरी सड़क पुल में रेलवे के हिस्से का काम 1970 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) और (घ). महरौली रोड पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था का अनुमोदन हो चुका है और इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । लिंक रोड और रोहतक रोड पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के प्रस्तावों को अभी दिल्ली नगर निगम ने अनुमोदित नहीं किया है ।

पश्चिम रेलवे में अजमेर पार्सल कार्यालय में पार्सल क्लर्कों के काम का मापदण्ड

9475. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री रा० की० अमीन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में अजमेर पार्सल कार्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये पार्सल क्लर्कों के काम के सम्बन्ध में निर्धारित मापदंड क्या है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में अजमेर पार्सल कार्यालय में कुल कितना पार्सल यातायात कार्य किया गया, अर्थात (एक) कितने पार्सल वे-बिल जारी किये गये और कितने पार्सल बुक किये गये ; (दो) कितने पार्सल वे-बिल और पार्सल आये ; (तीन) कितने पार्सल भेजे गये ; (चार) कितनी नि:शुल्क सेवा वस्तुएं पहुंची और भेजी गई ;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कार्य को करने के लिये कितने पार्सल क्लर्कों की आवश्यकता है ;

(घ) इस समय कितने पार्सल क्लर्क कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के आंकड़ों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मल्कागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान से ट्रक अड्डा हटाना

9476. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मल्कागंज, दिल्ली के समीप कब्रिस्तान से ट्रक अड्डा हटाने के बारे में 10 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 4009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कलक्टर ने वर्तमान अनधिकृत कब्जाधारी से वक्फा भूमि का कब्जा लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से इस बारे में जांच कराई है कि मुतवली तथा बोर्ड के अन्य कार्यकर्ता, जो कि ट्रक-यूनियन के साथ मिले हुए हैं इस मामले में कैसे विलम्ब करा रहे हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि यह ट्रक अड्डा दो मन्दिरों, तीन स्कूलों तथा एक गुरूद्वारे के समीप है तथा गुण्डों का अड्डा बन गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) उस आयुक्त ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह सूचना दी है कि ट्रक आपरेटर्स यूनियन ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और अंजुमन कौम रैया भी वैधानिक कार्यवाही

की है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः कब्जाधारी को निकाला नहीं जा सकता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां । इसमें ट्रक अड्डे के समीप दो मन्दिर, तीन विद्यालय और एक गुरूद्वारा है। फिर भी यह कहना ठीक नहीं है कि यह स्थान असामाजिक तत्वों से घिरा है ।

मनीपुर में औद्योगिक विकास

9477. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक पिछड़ेपन के बारे में योजना आयोग के कार्यकारी दल के प्रतिवेदन में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों की सूची में मनीपुर का संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित हैं ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये क्या विशेष उपाय करने का विचार है ;

(ग) उद्योगों की सूची क्या है और उपर्युक्त प्रस्ताविक उद्योगों के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है ; और

(घ) क्या योजना में कोई बिजली विकास योजना भी सम्मिलित की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). कार्यकारी दल के रिपोर्ट की जांच इस समय राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति द्वारा की जा रही है । जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

अजमेर डिवीजन में वाणिज्यिक लिपिकों को उच्चतर ग्रेड वाले पद

9478. **श्री रा० की० अमीन** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक लिपिकों के संवर्ग के बारे में वार्षिक पुनर्विचार के आधार पर रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या ई (एस) 1-57 टी० आर० बी०/9, दिनांक 15 मार्च, 1958, के द्वारा वाणिज्यिक लिपिकों के उच्चतर ग्रेड के पदों की प्रतिशतता में वृद्धि करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन आदेशों को लागू करने में डिवीजनों ने विलम्ब किया तथा उन्हें अप्रैल, 1963 से लागू किया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) ने दिनांक 9 जनवरी, 1963 के अपने पत्र संख्या ई० टी० 261/42 के द्वारा वाणिज्यिक लिपिकों की संवर्ग सूची में इन पदों को 1 अप्रैल, 1961 से ऊंचे ग्रेड वाला बनाया दिखाया है ;

(ङ) इन पदों को ऊंचे ग्रेड के पद बनाने में विलम्ब किये जाने के कारण वाणिज्यिक लिपिकों को कितनी आर्थिक हानि हुई है ; और

(च) क्या सरकार उन प्रभावित कर्मचारियों को राहत देने का विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई (एस) 1-57/टी० आर० बी०/9 दिनाँक 15-3-1958 द्वारा जो निर्णय सूचित किया गया था वह वाणिज्यिक क्लर्कों के संवर्ग की वार्षिक समीक्षा के आधार पर नहीं था बल्कि मजदूर संगठनों के साथ हुए समझौते के अनुसार था ।

(ख) वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों का विभिन्न वेतनक्रमों में प्रतिशत वितरण नीचे लिखे अनुसार निर्धारित किया गया था :

60-150 रु० (नि० वे०)
(अब 110-200 रु० (प्रा० वे०) पदों की कुल संख्या का $62\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।

100-185 रु० (नि० वे०)
(अब 150-240 रु० (प्रा० वे०) पदों की कुल संख्या का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत ।

150-225 रु० (नि० वे०) और पदों की कुल संख्या का 5 प्रतिशत ।
290-300 रु० (नि० वे०)
(अब 205-280 रु० (प्रा० वे०) और
(250-380 रु० (प्रा० वे०))

यह निर्णय 1-4-56 से लागू किया गया था लेकिन पिछला बकाया 1-4-57 से दिया जाना था ।

(ग) जी नही ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

(च) सवाल नहीं उठता ।

गत्ते के डिब्बों में सिगरेटों का बुक किया जाना

2479. **श्री रा० की० अभीन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में लकड़ी की पेटियों के स्थान पर गत्ते के डिब्बों में सिगरेट भेजे जाते हैं ;

(ख) पैकिंग में इस प्रकार की रियायत दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) पार्सल गाड़ियों में किन-किन वस्तुओं को गत्ते के पैकिंग में बुक करने की अनुमति दी जाती है ;

(घ) जनवरी-दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में यात्री गाड़ी से भेजे जाने वाले सिगरेटों से पश्चिम रेलवे को कुल कितना भाड़ा मिला ; और

(ङ) जनवरी से दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में पश्चिम रेलवे ने क्षति तथा चोरी के कारण कुल कितनी धनराशि के दावों का भुगतान किया ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) अखिल भारतीय आधार पर पैकिंग के लिये निर्धारित शर्तों के अनुसार सिगरेट के परेषणों को नलीदार फाइबर-बोर्ड (गत्ते) के डिब्बों में भेजने की अनुमति है बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की गयी हों। अन्य रेलों की तरह पश्चिम रेलवे में पैकिंग के इस अनुमत तरीके का उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) सिगरेटों को निर्धारित शर्तों के अनुसार फाइबर-बोर्ड (गत्ते) के डिब्बों में पैक करने की आमतौर पर अनुमति दी जाती है और पश्चिम रेलवे में यह रियायत विशेष रूप से नहीं दी गयी है ।

(ग) निम्नलिखित वस्तुओं के लिये पैकिंग की विशिष्ट शर्तें निर्धारित है । इनके सिवाय बाकी सभी पार्सलों को रेलों की संतुष्टि के अनुकूल डिब्बों, ट्रंकों, मजबूत टोकरियों, मजबूत बोरों अथवा नलीदार फाइबर-बोर्ड के मजबूत डिब्बों में सुरक्षित रूप से पैक करना होता है ।

(1) हींग
(2) मक्खन
(3) डैरी उत्पादन जैसे क्रीम, दही और दूध
(4) अंडे, ताजी मछली और ताजे फल
(5) शिकार (गेम)
(6) घी, बालों के तेल और शहद
(7) बर्फ
(8) कलेजी
(9) सब्जियां

(घ) सवारी गाड़ियों में ले जाये गये सिगरेटों से होने वाली भाड़ा-आमदनी के आंकड़े अलग-से नहीं रखे जाते ।

(ङ). जनवरी से दिसम्बर, 1968 तक माल और सवारी दोनों तरह की गाड़ियों में बुक किये गये सिगरेट के परेषणों की क्षति और उठाईगीरी के कारण पश्चिम रेलवे ने 48,913 रुपये के दावों का भुगतान किया ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

9480. **श्री प्र० रं० ठाकुर : श्री सिद्दय्या :**
श्री सूरज भान :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 अप्रैल, 1969 को अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का सभा पटल पर रखा गया प्रतिवेदन पूर्ण प्रतिवेदन था ;

(ख) यदि नहीं, तो यह किस दृष्टि से अपूर्ण है और इसका कौनसा भाग अभी भी भूतपूर्व अध्यक्ष के पास है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई पत्रव्यवहार भी सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(घ) क्या 10 अप्रैल, 1969 को प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखते समय यह मामला सभा के ध्यान में लाया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट का प्रस्तावना अध्याय, जिस पर सर्व श्री एलायापेरुमल, अच्यूतन, नारायण दीन तथा वाजे के हस्ताक्षर किये थे अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। 10 अप्रैल, 1969 को समिति की रिपोर्ट के साथ सभा पटल पर रखे गए सम्बन्धित दस्तावेजों में पृष्ठ 12 पर के पत्रव्यवहार में इसका निर्देश किया गया है।

(घ) जी, हां। लोक सभा के पटल पर समिति की रिपोर्ट के रखे गए सम्बन्धित दस्तावेजों में संगत पत्रव्यवहार को शामिल कर लिया गया है।

(ङ). प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों की समस्याएं

9481. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री सूरज भान :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की विशेष समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में देश में विभिन्न विश्वविद्यालय विभागों अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी और अर्ध सरकारी अनुसंधान विभागों और संगठनों और निजी रूप में लेखकों द्वारा किये गये अध्ययन तथा अनुसंधान के बीच समन्वय करने के लिये कोई व्यवस्था है अथवा इसके लिये कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे अध्ययनों और अनुसंधानों कार्यक्रमों की एक वर्गीकृत सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या प्रत्येक योजना अवधि के लिये योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने ऐसे अध्ययन और अनुसंधान के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया था ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(च) क्या इस विशेष उद्देश्य के लिए एक केन्द्रीय समन्वय संगठन स्थापित किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) भारत सरकार ने शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् में एक विशेष एकक स्थापित किया है । इस एकक को सौंपा गया एक काम विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के विभागों द्वारा आदिम जातीय शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना है । इसके अतिरिक्त जनगणना संगठन ने देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में जाति विज्ञान सम्बन्धी टिप्पणियां तैयार करने का काम शुरू किया । इस बारे में यह देश की विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालय के विभागों तथा लेखकों के साथ सहयोग कर रहा है ।

(ख) (i) विशेष एकक द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान अध्ययनों के शीर्षकों की सूची नीचे दी गई है :—

1. उड़ीसा के साओरा की शैक्षिक सदस्यों की पहचान ।
2. सरकार द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग ।
3. निकटस्थ क्षेत्रों में रहने वाले चुने हुए जातीय समुदायों का एक समेकित और तुलनात्मक अध्ययन ।
4. आदिम जातीय लोगों की विकासात्मक आवश्यकताएं ।
5. भारत में 18 आदिम जातियों की शैक्षिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा रोजगार सम्बम्धी स्थिति का एक अध्ययन ।

(ii) जनगणना संगठन ने निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं ।

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी, ग्रंथ सूची ।
2. विभिन्न आदिम जातीय भाषाओं में प्रकाशनों सम्बन्धी ग्रंथ सूची ।
3. जाति-विज्ञान अध्ययन के लिए संहित फ्रेम ।
4. भारत में अनुसूचित जातियों का प्रारम्भिक महत्व निर्धारण ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

(घ) ऐसे अध्ययनों तथा अनुसधान का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया गया था । अलबत्ता, अनुसंधान कार्यक्रम समिति द्वारा समय-समय पर कराए गए अध्ययनों में कुछ अध्ययन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की विशेष समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में हैं ।

(ङ) उपरोक्त अध्ययनों का एक विवरण अन्य संबद्ध ब्यौरे के साथ संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1131/69]

(च). केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए योजना आयोग एक अध्ययन दल नियुक्त कर रहा है ।

उत्तर रेलवे का राजपत्र

9482. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे का राजपत्र इसके उपभोक्ताओं को सदा विलम्ब से मिलता है ;

(ख) क्या यही स्थिति असाधारण राजपत्र के बारे में भी है जिसमें कि रोजगार सम्बन्धी सूचनायें होती हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मार्च, 1969 का असाधारण राजपत्र जिसमें काश्मीर में रेलवे कर्मचारियों के शिविर की जानकारी थी, डिविजनल सुपरिटेन्डेन्ट के कार्यालय टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली को 18 अप्रैल, 1969 को भेजा गया था जबकि आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल, 1969 थी ; और

(घ) यदि हां, तो राजपत्र इतने विलम्ब से जारी करने के क्या कारण हैं तथा दोषी व्यक्तियों के रिरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उत्तर रेलवे का गजट महीने में दो बार, अर्थात हर महीने की पहली और 16 वीं तारीख को प्रकाशित होता है और इन तारीखों के बाद दिया जाता है । कभी-कभी इसके उपभोक्ताओं के पास पहुँचने में समय लग जाता है ।

(ख) असाधारण गजट को यथासम्भवशीघ्र प्रकाशित करके वितरित किया जाता है ।

(ग) 17 मार्च, 1969 का असाधारण गजट, जिसमें 6-5-69 से 19-5-69 तक लगने वाले "काश्मीर कैम्प" की सूचना दी गयी थी, मंडल अधीक्षक कार्यालय को 14-4-69 को दिया गया था । गजट के प्रकाशनों की सप्लाई में विलम्ब हो सकता है, इसलिये हमेशा इस बात की सावधानी बरती जाती है कि रेलवे के सभी अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिये जायें । इस मामले में भी 10-3-1969 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कर्मचारियों को पर्यटन और आवेदन-पत्र भेजने की अन्तिम तिथि के बारे में सूचित किया गया था ।

(घ) चूंकि कार्यालयों की संख्या बहुत अधिक है और वे मुद्रण एवं लेखन-सामग्री अधीक्षक, शकूर बस्ती के कार्यालय से दूरी पर स्थित हैं, इसलिए कुछ कार्यालयों में गजट पहुँचाने में विलंब हो गया । फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिये कि असाधारण गजट प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर सभी मंडलों में पहुंच जायें, संगठन को मजबूत किया जा रहा है ।

तीसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

9483. **श्री यशपास सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में तीसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक हटाये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रिकार्ड सार्टर, दफ्तरी, चपरासी और फराश की कोटियों में।

(ख). फिलहाल यह प्रतिबंध 31-3-1970 तक लागू है।

Railway Land in Old Deegha Ghat of Patna District

9484. **Shri Ramavtar Shastri :** **Shri Yogendra Sharma :**
Shri K. M. Madhukar : **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land belonging to the Railways in old Deegha Ghat of Patna District has been lying unused for the last many years ;

(b) if so, the area of that land ;

(c) whether it is also a fact that the residents of Nakta Diara under Deegha Police Station fall victim to terrible floods every years and there remains a danger of the entire village being swept away by floods ;

(d) if so, whether the residents of the aforesaid village have sent a Joint Memorandum to him wherein they have demanded that they may be allowed to settle on the aforesaid land ;

(e) if so, the details thereof ; and

(f) the reaction of Government in regard thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) About twenty four acres with assets thereon.

(c) The Railway Ministry has no information regarding flooding of the village Nakta Diara.

(d) Yes. A Memorandum has been received in April '69.

(e) The residents of the village Nakta Diara have stated that their village is situated on low land as a result of which they become victims of floods every year and thcir crops and other properties are demaged. They have requested for arrangements to be made for their rehabilitation on Railway land lying unutilised for which they are prepared to bear reasonable expenses towards cost of the land.

(f) The question of disposal of the surplus land is under consideration as requests from P. and T. Department and some State Government Department have also been received, for transfer of the land under reference.

Manufacture of Small Indigenous Tractor

9485. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a small tractor having all indigenously manufactured parts, has been assembled by a farmer of U. P., Shri K. Singh in collaboration with an Engineer ;

(b) the special features thereof and the estimated cost thereof ;

(c) the company to which license for large-scale manufacture thereof is granted and the names of those companies which had applied therefor ; and

(d) the location of the proposed factory ?

The Ministers of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A, Ahmed) : (a) to (d). Government have no information in this regard.

Amendment of Untouchability Act

9486. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present Removal of Untouchability Act, 1955, has proved ineffective in so far as the question of taking legal action against the persons preaching untouchability is concerned ; and

(b) if so, whether Government propose to amend it and if so, by when ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phulrenu Guha) : (a) and (b). The working of the Untouchability (Offences) Act has been examined by the Elayaperumal Committee, which has made some suggestions for amendment. These are under consideration in consultation with the State Governments.

एक ट्रस्ट द्वारा इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का लिया जाना

9487. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री वाल्मीकि चौधरी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयर अब एक ट्रस्ट के पास है जो डल्हौजी होल्डिंग और इंडियन आयरन एंड स्टील लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था ;

(ख) डलहौजी होल्डिंग्स का पूंजी ढांचा इस समय क्या है और इस पूंजी का नियोजन किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या यह कम्पनी सोलिसिटरों की एक फर्म आर्ट डिगनाम एण्ड कम्पनी की 24,50,000 रुपये पर साख बेचने के लिये बनाई गई थी ;

(घ) क्या यह धन राशि आर्ट डिगनाम एण्ड कम्पनी के साझेदारी को दी गई थी और उसे खातों में साख की धनराशि लिखा गया था ;

(ङ) डलहौजी होल्डिंग के अंशधारियों के क्या नाम हैं ; और

(च) क्या डलहौजी होल्डिंग ने अपने वही खातों में इण्डियन आयरन के शेयरों की प्राप्ति और विक्रय का उल्लेख किया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्। ट्रस्टियों के नाम इस समय, 33,69,200 हिस्से है।

(ख) से (च). सूचना संग्रह की जा रही है एवं एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के निदेशक

9488. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के निदेशकों के नाम क्या हैं यथा वे कितने समय तक इस बोर्ड में निदेशक थे ;

(ख) प्रत्येक सरकारी निदेशक के कार्यकाल में बोर्ड की कितनी बैठकें हुई थीं तथा उनमें से प्रत्येक निदेशक ने कितनी बैठकें की थीं तथा उनमें से प्रत्येक निदेशक ने कितनी बैठकों में भाग लिया था ;

(ग) क्या सरकारी निदेशकों ने सरकार को यह बताया था कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय किया था ; और

(घ) क्या किसी सरकारी निदेशक ने किसी समय सरकार को यह बताया था कि वर्ष 1968 में इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष ने अंशधारियों की वार्षिक आम सभा में भाषण देते हुए कहा था कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील, कम्पनी लिमिटेट के विकास कार्यक्रमों तथा परियोजना संबंधी योजनाओं में काफी विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर सकारात्मक हों तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) निदेशक मण्डल में सरकारी निदेशक का नाम — अवधि

श्री टी० स्वामीनाथन्	11-8-1966 से 10-1-1967
श्री एच० लाल	11-1-1967 से 6-3-1969
श्री आर० सी० दत्त	7-3-1969 से लेकर चल रहे हैं ।

(ख) कार्यालय में हुई बैठकें — जितनी बैठकों में उपस्थित थे

श्री टी० स्वामीनाथन्	8	—
श्री एच० लाल	50	2
श्री आर० सी० दत्त	5	2
	(आज की अर्थात 13-5-69 की बैठक भी शामिल है)	(आज की अर्थात 13-5-69 की बैठक भी शामिल है)

1966 से पहले की अवधि की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). उल्लिखित तथ्यों की जानकारी सरकार को है यदपि किसी बात से

इसका संकेत नहीं मिलता कि सरकारी निदेशक ने ही विशेष रूप से इनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के अंशों का डलहौजी होल्डिंग के नाम हस्तांतरण

9489. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अंशों को डल्हौजी होल्डिंग के नाम हस्तांतरित करने सम्बन्धी मामले को राय जानने के लिए विधि मंत्रालय को सौंपा गया था तथा क्या उनकी राय इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है ;

(ग) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अंशधारियों की ओर से पहली शिकायत किस तारीख को प्राप्त हुई थी कि कम्पनी का काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है ; और

(घ) उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). यह विषय, विधि मन्त्रालय में परीक्षान्तर्गत है, तथा उनकी राय शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

(ग) कम्पनी के एक हिस्सेदारी द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 1968 को वित्त मन्त्रालय के नाम लिखी गई शिकायत की एक प्रति, कम्पनी कार्य विभाग में, 11 अक्तूबर, 1968 को प्राप्त हुई थी।

(घ) मामला परीक्षान्तर्गत है।

इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अंशों का डलहौजी होल्डिंग के नाम हस्तांतरण

9490. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध, उस कम्पनी के अंशों को डलहौजी होल्डिंग के नाम हस्तांतरित करने के बारे में, की गई शिकायतों पर उनके मन्त्रालय में अनौपचारिक बैठक में चर्चा की गई थी और यदि हां, तो किस तारीख को ; और

(ख) क्या उनके विभाग के नोट की एक प्रति, अनौपचारिक सलाहकार समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया था, सभा पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 23 दिसम्बर, 1968 को हुई, औद्योगिक विकास, एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के लिये संसद की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति की बैठक में, इन्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के प्रबन्ध से संबंधित कुछ इंगित प्रकाश में आये थे।

(ख) सदन के पटल पर नोट की एक प्रति प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1132/69]

इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के अंशों का डलहौजी होल्डिंग को हस्तांतरण

9491. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय को अनौपचारिक सलाहकार समिति को डलहौजी होल्डिज को अंशों के हस्तान्तरण के मामले में परिचालित वक्तव्य में यह बताया गया है कि श्री सीतलवाद के मतानुसार इन्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के 31 मार्च, 1953 से 31 मार्च, 1969 तक के संतुलन पत्र में दिया गया वह ब्यौरा, जो 'पूंजी विनियोजन बरूली खाता' शीर्षक के अन्तर्गत है, कुछ भ्रामक हैं क्योंकि इससे संतुलन पत्र में इस मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट नहीं होते हैं' और श्री सीतलवाद ने जो कुछ कहा है उसका यह वक्तव्य सही संक्षिप्त रूप नहीं है ;

(ख) क्या श्री सी० के० दफ्तरी ने भी स्वतः तथा स्वतन्त्र रूप से श्री सीतलवाद के वक्तव्य की पुष्टि की है ; और

(ग) क्या उक्त वक्तव्य में यह कहा गया है कि वकील द्वारा उठाई गई बातें कलकता उच्च न्यायालय द्वारा सही करार दिये गये सौदों से उत्पन्न हुए परिणाम दिखाई देते हैं ; यदि हां, तो डलहौजी होल्डिंग के 5 वर्ष की अवधि को बढ़ाना कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सही करार दिये गये सौदों का परिणाम कैसे बनता है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री एम० सी० सीतलवाद द्वारा, एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड तथा श्री आर० एन० गोइन्का को दी गई राय के साथ साथ, परामर्शदाता ने कहा है कि :—

"कुछ सौदे जो किये गये, तथा प्रकाशित लेखाओं में जिस प्रकार से उन्हें दिखाया गया, इस स्थिति से भी शायद प्रबन्धकर्ता वर्ग के, अपकरण, तथा निरंतर उदासीनता अथवा कानून के अन्तर्गत अपने दायित्वों एवं कार्यों को निभाने में चूक या विश्वास घात, के संकेत मिलते हैं।" अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को परिचालन किये गये नोट में दिया गया शब्द

"कुछ सीमा" परामर्शदाता द्वारा प्रकट किये गये विचारों के आधार पर है, तथा इसका आशय केवल, अभिव्यक्ति के अर्थ का बोध कराना है ।

(ख) श्री सी० के० दफ्तरी की राय स्थूल रूप से एक समान है ।

(ग) अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को परिचालित किये गये नोट में इस प्रकार का निदेश देने का आशय नहीं था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा समर्थन किये गये सौदों से पाँच वर्षों की अवधि के विस्तार का बोध होता है। यह विस्तार इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को डलहौजी होल्डिंग्स के साथ एक परवर्ती संव्यवहार था ।

इंडियन आइरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा खरीदे स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल के अंशों का हस्तान्तरण

9492. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल के साथ विलय संभव करने के लिये वर्ष 1952 में अध्यादेश लागू होने के समय के और इसके लागू होने से पूर्व इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों ने स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल लिमिटेड के उन अंशों की, जो उसने खरीद रखे थे, डलहौजी होल्डिंग्ज नाम की एक गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनी को तथा कथित बिक्री कर दी थी ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों ने स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल लिमिटेड के अंश डलहौजी होल्डिंग्स को हस्तान्तरित करने के बाद, परन्तु उसी तिथि को इस स्वेच्छा का उपयोग किया, जिसका उपबंध बिक्री के समझौते में था, और डलहौजी होल्डिंग्ज को उन अंशों को पांच वर्षों तक किसी अन्य को देने से रोक दिया ;

(ग) पांच वर्ष की यह अवधि कब पूरी हुई और अंशों की बिक्री पर यह पाबन्दी कितनी अवधि के लिए और बढ़ाई गई ; और

(ग) ये अंश उस तथाकथित न्यास को कब हस्तान्तरित किये गये थे, जिसकी इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और डलहोजी होल्डिंग्ज पार्टियां बनीं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी एकीकरण अध्यादेश, 1952, 29 अक्तूबर, 1952 को प्रख्यापित कर दिया गया था, जिसकी शर्तों के अनुसार, यह कम्पनियों, 1-1-1953 से समामेलित होनी थी । इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी ने, एस० सी० ओ० बी० के० 11,00,000 हिस्से, दिनांक 6-12-1952 के समझौते द्वारा बेच दिये ।

(ख). से (घ). यह सूचित हुआ है कि 6-12-1952 को इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने, डलहौजी होल्डिंग्स से, पांच वर्ष की अवधि के लिये हिस्सों के पुनर्विक्रय से मना करने की मांग करने की इच्छा व्यक्त की ; तथा साथ ही आवश्यक हस्तांतरण विलेख लिखा गया, व स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल लिमिटेड के हिस्सों को डलहौजी होल्डिंग्स लि० को अर्पण कर दिया । यह पांच वर्ष की अवधि 5 दिसम्बर, 1957 को समाप्त होनी थी। आई० आई० एस० सी० ओ० तथा डलहौजी होल्डिंग्स की सम्मिलित इच्छा से, यह समझौता, 5-12-1957 से पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः बढ़ा दिया। 18 दिसम्बर, 1957 को एक न्यास-विलेख लिखा गया था, जिसके द्वारा यह हिस्से ट्रस्टियों के नाम हस्तांतरित कर दिये गये थे।

डलहौजी होल्डिंग को अंशों का हस्तान्तरण

9493. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रक्रमो पर डलहौजी होल्डिंग्स को मूलतः अंशों का हस्तांतरण करने, डलहोजी के साथ करार की अवधि बढ़ाने या बाद में तथाकथित न्यास को अंशों के हस्तांतरण के लिये अपनाई गई योजना की जानकारी सरकार को है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि न्यास उसकी देय राशि के लिए अधिक प्रत्याभूति प्रदान करने के लिए बनाया गया, यदि हां, तो न्यास द्वारा बनाये गये अंश यदि डल-हौजी होल्डिंग्ज के पास रहते तो, कम्पनी को क्या खतरा था ;

(ग) क्या न्यास का निर्माण समवाय अधिनियम 1956 के लागू होने पर डलहौजी होल्डिंग्ज के इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के मैनेजिंग एजन्टों का सहयोगी होने पर होने वाले परिणामों को रोकने के लिए ही किया गया था ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह सौदे बिल्कुल कुछ वर्ष पहले किये गये हैं। संबंधित मंत्रालयों से उपलब्ध सूचना संग्रह करने के पग उठाये जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग). चूंकि आरोपों की परीक्षा की जा रही है, अतः इस स्तर पर कोई मत व्यक्त नही किया जा सकता।

मनीपुर सरकार द्वारा लकड़ी के फर्मों की खरीद

9494. **श्री एम० मेघ चन्द्र :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार कुछ गैर-सरकारी फर्मों द्वर आफ मेरचेरिटा, आसाम को

मनीपुर की पहाड़ियों में ब्लाक बिल्डिंग के बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी के फर्मों और लकड़ी को खरीदने के आर्डर दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो खरीद का ब्यौरा क्या है और खरीद की प्रतिवर्ग फुट दर क्या है और उक्त खरीद पर कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी ;

(ग) इम्फाल को इस की सप्लाई किये जाने पर इसका प्रतिवर्ग फुट क्या मूल्य होगा ;

(घ) मारघेरिटा से उक्त सामान खरीदने के क्या कारण थे जबकि मनीपुर सरकार इसकी व्यवस्था मनीपुर के बन उत्पादों से कर सकती थी ;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए टैंडर आमन्त्रित किये गये थे और उचित नोटिस दिये गये थे ; और

(च) यदि हां, तो उन समाचार-पत्रों के क्या नाम हैं जिनमें टैन्डरों का विज्ञापन दिया गया था ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

चामपुरा सब-डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में रहने वाले रेल कर्मचारियों को विशेष भत्ता

9495. **श्री मु० च० नायक :**
श्री धी० ना० देव :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में बारबिल, बलानी, बनस्पानी तथा देवझर स्टेशन चमुआ सब-डिवीजन (जिला क्योंजहार उड़ीसा) में चामकपुर-डंडपत के घोषित अस्वाथ्य-कर क्षेत्र में स्थित हैं ;

(ख) क्या सम्बन्धित रेल कर्मचारियों को विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है हालांकि उन्होंने रेल अधिकारियों को बार बार अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात 1960 से उनकी वास्तविक देय राशि देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). इस मामले की जाँच की जा रही है ।

नोआमण्डी तथा बांसपानी (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच लेवल क्रासिंग

9496. **श्री मु० चं० नायक :**
श्री महेन्द्र माझी :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नोआचमंडी (पडा पहाड़) तथा बांसपानी (दक्षिण पूर्व रेलवे)

के बीच जम कुंडिया, कुलभ, महादेव नासा, देवझार, किताबेदा, सिभाली जोड़ा, भागलपुर तथा लहड़ा ग्रामों से गुजरने वाली रेलवे लाइन को किसानों द्वारा पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किसानों की इन कठिनाइयों को देखते हुए क्या रेलवे का कोई प्रस्ताव वहाँ पर लेवल क्रासिंग बनाने का है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

बड़ा जामदा से बारबील और बोलानी खादान तथा यात्री गाड़ी (दक्षिण पूर्व रेलवे)

9497. **श्री महेन्द्र माझी :** **श्री घी० ना० देव :**

श्री गु० चं० नायक :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे पर बड़ा जामदा से बारबलि और बोलानी खदान तक नई यात्री गाड़ी चलाने की बड़ी जोरदार मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्री गाड़ी को रेलवे का विचार कब चलाने का है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) इस खन्ड पर सवारी यातायात शुरू करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के अलावा ऐसा करने से इस क्षेत्र के सारभूत खनिज यातायात के संचालन में बड़ी वाधा पहुंचेगी ।

अजमेरी गेट रेलवे साइडिंग (दिल्ली) में फल मार्केट

9498. **श्री जुगल मंडल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के फल व्यापारियों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर के अजमेरीगेट साइडिंग पर एक फल मार्किट बना ली है जिसके कारण रेलवे प्लेटफार्मों पर डिब्बों के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है और गंदगी फैल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

हथकरघा, खादी तथा कुटीर उद्योग में कार्य करने वाले लोग

9499. **श्री एस० के सम्बन्धन :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वस्तुत: (एक) हथकरघा उद्योग (दो) खादी उद्योग तथा

(तीन) ग्रामीण तथा अन्य कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन उद्योगों पर पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में तथा गत दो वर्षों में कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर में उद्योगों की स्थापना के लिये आर्थिक सर्वेक्षण

9500. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के रायचूर, बेल्लारी और धारवार जिलों में, विशेषतः धारवाड़ जिले से मुंदरगी ताबुक में और रायपुर जिले के कोंप्पल, गंगावती, यलबुर्गा, तालुकों तथा बेल्लारी जिले के हासपेट हदागिल तालुकों में कच्चे माल तथा प्रतिभा की स्थानीय उपलब्धता के आधार पर उद्योग स्थापित करने की संभवनाओं के बारे में कोई आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मैसूर राज्य सहित विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विकास की सम्भाव्यताओं का अंकन राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है । रास्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मैसूर राज्य का तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था और उसके निष्कर्ष प्रकाशित किये जा चुके हैं ।

मुगल सराय तथा गोमोह के बीच मालगाड़ी की लाइन

9501. **श्री इस्हाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में मुगलसराय तथा गोमोह के बीच मालगाड़ी लाइन आरम्भ की गई है तथा वहां पहुंचने में लगभग 14 से 17 घंटे लगते हैं तथा एक गार्ड को 373 किलोमीटर लाइन का काम लगातार संभालना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्व रेलवे के धनबाद तथा दीनापुर डिवीजनों के गार्डों ने इस लाइन का विरोध किया है तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को कई अपीलें करके सूचित कर दिया है तथा अन्त में असहयोग आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके अप्रशिक्षित ट्रेन क्लर्कों को गार्डों का काम सौंपा जा रहा है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस लाइन को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मुगलसराय और गोमों के बीच, यह गाड़ी औसतन 12 घंटे का समय लेती है। गुड्स ट्रेन लिंक के गार्ड को मिलाकर 14 घंटों से अधिक ड्यूटी पर नहीं रहना पड़ता। ऐसे गार्ड को कार्य मुक्त करने की व्यवस्था है जो 12 घंटे की रनिंग ड्यूटी या 14 घंटे की कुल ड्यूटी करने के बाद दो घंटे पूर्व नोटिस देकर सेक्शन पर कार्यमुक्त होना चाहे।

(ख) धनबाद और दानापुर मंडलों के गार्डों की ओर से एक तार मिला था जिसमें कहा गया था कि एक गार्ड के लिए यह यात्रा बहुत लम्बी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

जबलपुर डिविजन में गार्डों को संगचल कर्मचारियों के कमरे की सुविधायें

9502. **श्री इस्हाक साम्भली** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्राम कक्ष की सुविधा संगचल कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत नहीं आती है यदि उन्हें विश्राम कक्षों में ठहरने के लि कहा जाता है ;

(क) क्या यह भी सच है कि संगचल कक्ष सुविधाओं की लागत संगचल कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करते समय उनके खाते में डाल दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन के कुछ स्टेशनों पर गार्डों को नियमों के अन्तर्गत देय भोजन तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में स्टेशनों पर स्थित विश्राम कक्षों में विश्राम करने के लिये बाध्य किया जाता हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कटनी के गार्डों में इस सम्बन्ध में डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट को अभ्यावेदन भेजे जाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इस क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) साधारणतया विश्रामालय में उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती जो सामान्यतया रनिंग कर्मचारियों के लिए रनिंग रूमों में उपलब्ध होती है।

(ख) रनिंग कर्मचारियों के रनिंग भत्ते में दो चीजें शामिल हैं अर्थात् जेब खर्च और प्रोत्साहन रनिंग भत्ते के अन्दर जेब खर्च की मात्रा निकालने के लिए उसी वेतनमान के तदनुरूपी कर्मचारियों को ग्राह्य यात्रा भत्ते से रनिंग रूम की सुविधाओं के मूल्य को अंशत: घटा दिया जाता है।

(ग) से (ङ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण स्कूल

9503. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण स्कूल खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) यह स्कूल कब चालू हो जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1969-70 के आयव्ययक में 91,300 रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में स्कूल खुल जाने की सम्भावना है ।

Heavy Electricals Ltd., Bhopal

9504. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the share capital of the Heavy Electricals Limited, Bhopal, at the time of its establishment and at present ;

(b) the extent of existing loans it has to repay and the amount of interest being paid therefor ; and

(c) the loss suffered so far by the Company during the last three years, year-wise, and the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Rs. 30 crores at the time of establishment and Rs. 50 crores at present.

(b) As on 31st March, 1969, the loans outstanding came to Rs. 59,41,09,436/-. The amount of interest payable on these loans during 1969-70 is estimated at Rs. 384 lakhs.

(c) The losses suffered by Heavy Electricals (India) Limited during the last three years are as under :—

Year	Loss (Rs. in lakhs)
1966-67	676.57
1967-68	580.07
1968-69	505.00 (estimated)

Such losses have been envisaged in the Detailed Project Report by the Consultants and are not unusual in a project of this kind and magnitude during construction and the initial years of production.

Khandwa-Dohad Railway Line

9505. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the basis for the belief of the Ministry of Railways that the Khandwa-Dohad railway line would not be economical ;

(b) whether his Ministry have ever sent any Commercial Inspector to carry out survey of this line so as to submit details about the increase in population of these areas, about the industrial development programmes and the number of Municipal Committees so far constituted there ; and

(c) if not, the date by which it is likely to be done ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) With the present day high cost of construction as well as operation only those new lines on which a large volume of traffic is likely to materialise, such as movement of ores, minerals and industrial products are likely to prove economically viable. On this basis, prima facie, the Khandwa-Dohad line is not likely to be remunerative.

(b) and (c). As construction of this line is not likely to merit consideration in the Fourth Plan, no survey for this line was carried out in the recent past. Also no surveys are proposed to be carried out in the near future as any survey carried out now will become out of date if at all the construction of this line is to be considered only at a distant future date.

Allotment of Wagons for Transport of Coal

9506. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Coal Controller in a meeting convened by him had decided to discontinue sponsoring programme regarding soft coke and that quotas would be awarded to traders for loading soft coke ;

(b) whether it is also a fact that after the attack on Kutch in 1965, the Coal Controller had directed that allotment of wagons be made after review of past record of traders and the old traders should be given preference ;

(c) whether it is also a fact that some State Governments are not carrying out such orders of the Coal Controller ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No.

(c) and (d). Do not arise.

Allotment of Coal Wagons

9507. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Ministers of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by Government to the effect that the State Governments recommend the allotment of coal-wagons and the wagons are allotted to the new dealers and not to the old ones and those who pay more tax ;

(b) the reaction of Government thereto ;

(c) whether his Ministry is formulating a scheme to take over the entire allotment work ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Two such complaints were received.

(b) Sponsoring of coal is done by the State Governments who are the proper authority to deal with such complaints.

(c) and (d). Allotment of wagons for loading of coal is already being done by the Railways, and preference is given in allotment to movements sponsored by the State Govern-

ments and orther nominated sponsoring authorities. The system of giving preference to sponsored movements within the application of the Railway Priority Schedule is in accordance with similar action taken in regard to other commodities also such as Salt, Foodgrains, Cement, etc. with a view to ensure that essential demands are met in preference. This is all the more necessary in case of coal for which highly inflated and speculative demands are placed on the railways after de-control.

उत्तर प्रदेश की दून घाटी में सीमेंट का कारखाना

9508. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की दून घाटी में सीमेंट के दो कारखाने स्थापित करने के लिए योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके परिव्यय और क्षमता का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) वे किन किन फर्म के सहयोग से स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

टैनिस बाल के निर्माण वितरण में भ्रष्टाचार

9509. **श्री लोभो प्रभु** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शिकायत के बारे में की गई जाँच के परिणाम निकले हैं कि टैनिस बाल बनाने वाली फर्मों ने आयातित कपड़े से टैनिस बाल बनाने की बजाये अन्य वस्तुयें बनाई हैं ;

(ख) निर्माताओं के विदेशी सहयोग के समाप्त होने के पश्चात इस कपड़े का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा इस से कितने दर्जन टैनिस बाल बनाये जाने चाहिये थे ;

(ग) अखिल भारतीय लान टैनिस एसोसियेशन के साथ हुए इस के करार के अनुसार निर्माताओं ने इसी अवधि में ठीक-ठीक कितने दर्जन टैनिस बाल सम्बद्ध क्लबों को सप्लाई करने हेतु अभिकरणों को सप्लाई किये हैं ;

(घ) चूंकि कपड़े आयात करने के लिये 8 लाख की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता समझी गई है, तो क्या कारण है कि विद्यमान फर्मों को पिछले वास्तविक व्यय के अनुसार तथा शेष निर्माण कर के नये आवेदकों (डनलप) को नहीं दी जाती ; और

(ङ) सरकार द्वारा न्यूनतम अपेक्षित संख्या में टैनिस बालों का आयात कर के क्लबों को समाप्त होने से न बचाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1962-66 में मेल्टन कपड़े सहित विभिन्न कच्चे साल के समेकित आयात लाइसेंस मैसर्स रबड़ मेन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता को जारी किये गये थे जिन्हें टैनिस के गेंद

बनाने का लाइसेंस दिया गया है। यद्यपि फर्म की यह मर्जी थी कि वे टैनिस गेंदों के उत्पादन को बढ़ाने लिये समेकित लाइसेंस में से मेल्टन कपड़े का अधिक मात्रा में आयात कर सकती थी किन्तु उस ने मेल्टन कपड़े का कम मात्रा में आयात किया और शेष लाइसेंस मूल्य को अन्य कच्चे माल जैसे संशलिष्ट रबड़, रसायन आदि के आयात के लिये तथा रबड़ की अन्य वस्तुओं जैसे रबड़ की चारपाइयां तथा रबड़ के उत्पादन करने के लिये उपभोग किया। मेल्टन कपड़े के आयात की मात्रा उन की क्षमता के अनुसार निर्धारित नहीं की गई थी वरन् (1) टैनिस बाल बनाने के लिये फर्म द्वारा पिछली लाइसेंसिंग अवधि में मेल्टन कपड़े के आयात के आधार पर की गई थी (2) समीक्षाधीन अवधि में फर्म द्वारा उत्पादन में सम्भावित वृद्धि के अनुसार निर्धारित की गई थी। चूंकि विदेशी मुद्रा का आवंटन सीमित था अतः फर्म को कुछ छूट देने की दृष्टि से अन्य फर्मों की भांति प्रत्येक कच्चे माल के आयात के लिये भिन्न-भिन्न मूल्य आयात लाइसेंसों में नहीं दिखाये गये थे यद्यपि प्रत्येक कच्चे माल के लिये आयात की हकदारी निर्दिष्ट की गई थी और उन्हें आयात लाइसेंस में दिखाया गया था। चूंकि फर्म ने मेल्टन कपड़े की सीमित मात्रा का आयात किया है जिस के फलस्वरूप उत्पादन में कमी हुई। आयातित मेल्टन कपड़े का अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया गया था।

(ख) विदेशी सहयोग करार के समाप्त होने के पश्चात फर्म को निम्नलिखित आयात लाइसेंस जारी किये गये थे :—

	लाइसेंस संख्या	सी० आई० एफ० मूल्य	स्रोत
1.	2162986 दिनांक 4-4-68	1 लाख रुपये	कहीं से भी
2.	2162905 दिनांक 4-4-68	2 लाख रुपये	अमरीकी सहायता से

फर्म को मेल्टन कपड़े तथा अन्य कच्चे माल को अमरीकी सहायता से आयात करने के लिए एक और आयात लाइसेंस नं० 2161454 दिनांक 23-12-67 जारी किया गया था जिसे का मूल्य 1,38,000 रुपये था। मेल्टन कपड़े का मूल्य 72,000 रुपये दिखाया गया था। बाद में फर्म ने सारे मूल्य मेल्टन कपड़े के आयात के लिये करने का अनुरोध किया था। फर्म के अनुरोध को मान लिया गया था और अक्टूबर, 1968 में लाइसेंस के सारे मूल्य को मेल्टन कपड़े के आयात के लिये बना दिया गया था। उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जायेगा कि फर्म को कुल 4,38,000 रुपये के तीन आयात लाइसेंस जारी किये गये थे। इन लाइसेंसों के आधार पर कुल 6200 गज मेल्टन कपड़ा आयात किया जा सकता था और फर्म 4,96,000 टैनिस के गेंदों का उत्पादन कर सकती थी। इस के विरुद्ध कम्पनी ने मार्च, 1969 के अन्त तक कुल 1500 गज मेल्टन कपड़े का आयात किया अप्रैल 1968 से फरवरी 1969 तक उन का टैनिस गेंदों का कुल उत्पादन 2,48,674 नग था।

(ग) ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). कच्चे माल के लिये जारी किये जाने वाले लाइसेंसों की प्रक्रिया के अ सार फर्म नये आयात लाइसेंस के लिये तभी आवेदन कर सकती है जब कि वह पहले जारी किये गये पूर्ण उपभोग कर लेती है। चूंकि फर्म को अभी पहले जारी किये गये लाइसेंस का उपभोग करना है इस लिये अधिक आयात की अनुमति दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। चालू आयात नीति के अनुसार टैनिस गेंदों के आयात की अनुमति नहीं है। वर्तमान उत्पादकों के टैनिस गेंदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। इस के अतिरिक्त मैसर्स डनलप इण्डिया लिमिटेड का टैनिस के गेंदों के निर्माण का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

डीमापुर मनीपुर रोड रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)

9510. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के डीमापुर मनीपुर रोड रेलवे स्टेशन का नया नाम डीमापुर रेलवे स्टेशन रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह नया नाम कब से रखा गया है और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 21-2-1969 से इस स्टेशन का नाम बदलकर दीमापुर रख दिया गया है। इस परिवर्तन के लिए नागालैंड सरकार ने अनुरोध किया था।

मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजना

9511. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आवास के लिये कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो 1967-68 और 1968-69 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों ने मनीपुर सरकार से आवास ऋण लिये ; और

(घ) उक्त दो वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को क्रमशः कितना-कितना आवास ऋण दिया गया ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) और (ख). जी, हां। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आवास के लिये योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों को जी० आई० चादरें निःशुल्क दी जाती हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

सेन्चुरी फाइनेंस एण्ड इंजीनियरी कम्पनी तथा सिक्योरिटी एंड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली के निदेशक तथा अंशधारी

9512. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (एक) सेंचुरी फाइनेंस एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ए-191 जंगपुरा, नई दिल्ली और (दो) सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रवर्तकों निदेशकों तथा दस सर्वाधिक अंशधारियों के नाम और पते क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैसर्स सैक्यूरिटी एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों, निदेशकों तथा दस शीर्षस्थ हिस्सेधारियों के नाम तथा पते, संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1133/69]

देसरी कम्पनी, अर्थात, मैसर्स सेंचुरी इंजीनियरिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, 20-5-1961 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत, कम्पनियों के रजिस्टर से हटा दी गई थी ।

Liquor Shop on Mehrauli Road, Lado Sarai Village, Delhi

9513. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Chandra Shekhar Singh :**
Shri K. M. Madhukar : **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Yogendra Sharma :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has given a licence to some body for opening a liquor shop on Mehrauli Road near the Lado Sarai village ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Gram Pradhan of Mehrauli Block and the Archaeological Department have vehemently opposed this policy of the Delhi Administration;

(c) whether it is also a fact that the Pradhans have warned the Delhi Administration that in case the liquor shop was not removed from there, the rural population will start a public movement ;

(d) whether in the year of Gandhi Centenary propagation of drinking among the villagers does not amount to disrespecting the ideas of Mahatma Gandhi ; and

(e) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) The shop in question is located at a distance of one kilometre from the village Lado Sarai on the link Road between the Mehrauli Road and the Hauz Rani.

(b) and (c). No, Sir.

(d) and (e). Do not arise.

फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा व्यापारी

9514. **श्री जुगल मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री (1) आल इण्डिया थियेटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली (2) नटराज स्टूडियो (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, (3) प्रसाद प्रोडक्शन्स (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई, (4) एसोसियेटेड फिल्म

इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई, (5) जौहर फिल्म (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, (6) महल पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, (7) अन्नपूर्णा पिक्चर्स (प्राइवेड) लिमिटेड, मद्रास तथा (8) देवी फिल्म (प्राइवेट) लिमिटेड मद्रास के निदेशकों के तथा सब से बड़े अंशधारियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

ग्लोब मोटर्स लिमिटेड और सिक्योरिटी एण्ड फ़ाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली में जमा धन राशि

9515. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने किसी भी समय ग्लोब मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली और सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली में 5,000 रुपये या इससे अधिक धन-राशि जमा कराई थी और उन कम्पनियों के 5,000 रुपये से अधिक मूल्य के शेयर खरीदे थे ; और

(ख) इन कम्पनियों के निदेशकों तथा 20 उच्च शेयर-होल्डरों के नाम और पते क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, कम्पनियों के पास जमाओं की सूचना, रजिस्ट्रारों के पास मिसिल करना अपेक्षित नहीं है । अतः जमाओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । उन व्यक्तियों के नामों के बारे में उपलब्ध नवीनतम सूचना, जिनके पास, मैसर्स ग्लोब मोटर्स लिमिटेड तथा सैक्यूरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड के 5,000 रुपये से अधिक के मूल्य के हिस्से हैं, सदन के पटल पर प्रस्तुत है । (विवरण-पत्र ।) [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी0 1134/69]

(ख) इन दो कम्पनियों के निदेशकों तथा शीर्षस्त बीस हिस्सेदारों के नामों तथा पतों के बारे में नवीनतम उपलब्ध ब्यौरे, सदन के पटल पर प्रस्तुत है । (विवरण-पत्र ।।) [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1134/69]

Allotment of Refreshment and Tea Stalls on Railway Stations in Allahabad Division

9516. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of such refreshment and tea stalls on the Railway stations of Allahabad Division of the Northern Railway as were advertised for being allotted to the scheduled castes and were required to be given to the candidates of this community but the contract thereof was given to other communities ;

(b) the number of such contractors renewed in the name of old contractors and the basis therefore ;

(c) the reasons for not giving these contractors to the canditdates of scheduled castes ; and

(d) whether Government propose to give such contract to the candidates of scheduled castes early in accordance with the rules ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No refreshment or tea stalls at railway stations on Allahabad Division of Northern Railway were advertised for being specifically allotted to persons belonging to Scheduled Castes.

(b), (c) and (d). Do not arise, in view of the reply given to part (a) above.

हिन्दुस्तान पिल्किंग्टन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

9517. **श्री रा० बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 अगस्त 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान पिल्किंग्टन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता की ओर से सरकार को इस बीच कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर काँच निर्माताओं की ओर से 13 मार्च, 1969 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसमें क्या लिखा गया है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को मै० हिन्दुस्तान पिल्किंग्टन ग्लास वर्क्स लि०, कलकत्ता से सेफ्टी ग्लास का निर्माण करने के लिए अब तक कोई विदेशी सहयोग का प्रस्ताव नहीं मिला है ;

(ख) और (ग). सरकार को किसी ग्लास निर्माता के उपर्युक्त प्रस्ताव के बारे में दिनाँक 13.3.1969 का कोई पत्र नहीं मिला है किन्तु सरकार को मै० हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता से दिनांक 13.3.1969 को एक यह शिकायत प्राप्त हुई है कि मै० हिन्दुस्तान पिल्किंग्टन ग्लास वर्क्स लि०, कलकत्ता ने मजबूत शीशा बनाने के लिए मशीन का आयात किया है । इस शिकायत की जांच की जा रही है ।

दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र

9518. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तत्काल बड़ी भारी मरम्मत और पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लगाने की आवश्यता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इतनी जल्दी यह काम करना आवश्यक समझा गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि आरम्भ में घटिया निर्णय हुआ था, तथा कारीगरी भी अच्छी नहीं थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक की यूनियन) द्वारा की गयी तोड़ फोड़ की कार्यवाही से इसका कोई सम्बन्ध है ; और

(ङ) इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने को तत्काल भारी मरम्मतों की आवश्यकता है।

(ख) और (ग). कोक ओवन बैटरियों की भारी मरम्मत की आवश्यकता को इस अर्थ में समय-पूर्व कहा जा सकता है कि यह सामान्य अवधि से पूर्व ही करनी पड़ी है। जैसा कि पाण्डे समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, निम्न-स्तर के साधारण तथा मजदूरों के असहयोग पूर्ण व्यवहार के कारण यह स्थिति हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कोक ओवन बैटरियों की मरम्मत तथा इनके पुनर्निर्माण पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

9519. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, जिन पर 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी थी, के विरुद्ध बरखास्तगी आदेश/मुअत्तली आदेश/न्यायालय सम्बन्धी मामले और सेवा भंग आदेश को वापिस लेने के बारे में कोई और कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थायी, अस्थायी और नैमित्तिक कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध उक्त आदेश और मामले अभी भी चल रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 19.9.68 की हड़ताल के संदर्भ में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्रवाइयां की गयी हैं, उनकी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार निरंतर समीक्षा की जा रही है।

(ख) स्थायी कर्मचारियों की संख्या जो अभी भी निलम्बित हैं	—	71
अस्थायी कर्मचारियों की संख्या-जो अभी भी बर्खास्त हैं	—	8
नैमित्तिक मजदूरों (जिनमें एवज़ी शामिल हैं) की संख्या जो अभी भी बर्खास्त हैं	—	642

आगे समीक्षा का काम जारी है।

सिलाई मशीनों के निर्माण के लिए एक विदेशी फर्म को लाइसेंस

9520. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय सिलाई मशीन निर्माता संघ द्वारा समाचार-पत्रों में

प्रकाशित उस विज्ञापन सूचना की ओर दिलाया गया है जिस में एक विदेशी फर्म को नई क्षमता के लिए लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर चिन्ता व्यक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एक विदेशी निर्माता को इस देश में कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दी जायेगी ;

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश के उद्योग को हानि पहुंचाने के लिए नया लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सरकार ने देश में सिलाई मशीनों के संयन्त्र की स्थापना के लिए विदेशी उत्पादन कर्ता को औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया है और न इस प्रकार का कोई प्रस्ताव ही सरकार को प्राप्त हुआ है । सिलाई की मशीनों का उद्योग 1966 से लाइसेंस के प्रतिबन्ध से मुक्त है ।

रेलवे के तृतीय श्रेणी के क्लर्क कर्मचारियों की पदोन्नति कोटे की प्रतिशतता में वृद्धि

9521. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी कोटे की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है जैसाकि उनके पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने 7 जनवरी, 1969 के अपने वक्तव्य में वचन दिया था ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को भी आवश्यक राहत देने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है जो कुछ समय से अपने वेतन-मान की अधिकतम राशि प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने 19 फरवरी, 1969 को वचन दिया था ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो किस प्रकार की कार्यवाही कीं गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). रेल कर्मचारियों की बहुसंख्यक कोटियों के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये गये हैं और प्रत्येक कोटि के सम्बन्ध में आवश्यक विशेष उपाय ढूंढ निकालने की दृष्टि से उनकी विस्तृत जांच की जा रही है ।

समस्तीपुर स्थित मैकेनिकल वर्कशाप में पदों का दर्जा बढ़ाना

9522. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री समस्तीपुर स्थित मैकेनिकल वर्कशाप में पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में 15 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच वित्तीय पहलुओं पर विचार कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में कमर्शियल क्लर्कों के पदों का समाप्त किया जाना

9523. **श्री रा० की० अमीन** : क्या रेलवे मन्त्री मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में कमर्शियल क्लर्कों के पदों के समाप्त किये जाने के बारे में 11 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति द्वारा किन स्टेशनों से कमर्शियल क्लर्कों के पद समाप्त किये गये थे;

(ख) समिति ने किन-किन स्टेशनों के सम्बन्ध में जांच की थी, कुल कितना कार्यभार निर्धारित किया गया तथा कर्मचारियों की आवश्यकता का औचित्य क्या था;

(ग) क्या सरकार को पदों के समाप्त किये जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय रेलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसिएशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में बनसकंठा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उपनिर्वाचन

9524. **श्री नम्बियार** :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवेन सेन :
श्री जागेश्वर यादव :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सूरज भान ।
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बनसकंठा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी श्री हिम्मत सिंह ने हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस आशय का तार भेजा है, कि उसके प्रतिद्वन्दी तथा विरोधी बड़े पैमाने पर कदाचार कर रहे हैं तथा डरा धमका रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त तार में यह अनुरोध भी किया गया है कि निर्बाध तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि बनसकंठा भेजा जाय;

(ग) यदि उपर्युक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो तार का ब्यौरा क्या है तथा है सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गुजरात में अन्य सम्मानित तथा प्रमुख व्यक्तियों द्वारा आम सार्वजनिक सभाओं में इसी प्रकार की अनेक शिकायतें की जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) श्री हिम्मत सिंह से प्राप्त तार की एक प्रति उपाबन्ध 'क' में दी हुई है । [**पुस्तकालय में रखी गयी** । देखिये संख्या एल० टी० 1135/69] तत्काल जांच करने के लिए और समुचित कार्रवाई करने के लिए उसे गुजरात के मुख्य निर्वाचन आफिसर के पास भेज दिया गया था ।

(घ) और (ङ). श्री हिम्मत सिंह के निर्वाचन अभिकर्त्ता श्री बी० के० गाध्वी ने तारीख 2-4-1969 के अपने पत्र में शिकायत की थी कि शासक दल के अभ्यर्थी का समर्थन करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

मौलाना इसहाक संभाली ने निर्वाचन आयोग के पास एक 'तार' भेजा था जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि कांग्रेस और स्वतंत्र दलों द्वारा धन, अभीत्रास और भ्रष्ट आचरण का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री बी० के० गाध्वी की शिकायतें उपधारणाओं और आशंकाओं पर आधारित थी और कोई विनिर्दिष्ट बात ऐसी नहीं थीं जिस पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर सकता ।

मौलाना इसहाक संभाली द्वारा किए गये अभिकथन अस्पष्ट और अनिश्चित हैं और उन पर कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है ।

Extension of Taj Express to Gwalior

9525. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Ministry of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to Gwalior City being very important from sight seeing and tourist point of view, there is heavy traffic between Gwalior and Delhi which cannot be fully coped with the Railways and only two trains serve this track of the Central Railway from Delhi to Bombay via Agra-Jhansi-Gawlior right from the beginning ;

(b) if so, whether Government propose to extened the Taj Express to Gwalior and also run additional Janata trains ; and

(c) if not, the difficulties in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The needs of traffic between Gwalior and Delhi are adequately catered to by the 5 Mail/Express and one passanger train, each way, running on this section at present.

(b) and (c). Does not arise.

Over-Bridge at Banda Junction

9526. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whethe it is a fact that while crossing the railway line at Banda Junction (Central Railway), three persons were run over by a train in 1963, one person was killed on the 20th October, 1964 and another was killed on the 13th July, 1965 ;

(b) whether it is also a fact that three more persons were killed by the train while crossing the line at the said station on the 3rd January, 13th and 30th March, 1966 ;

(c) whether Government are aware that one Shri Krishna Kumar Sepoy No. 932 RPF was also entrapped between the two bogies and was killed while crossing the line and similarly a resident of village Pun was run over there on the 3rd April, 1969 ;

(d) whether Government are also aware that all these incidents are taking place because of absence of an over-bridge at the said station ; and

(e) whether Government propose to consider the desirability of contructing an over-bridge at the Banda Junction ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes. In reply to an earlier question by the Hon'ble Member it had been replied that no one had been run over and killed since 1-4-69. Since then however information has been received that on 3-4-69 a female was run over and killed.

(d) No. An over bridge is not required for passangers and two level crossings have already been provided, one at either end of the station for the public, who can conveniently use these level crossing to cross the railway line safely and need not jeopardise their lives by trespassing over the railway track.

(e) Does not arise in view of answer to part (d) above.

हुबली-गुंटाकल यात्री गाड़ी के लिए डिब्बे

9527. **श्री० स० अ० अगड़ी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे की संख्या 230 और सख्या 229 हुबली गुंटाकल यात्री गाड़ियों में अत्यन्त अनुपयुक्त, विशेषत दूसरी श्रेणी के, डिब्बे प्रयोग में लाये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त गाड़ियों के साथ दूसरी श्रेणी का डिब्बा संख्या 924 लगाया जाता है।

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह डिब्बा संख्या 924 अनुपयुक्त डिब्बा यार्ड से उठाकर प्रयोग में लाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो यह डिब्बा इस सैक्शन के प्रयोग में लाये जाने से पहले तक किस लाइन में कितने समय तक प्रयोग में लाया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इस डिब्बे के स्थान पर दूसरे डिब्बे की तुरन्त व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) 28-2-1969 में हुबली-गुंतकल्लु खंड पर इस्तेमाल में आने से तुरन्त पहले इस सवारी डिब्बे का इस्तेमाल निम्नलिखित खंडों पर होता था :—

27-2-1969 को.....हुबली-अरसीकेरे

12-2-1969 से

26-2-1969 तक.....हुबली-गदग-शोलापुर

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

गुंटाकल-हुबली-पूना और गाडग-शोलापुर सेक्शनों के बीच चलने वाले रेल डिब्बे

9528. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुंटाकल-हुबली-पूना तथा गाडग-शोलापुर सैक्शनों के बीच चलने वाले बहुत से आधुनिकतम किस्म के रेल डिब्बों के स्थान पर दक्षिण मध्य रेलवे ने पुराने डिब्बे लगा दिये हैं, जो आंध्र क्षेत्र में चलाये जा रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Conversion of Narrow Gauge Lines into Broad Gauge on North Eastern Railway

9529. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the work of converting narrow gauge lines of Lucknow-Gorakhpur, Gorakhpur-Varanasi, and Varanasi-Chopra on the North Eastern Railway into Broad Gauge lines ;

(b) the total estimated expenditure to be incurred thereon and the time likely to be taken to complete this work ; and

(c) when the work would commence ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The sections referred to are metre gauge and not narrow gauge. At present preliminary engineering-cum-traffic surveys for conversion of the metre gauge lines from Varanasi (Manduadih) to Gorakhpur via Bhatni, and Barabanki to Gorakhpur via Gonda (with an additional broad gauge line between Barabanki and Gonda) are in progress. The survey work for the Varanasi-Bhatni-Gorakhpur portion has been completed and the report is under compilation. On the Barabanki-Gonda-Gorakhpur portion 65% progress on the survey has been achieved till now.

(b) and (c). A decision on the actual conversion of these sections will be taken after the surveys are completed and the reports are examined by the Railway Board. The estimated cost of the work, the time it will take and other details will also be known only when the survey reports and estimates are finalised.

Impersonation During Mid-Term Elections in U. P.

9530. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8060 on the 29th April, 1969 and state ;

(a) whether it is a fact that the Election Official of MWO-Manikpur Legislative Assembly Constituency had returned 303 electoral slips in respect of genuine voters belonging to Harijans and backward classes of Itwa Mahulia village, Police-Station Raipura in Banda District, U. P. and they were not allowed to cast their votes whereas these slips were presented by the Member of Lok Sabha representing Banda Constituency personally to the said official ;

(b) how it was stated that no complaint was received when a member of Parliament had submitted a written application alongwith 303 returned slips to the Election Official ; and

(c) whether an application filled by Shri Ram Ajam Nigam, the polling Agent and Shri Yamuna Prasad, the candidate himself at Matoudh Polling Station has been made to disappear and similar complaints were also made to disappear and similar complaints were also made in writting with many polling stations in the district including the one filed by the said Member of Parliament with the Presiding Officer, Gadaon Polling Station of Bebru Legislative Assembly Constituency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Yunus Saleem) : (a) to (c). No complaint has been received either by the Election Commission or by the Ministry of Law. The information is being collected.

जयश्री, टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कलकत्ता, भारत प्रोड्यूसर कलकत्ता तथा हिन्द गैस एण्ड इण्डस्ट्रियल लिमिटेड कलकत्ता को लाइसेंस

9531. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयश्री टैक्सटाइल्स लिमिटेड, कलकत्ता, भारत प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता तथा हिन्द गैस एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता ने लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र कब दिये थे;

(ख) इन कम्पनियों ने अपना कारोबार कब आरम्भ किया था;

(ग) इन कम्पनियों के कार्य करने के सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं; और

(छ) इन फार्मों ने कार्य आरम्भ करने के समय से अब तक कुल कितना उत्पादन किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (छ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्लेडों का निर्माण

9532. **श्री शिवचन्द झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हजामत करने के ब्लैड बनाने में प्रयोग किया जाने वाली इस्पात घटिया किस्म का होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है तथा उनकी किस्म सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत में विभिन्न किस्मों के ब्लेड बनाने में किस किस्म का इस्पात प्रयोग में लाया जाता है।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्लेडों के निर्माण के लिए दो प्रकार के इस्पात की पट्टियों अर्थात हाई कार्बन और बेदाग इस्पात की आवश्यकता होती है और इस समय इनका आयात किया जाता है।

चौथी योजनावधि में सिगरेटों का उत्पादन

9533. **श्री शिवचन्द झा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में सिगरेटों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विशिष्ट योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वार्षिक योजनाओं की तुलना में चौथी योजनावधि में देश में सिगरेटों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सिगरेट उद्योग लक्ष्य निर्धारित उद्योग नहीं है। 1973-74 में सिगरेटों की माँग का अनुमान 8,500 करोड़ सिगरेट लगाया गया है। आशा है कि अगले कुछ वर्षों में सिगरेटों की बढ़ी हुई मांग को एक या दो एककों द्वारा तथा विद्यमान एककों का उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घोघरडीहा और निरमली स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच हाल्ट स्टेशन

9534. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घोघरडीहा और निरमली (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने के लिए किया जा रहा कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्य को शीघ्र करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो घोघरड़ीहा और निरमली के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) घोघरडीहा और निर्मली स्टेशनों के बीच अभी तक किसी हाल्ट स्टेशन की मंजूरी नहीं दी गयी है और इसलिए ऐसे किसी हाल्ट के निर्माण कार्य के रोके जाने का सवाल नहीं उठता ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

बिड़ला उद्योग समूह को नये लाइसेंस देना

9535. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग समूह ने मार्च तथा अप्रैल, 1969 के महीनों में नये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक बिड़ला उद्योग समूह के कितने आवेदन पत्र सरकार के पास विचारार्थ अनिर्णित पड़े हैं और वे किस नये उद्योग के लिये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां । पोलिस्टर स्टेफिक फाइबर का निर्माण करने के लिए एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के बारे में बिड़ला उद्योग समूह की एक फर्म से एक आवेदन पत्र मार्च तथा अप्रैल 1969 के महीनों में प्राप्त हुआ है । आवेदन पत्र पर अभी विचार किया जा रहा है और इस मामले में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों/हरिजनों को मकान की सुविधायें

9536. **श्री नितिराज सिंह चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों तथा हरिजनों को मकान की सुविधायें देने के लिये केन्द्र अथवा राज्यों द्वारा कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; तथा इसके लिये केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना बनाने का सरकार का विचार है अथवा राज्य को ऐसी योजना भेजने को कहा जायेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह): (क) से (ग). राज्य सरकार ने भंगियों तथा मेहतरों के लिये आवास योजना के वास्ते 106 लाख रुपए के तथा जमीनों की व्यवस्था करने के लिए 180.00 लाख रुपये के चतुर्थ योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया था । चतुर्थ योजना परिव्ययों का अन्तिम निश्चय न किये जाने के कारण इन योजनाओं के लिए नियतनों का अब तक फैसला नहीं हुआ है ।

मिश्रित इस्पात कारखाने को बिड़ला जूट मैन्यूफैकचरिंग कम्पनी का एकक बनाने का प्रस्ताव

9537. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग** मंत्री 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़लाओं ने किस आधार पर अपने प्रस्तावित मिश्रित इस्पात कारखाने को बिड़ला जूट मैन्यूफैकचरिंग कम्पनी का एकक बनाने के लिये अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि उक्त जूट मिल कम्पनी के संसाधन पहले ही कहां तक उत्पादनों के अन्य साधनों जैसे सीमेंट और लिनोलियम आदि के उत्पादन के लिए लगा दिये गये हैं ; और

(ग) क्या पटसन उद्योग की कथित वित्तीय कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए सरकार एक पटसन मिल के नाम पर एक मिश्रित इस्पात कारखाना चलाने की अनुमती देने से इन्कार करेगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मिश्र-इस्पात प्रायोजना, जिसके लिए बिहार एलायज लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया था, के लिए विदेशी मुद्रा की लागत में कमी के कारण इस प्रायोजना के लिये रुपया—पूंजी की आवश्यकता बढ़ गई है। रुपया-पूंजी के लिए पूंजी संस्थानों पर अधिक निर्भरता से बचने के लिये, उन्होंने लाइसेंस को मेसर्स बिहार एलाय स्टील्स की बजाय मैसर्स बिरला जूट मैन्यूफैकचरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के नाम में बदलने के लिए प्रार्थना की है जिनके पास इस प्रायोजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक आर्थिक साधन हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) बिरला जूट की मिश्र इस्पात कारखाना लगाने की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक ओवन भट्टी की बैटरियों की मरम्मत

8538. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक ओवन भट्टी की बैटरी संख्या 1, 2 तथा 3 की मरम्मत करने पर आज तक कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कोक भट्टियों का डिजाइन तथा स्थापना मैसर्स साइमन कार्वेज ने की थी ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन विभाग ने इसके मूल डिजाइनों में भारी दोष निकाले हैं ;

(घ) यदि हां, तो पहले असंतोषजनक ढंग से किये गए कार्य बावजूद बैटरी संख्या 1 का पुनः निर्माण का कार्य पुनः मैसर्स साइमन कार्वेज को किस आधार पर दिया गया है ;

(ङ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कोक आवेन-भट्टी के सलाहकार का नाम क्या है ; और

(च) क्या सरकार को मालूम है कि साइमन कार्वेज ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कोक ओवन भट्टियों के खराब डिजाइन तैयार किये थे ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक ओवन बैटरी नं० 1, 2 और 3 की मरम्मत पर अब तक कुल 8.3 मिलियन रुपये खर्च हुए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता । मैसर्स साइमन कार्वेज को आर्डर नहीं दिये गये हैं ।

(ङ) 31-3-69 तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कोक-भट्टी सलाहकार श्री एस० बी० सिन्हा राय थे ।

(च) जी, नहीं ।

राजस्थान में रेल की पटरियों पर रेत के ढेर

9539. **श्री डा० कर्णी सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के दो विद्यार्थियों द्वारा राजस्थान में रेल पटरियों पर रेत जमा होने से रोकने के बारे में किये गये सफल अनुसन्धान की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह अनुसन्धान उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा दिये गये सुझाव पर किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्यार्थियों ने राजस्थान में बर्तमान दशा के आंकड़े मांगे थे तथा घटनास्थल पर प्रयोग करने की अनुमति मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उनकी कहां तक सहायता की गई थी ; और

(ङ) क्या इस अनुसन्धान के निष्कर्षों का प्रयोग "ड्यून फैंसिंग" के लिये करने का विचार है तथा प्रतिवर्ष पटरी से रेत हटाने पर होने वाले अत्यधिक व्यय को बचाना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे के कहने पर भारतीय औद्योगिक संस्थान की प्रयोगशाला में कुछ अनुसंधान किए गए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए ।

(घ) बीकानेर के मंडल इंजीनियर ने घटना स्थल से आंकड़े प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता की थी ।

(ङ) भारतीय औद्योगिक संस्थान द्वारा किये गए प्रायोगिक अनुसंधान की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Recruitment to a Reserved Post of Investigator in the Ministry of I. D., I. T. and C. A.

9540. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a reserved post of Investigator is still lying vacant in his Ministry ;

(b) if so, whether a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe is being appointed against this post ;

(c) the number of senior Investigators in his Ministry ;

(d) whether there are some reserved posts in the category of Senior Investigators also ; and

(e) if so, whether some candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes are being appointed against the said posts ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir, one reserved for Scheduled Tribes.

(b) A Scheduled Tribe candidate was selected for the post, but he declined to accept the offer. Efforts are, however, being made to obtain the services of another suitable candidate.

(c) 13 (including 8 on an ad-hoc basis).

(d) and (e). Vacancies against five regular posts were filled in accordance with the rules in force at the time of the appointments. For filling up the eight ad-hoc posts, applications were invited from the eligible candidates were invited from the eligible candidates in the Department but there was no response from any Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidate.

फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा हिस्सेदारी

9541. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों के निदेशकों तथा दस मुख्य अंशधारियों के नाम क्या हैं :

1. विवेक (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
2. आल इंडिया फिल्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ।
3. बंसल पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली ।
4. जनरल टाकीज लिमिटेड, नई दिल्ली ।
5. जगत नावल एग्सीविटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली ।
6. फिल्मस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली ।
7. शंकर पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ।
8. डायमंड पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ।
9. जैमिनी पिक्चर्स सर्किट (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (1) मैसर्स विवेक (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली। (2) बंसल पिक्चर्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली। (3) जनरल टाकीज लिमिटेड, नई दिल्ली तथा (4) जगत नावल एग्सीविटर्स (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली, के निदेशकों के नाम, तथा दस शीर्षस्थ हिस्सेधारियों के नाम, संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1136/69] शेष कम्पनियों के निदेशकों तथा दस शीर्षस्थ हिस्सेधारियों के नाम एकत्रित किये जा रहे हैं, व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

कल्याण संस्थाओं के निवासियों का भोजन व्यय

9542. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अपनी कल्याण संस्थाओं के निवासियों के प्रति व्यक्ति भोजन व्यय की ऊपरी सीमा को समाप्त करने के लिए अनुमति देने का अनुरोध सरकार से किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मूल्य बढ़ जाने के कारण उन संस्थाओं में रहने वालों को निर्धारित सूची के अनुसार भोजन देना वस्तुतः असम्भव हो गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने ऐसा ही मत प्रकट किया है।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी संख्या 2 की मरम्मत

9543. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी संख्या 2 की, जो हाल ही में बुरी तरह खराब हो गई थी, मरम्मत कराई गई है और क्या वह चालू हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम पर कुल कितनी लागत आई है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी खराबी न होने पाये, इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 12 अप्रैल 1969 को धमन भट्टी नं० 2 में उष्मसह में खराबी आ गई थी। मरम्मत के लिए भट्टी को बन्द करना पड़ा 16 अप्रैल 1969 को भट्टी को गर्म किया गया।

(ख) भट्टी की मरम्मत पर कोई सीधा व्यय नहीं हुआ है क्योंकि क्षतिग्रस्त भाग में केवल उष्मसह-मिट्टी भर दी गई थी।

(ग) एक जांच समिति नियुक्त की गई है जो इस खराबी के कारणों का पता लगा रही है। उसकी सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल द्वारा माल का निर्यात

9544. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल 1970 के बाद सभी देशों को अपने उत्पादों का निर्यात आरम्भ कर देगा ;

(ख) किन-किन वस्तुओं के निर्यात का प्रस्ताव है ;

(ग) कौन-कौन से देश उत्पाद खरीदने को इच्छुक हैं अथवा कौन-कौन देश पहले ही कुछ वस्तुएं खरीद चुके हैं ; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1970 के पश्चात जब कि विदेशी तकनीकी सहयोगियों के साथ किया गया विद्यमान परामर्शदात्री करार समाप्त हो जाएगा तो हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० विभिन्न देशों को अपने उत्पाद भेजने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(ख) इस समय देश से प्राप्त आर्डरों की स्थिति को देखते हुए कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० अपने द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों को विदेशों को भेजने में समर्थ होगा जिनमें पावर तथा इंस्ट्रमेंटस ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, मोटर और कंट्रोल गियर, यलेक्ट्रिक ट्रैक्शन उपकरण, माप तथा पानी के टर्बाइन और सम्बद्ध जेनेरेटर तथा रैक्टीफायर उपकरण आदि शामिल हैं ।

(ग) यह स्वाभवत: प्रस्ताव किये गये उपकरणों के मूल्यों और उनके विशिष्ट विवरणों पर निर्भर करेगा । आशा है कि विकास शील देशों में विशेष रूप से मध्य पूर्व और निकटवर्ती पुर्वी के देशों में निर्यात की अधिक सम्भावनाएं हैं । मध्यवर्ती पदार्थों या कम बढ़िया वस्तुओं अथवा श्रमोन्मुख उत्पादों का औद्योगिक रूप के विकसित केन्द्रों में बिक्री की अधिक संभावनाएं हैं । अभी तक संयुक्त अरब गणराज्य, ईराक और एक मामले में भारत स्थित स्विटजरलैंड की कम्पनी की एक सहयोगी फर्म से आर्डर प्राप्त हुए हैं।

(घ) समुद्रपार देशों से अब तक प्राप्त आर्डरों का कुल मूल्य 2.28 लाख रुपये है।

दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों को पदोन्नति

9545. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध सेवा अभ्यर्थियों तथा दिल्ली डिवीजन के कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों को, रेलवे बोर्ड के दिनांक 25 मार्च, 1950 के आदेश तथा दिनांक 13 मार्च, 1948 के पी० टी० एन०/48/192 के उल्लंघन में इनसे वरिष्ठ अधिकारियों पर अधिमान देकर स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नति दी गयी हैं ;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्टेशन मास्टरों के तबादले तथा नियुक्ति का आदेश दिल्ली के डिवीजन सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा मार्च, 1969 में जारी किया गया था ;

(ग) क्या दिल्ली शाहदरा के स्टेशन मास्टरों का स्थायी पद जानबूझ कर अन्य स्टेशन मास्टरों के पदों के साथ नहीं भरा गया था और यदि हां, तो उस परिपत्र में उक्त पद न भरे जाने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या एक सहायक स्टेशन मास्टर ग्रेड 2 को तबादले के परिपत्र में साहिबाबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर स्वतंत्र रूप से काम करने का आदेश दिया गया है, जो कि नियमों के विरुद्ध हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या साहिबाबाद में नियुक्त किये गये स्टेशन मास्टर ने कभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर के रूप में कार्य नहीं किया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और उसको किस आधार पर नियुक्त किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आंकड़े तैयार करने वाली मशीनों गणित्रों तथा संगणकों के निर्माण हेतु लाइसेंस

9546. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंकड़े तैयार करने वाली मशीनों, गणित्रों तथा संगणकों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस प्राप्ति हेतु कितने आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए है तथा उन आवेदकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए सरकार ने कोई लाइसेंस दिया है ;

(ग) यदि हां, तो किस फर्म (फर्मों) को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को (1) मे० आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन (2) इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डियन मैन्यूफैक्चर लि० (3) के० सी० पी० (4) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया से आंकड़े तैयार करने, गणित्र मशीनों तथा संगणकों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के 12 आवेदन पत्र मिले हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 8 लाइसेंस तथा 2 आशय पत्र मंजूर किये जा चुके हैं तथा एक दूसरा आशय पत्र जारी किया जा रहा है ।

फर्मों के नाम जिन्हें लाइसेंस/आशय-पत्र दिये जाते हैं तथा अन्य ब्यौरे जैसे निर्माण की जाने वाली वस्तु, क्षमता, स्थान आदि दि वीकली 'बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज' वीकली "इण्डियन ट्रेड जर्नल" तथा दि मंथली "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एन्ड ट्रेड में प्रकाशित किए जाते हैं । इन पत्रिकाओं की प्रतियों को संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती है ।

(घ) चूंकि पार्टी से अवस्था बद्ध उत्पादन कार्यक्रम की प्रतीक्षा की जा रही है अतः केवल एक आवेदन पत्र अनिर्णीय है।

माल डिब्बों में सीमेंट भेजना

9547. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री माल डिब्बों में सीमेंट भेजने के बारे में 22 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुकिंग स्टेशनों का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे रेलवे की जोखिम पर स्पष्ट तथा सशर्त रेलवे रसीद जारी करते समय माल को देखें ;

(ख) क्या बुकिंग स्टेशनों का यह कर्त्तव्य नहीं है कि यदि उनके कर्मचारी ने माल के लदान की निगरानी नहीं की है या पेकिंग सम्बन्धी शर्तों के अनुकूल माल का पेकिंग न हो तो वे रेलने रसीदों पर उस आशय की टिप्पणियां दें ;

(ग) क्या उस माल पहुंचने के स्टेशन का यह कर्त्तव्य है कि यह माल भेजने वाले स्टेशन द्वारा जारी की गई रेलवे रसीद की मान्यता को चुनौती दे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्तर रेलवे, दिल्ली के चीफ कमर्शियल सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा उन रेलवे दावों को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं, जिनके मामले में माल भेजने वाले स्टेशनों द्वारा निम्नलिखित पत्रों के अन्तर्गत स्पष्ट तथा सशर्त रेलवे रसीदें जारी की गई थीं :

(i) सी० डी० ए०-3 एन० डी० एल० एस०-358-10-68

(ii) सी० डी० ए०-3-एन० डी० एल० एस०-48-10-68 ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह ड्यूटी बुक करने वाले स्टेशन की होती है सिवाय उस समय के जब माल निजी अथवा सहायता प्राप्त साइडिंग में लादा गया हो जहां रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारी नहीं रहते।

(ख) यह ड्यूटी बुक करने वाले स्टेशन की होती है कि यदि लदान रेल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में न हुआ हो अथवा माल को पैक करने की निर्धारित शर्तों के अनुसार पैक न किया गया हो, तो वहां रेलवे रसीद पर उपयुक्त टिप्पणी लिख दे।

(ग) जी हां, कुछ परिस्थितियों में यह ड्यूटी गन्तव्य स्टेशन की होती है उदाहरण के तौर पर जहां बुक की गई वस्तु के बारे में स्पष्ट रूप से गलत बयानी की गयी हो अथवा माल कम तोला गया हो अथवा जहां धोखाधड़ी का सन्देह हो।

(घ) जिन दो दावों को उल्लेख किया गया है, उन्हें इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि जयरोक माल डिब्बे में लादे गये प्रेषण रास्ते में बिना किसी छेड़ छाड़ के मूल माल डिब्बों में गन्तव्य स्टेशन पर पहुंच गये और क्षति दरवाजे की दरारों से वर्षा का पानी अन्दर घुस जाने से हुई प्रतीत होती है जिस पर रेलवे का कोई नियंत्रण नहीं था। रेल-प्रशासन द्वारा दिया गया तर्क वैध नहीं है और इस आशय की हिदायतें जारी की जा रही हैं कि इन मामलों पर फिर से विचार

करके यह पता लगाया जाये कि क्या इन दावों को अस्वीकार करने का कोई वैध आधार है, नहीं तो इन दावों का सत्यापन करके इनका निपटारा किया जाये ।

माल डिब्बों में सीमेंट भेजना

9548. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या रेलवे मंत्री माल डिब्बों में सीमेंट भेजने के बारे मे 22 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे, दिल्ली के चीफ कमर्शियल सुपरिंटेन्डेन्ट ने निम्न-लिखित पत्रों के अन्तर्गत रेलवे दावों को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि यद्यपि माल "वाटर टाइट" (जला भेद्य) डिब्बों में ले जाया गया था, पानी से हुई हानि दरवाजों की दरारों में से वर्षा का पानी अन्दर पहुंचने के कारण हुई है जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर की बात है :

(i) सी० डी० ए०-4-एन० डी० एल० एस०-6-9-66

(ii) सी० डी० ए०-4-एन० डी० एल० एस०-426-1-68

(iii) सी० डी० ए०-4-एन० डी० एल० एस०-2348-9-68

(iv) सी० डी० ए०-4-एन० डी० एल० एस०-2432-9-68

(v) सी० डी० ए०-4-2264-11-68 ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह स्थिति इस वक्तव्य से कहां तक मेल खाती है कि जिन डिब्बों के अन्दर पानी आ सके वे "वाटर टाइट" (जला भेद्य) नहीं कहे जा सकते ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उपर्युक्त पांच मामलों में से (मामला संख्या सी० डी० ए०-4-एन० डी० एल० एस०-2348-9-68 को निकाल कर) चार मामले सीमेंट के थे और उत्तर रेलवे प्रशासन ने उन्हें इस आधार पर रद्द कर दिया था कि वह माल "वाटर टाइट" (जला भेद्य) डिब्बों में ले जाया गया था जो मार्ग में बिना किसी हस्तक्षेप के अग्रदायी स्टेशनों की मोहर सहित ठीक ठाक गन्तव्य स्थान पर पहुंच गया था और जो क्षति हुई है वह शायद दरवाजों में दरारों से पानी दाखिल हो जाने के कारण हुई है जो रेलवे के नियंत्रण के बाहर है ।

मामला संख्या सी० डी० ए० 4-एन० डी० एल० एस० 2348-9-68 का सम्बन्ध बागान के माल से है जो खेर से नई दिल्ली बुक किया गया था और यह दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि मार्ग में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ था और इसमें रेलवे अथवा रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की भी कोई बात नहीं है ।

(ख) और (ग). सीमेंट के माल के सम्बन्ध में की गई अस्वीकृति जिस आधार पर की गई है, वह नियमानुसार नहीं है । इन मामलों पर इस विचार से पुनर्विचार करने के लिए उत्तर रेलवे से कहा जा रहा है कि क्या इन दावों को रद्द करने का कोई उचित कारण है और कोई उचित कारण न होने पर दावों का सत्यापन किया जायेगा और निपटाया जायेगा ।

Speculation in Agricultural Produce

9548-A. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that consumers are affected by the activities of the speculators;

(b) whether it is also a fact that speculation by these persons on the agricultural produce results in an increase in the prices of the articles ;

(c) if so, the number of speculation centres regarding which Government have made inquiries and thereby have been able to ensure that the poor cultivators get adequate prices for their produce ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Consumers are not adversely affected by speculation in regulated futures markets. However, if illegal speculation takes place it can adversely affect the interests of consumers.

(b) Prices of agricultural commodities are determined in the long run by their respective supply and demand position. Operations of speculators and hedgers in the regulated futures markets tend to minimise seasonal fluctuations in prices. However, illegal speculation in agricultural produce may temporarily lead to an undue rice or fall in prices.

(c) and (d). Regulated futures markets in agricultural commodities have been permitted by Government at 26 centres. Heavy fluctuations in the prices of the commidities have been prevented as a result of the functioning of these markets.

सरकारी खास भूमि से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का हटाया जाना

9548-ख. **श्री समर गुह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य इंजीनियर ने पूर्वी बंगाल के 13,000 शरणार्थियों को सरकारी खास भूमि से हटाने का आदेश जारी किया है ;

(ख) क्या शरणार्थी उस खास भूमि में 15 वर्षों से अधिक समय से आबाद थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा आदेश देने के क्या कारण है और क्या सरकार ने उन्हें इसके बदले में पर्याप्त और उपयुक्त स्थान दिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया की मांग सूची

9548-ग. **श्री देवराव पाटिल :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप्रैल, 1969 को रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला था और एक मांग सूची प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इन मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1137/69]

(ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श से इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम

9538-घ. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं के देश में निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम से विदेशों से आयात में पर्याप्त कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के आयात में पर्याप्त कमी हुई हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । आयात प्रतिस्थापन एक सतत प्रयत्न है इसके फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों में पूंजीगत वस्तुओं, हिस्सों तथा कच्चे माल के आयात में काफी गिरावट आई है । यदि देशी साधनों से प्राप्त वस्तुओं में कुछ परिवर्तन परिवर्धन करने से काम चल सकता है तो सामान्यत: उपकरणों अथवा फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(ख) आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण उद्योग समूह आता है जिन वस्तुओं के आयात में कमी हुई है उनकी गणना करके बताना कठिन होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८९ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 4389.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 25-3-1969 को श्री मृत्युंजय प्रसाद के अतारांकित प्रश्न संख्या 4389 के भाग (घ) के उत्तर में मैंने कहा था :—

(घ) राउरकेला में ठण्डी बेलित चादरों के उत्पादन के लिए आवश्यक दो पिकलिंग लाइनों में से एक ने अभी उत्पादन शुरू नहीं किया है और दूसरी की भारी मरम्मत हो रही है । आशा है कि सितम्बर, 1969 तक दोनों उत्पादन करने लगेंगी ।

वास्तव में स्थिति इस प्रकार है :—

(घ) राउरकेला में ठण्डी बेलित चादरों के उत्पादन के लिए आवश्यक दो पिकलिंग लाइनों में से एक अभी पूर्ण रूप से उत्पादन नहीं कर रही है और दूसरी की भारी मरम्मत हो रही है । आशा है कि 1969 के अन्त तक दोनों पूर्ण रूप से उत्पादन करने लगेंगी ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अग्रिम आयकर की वसूली तथा वितरण के बारे में महान्यायवादी की राय

श्री मंगलाथुमाडोम (मवेलिक्यरा) : मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखत विषय की दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अग्रिम आयकर की वसूली को राज्यों में वितरण के लिए विभाज्य पूल में शामिल किये जाने के बारे में महान्यायवादी की तथाकथित राय।"

अध्यक्ष महोदय : उत्तर बहुत लम्बा है अतः विवरण को सभा पटल पर रख दिया जाये। प्रश्न कल पूछे जा सकते हैं।

विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : केन्द्र और राज्यों के बीच आय-सम्बन्धी करों की वास्तविक प्राप्तियों का बंटवारा संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार किया जाता है। अतः संघीय राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय उपलब्धियों से प्राप्त होने वाली रकम को छोड़कर, शेष शुद्ध प्राप्तियों का कुछ प्रतिशत राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है और उनमें बांटा जाता है। इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली रकम का प्रतिशत और उसके बंटवारे का तरीका, संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (क) के अनुसार वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके निर्धारित करना पड़ता है। अन्ततः शुद्ध प्राप्तियों की रकमों के आंकड़े अनुच्छेद 279 (1) के अनुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं, जिनके आधार पर अन्तिम रूप से बंटवारा किया जाता है। शुरू में बंटवारा विभागीय आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 279 (1) में भी यह व्यवस्था है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र आन्तिम होगा।

2. अब तक जो तरीका अपनाया जाता रहा है वह यह है कि आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संग्रहीत कर की अग्रिम रकम, संविधान के अनुच्छेद 270 के प्रयोजनों के लिए, आय सम्बन्धी करों की शुद्ध प्राप्तियों अर्थात् केन्द्र और राज्यों के बीच बाँटी जाने वाली रकमों में तभी शामिल की जाती है जब नियमित कर-निर्धारण का काम पूरा हो जाता है। यह तरीका 1948 में विधि मन्त्रालय और नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके तय किया गया था और इसकी सूचना जनवरी 1949 में तत्कालीन प्रान्तीत सरकारों को दे दी गयी थी। जैसा कि पांचवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के पैराग्राफ 39 से पता चलता है, राज्यों को करों से और अनुदानों के रूप में दी जाने वाली रकमो के सम्बन्ध में एक के बाद एक, सभी वित्त आयोगों ने इस तरीके को अपनी सिफारिशों का

आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करके अपने द्वारा जारी की गयी लेखा-संहिता में इस व्यवस्था को संहिता बद्ध कर दिया गया है। नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने इस आधार पर 1966-67 तक के, और उसके समेत वित्तीय वर्षों के लिए संविधान के अनुच्छेद 279 (1) के अधीन केन्द्र और राज्यों के बीच बाँटी जाने वाली शुद्ध रकमों के आँकड़े भी प्रमाणित कर दिये हैं।

3. ऐसा पता चला है कि कुछ राज्यों ने नियमित कर-निर्धारण का काम पूरा होने के बाद तक कर की अग्रिम रकमों को केन्द्र और राज्यों के बीच बाँटी जाने वाली रकमों में शामिल न करने का विरोध किया है और यह कहा है कि इसका उनकी वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पांचवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 39 में इस प्रश्न पर विचार किया है और बताया है कि राज्यों का यह मत ठीक नहीं है कि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को अनधिकृत रूप से जमा से अधिक रकमें निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि सभी वित्त आयोगों ने राज्यों को दी जाने वाली रकमों के बारे में जिन योजनाओं की सिफारिश की है, वे उस तरीके के आधार पर बनायी गयी थीं जिस पर अमल किया जा रहा था।

4. वित्त आयोग ने कुछ राज्यों द्वारा उठायी गयी उस बात पर कि जब तक नियमित कर निर्धारण का काम पूरा न हो जाय तब तक केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जाने वाली रकम से करों की अग्रिम रकम को अलग न रखा जाय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने विचार प्रकट करने के लिए भी लिखा था। इसके बाद नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ने इस मामले पर केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श किया तथा इस सम्बन्ध में और आगे बात-चीत करने के बाद यह निश्चय किया गया कि इस मामले पर महान्यायवादी की राय मालूम की जाय। तदनुसार, जनवरी 1969 में महान्यायवादी को एक पत्र लिखा गया।

5. फ़रवरी 1969 में महान्यायवादी ने सलाह दी कि संविधान के अनुच्छेद 279 (2) के अधीन राष्ट्रपति को 'प्राप्तियों' का हिसाब लगाने के लिए अग्रिम कर की संगृहीत रकम को छोड़ने का आदेश देने का अधिकार है और इसलिए अनुच्छेद 279 (1) के अधीन 'वास्तविक प्राप्तियों' में ये रकमें शामिल नहीं होतीं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि नियमित कर निर्धारण का काम पूरा हो जाने तक केवल अग्रिम करों की संगृहीत रकमों को केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जाने वाली रकम में शामिल न करने के लिए कोई न्यायोचित कारण बताना कठिन है। मार्च 1969 में एक और पत्र लिखे जाने पर महान्यायवादी ने सरकार को यह परामर्श दिया कि वह इस आधार पर कार्रवाई करे कि अनुच्छेद 279 (1) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा उन पिछले वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में शुद्ध

प्राप्तियों के प्रमाणित किये गये आंकड़े अन्तिम हैं जिनके बारे में ऐसा प्रमाणीकरण किया गया हो, और ऐसे पिछले वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में संगृहीत कर की अग्रिम रकमें, जिनका निर्धारण नियमित कर-निर्धारण का काम पूरा हो जाने के बाद किया गया हो, उस वित्तीय वर्ष के हिसाब में शामिल कर ली जाय जिसमें कर-निर्धारण का यह काम पूरा किया गया हो, और वित्तीय वर्षों की शुद्ध प्राप्तियों के आंकड़ों के सम्बन्ध में, जो अभी तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित न किये गये हों, कर की संगृहीत अग्रिम रकमें केन्द्र और राज्यों के बीच बाँटी जाने वाली रकमों में शामिल कर ली जांय।

महान्यायवादी ने यह भी सलाह दी की राष्ट्रपति सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में इस मामले संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ग) के अधीन वित्त आयोग के पास सिफारिशें करने के लिए भेज सकते हैं।

6. महान्यायवादी की सलाह पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और उनके द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार कार्रवाई करने का फैसला किया गया। तदनुसार पाँचवें वित्त आयोग को एक और पत्र लिखा गया है जिसमें इन मामलों के सम्बन्ध में उससे सिफारिशें करने के लिए कहा गया है :

(i) 1967-68 के अंत के, जो ऐसा अंतिम वर्ष है जिसके लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक पहले से ही वास्तविक प्राप्तयों के आंकड़े प्रमाणित कर चुके हैं, उस असमायोजित अग्रिम कर का बंटवारा, (ii) 1967-68 और 1968-69 की, आय सम्बन्धी करों की शुद्ध प्राप्तियों के, चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहले से निर्धारित बंटवारे के बारे में कोई परिवर्तन, और (iii) कर की अग्रिम संगृहीत रकम को हिसाब में लेने के बाद चालू वर्ष से लेकर आगे के वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों का बंटवारा।

7. यह स्पष्ट हो जायेगा कि :

(क) नियमित कर-निर्धारण पूरा हो जाने के बाद ही, अग्रिम कर को केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जाने वाली रकम में शामिल करने की पिछली प्रणाली उस समय की प्रान्तीय सरकारों को, संविधान का प्रारम्भ होने से पहले ही, सूचित की गयी थी और वित्त आयागों तथा महालेखापरीक्षक सहित सभी सम्बद्ध पक्षों ने उसे माना तथा स्वीकार किया था।

(ख) पिछली प्रणाली से राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था क्योंकि बाद के वित्त आयोग ने रकमों के अन्तरण की जिन योजनाओं की सिफारिश की थी वे इसी प्रणाली पर आधारित थीं,

(ग) महान्यायवादी ने सरकार को इस आधार पर कार्रवाही करने की सलाह दी है कि नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा किया गया 1966-67 तक का प्रमाणीकरण अंतिम है ;

(घ) महान्यायवादी की यह सलाह स्वीकार कर ली गयी है कि कर की अग्रिम संगृहीत रकम 967-68 से केन्द्र और राज्यों में बांटी जाने वाली रकम में सम्मिलित की जाय जो सबसे पहला ऐसा वर्ष है जिसके लिये नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ने वास्तविक प्राप्तियों का

प्रमाणी करण अभी तक नहीं किया है। फिर भी, चूंकि 1967-68 और 1968-69 की, आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण का चौथे वित्त आयोग द्वारा पिछली प्रणाली के आधार पर की गयी सिफारिशों के अनुसार किया जाना हैं, इसलिए पाँचवें वित्त आयोग से उस योजना में किये जाने वाले परिवर्तनों के बारे में, यदि कोई हो, सिफारिश करने के लिए कहा गया है क्योंकि इन वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों का हिसाब संशोधित आधार पर लगाया जायेगा ; और

(ङ) 31 मार्च, 1967 को असमायोजित पड़े हुए अग्रिम करके वितरण को रकमों के अन्तरण की योजनाओं के अनुरूप बनाना होगा ताकि इसे युक्तियुक्त ढंग से दे दिया जा सके, इस लिए पांचवें वित्त आयोग से इस सम्बन्ध में भी सिफारिशें करने के लिए कहा गया है ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता सरकारी समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) नेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1967 68 के कार्य की सरकार द्वा ा समीक्षा ।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1118/69]**

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड और तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड सरकारी समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) (क) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) (क) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1119/69]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग प्रमाणित लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1965-66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1120/69]

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(4) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1967-68 के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1121/69]

निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं लोक नधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दि० 21 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1505(अंग्रेजी संस्करण) और एस०ओ० 1506 (हिन्दी संस्करण) मे प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1122/69]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैंने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि लोक-सभा द्वारा 6 मई, 1969 को पास किये गये वित्त विधेयक 1969, के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

तिरुपति मंदिर की निधियों के तथा कथित दुरुपयोग के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ALLEGED MISUSE OF TIRUPATI TEMPAL FUNDS

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अध्यक्ष महोदय 29 अप्रैल, 1969 को तारांकित प्रश्न 1384 पर पूछे जा रहे अनुपूरक प्रश्नों के दौरान आपने मुझे श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा लगाये गये इस आरोप के तथ्यों का पता लगाने का निदेश दिया था कि श्री गोपनका द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के अंश खरीद कर तिरुपति मन्दिर की निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैंने उप-मंत्री श्री जे० बी० मुथ्याल राव को तिरुपति जाने, रजिस्ट्रों की जांच करने देवास्थान के प्रबन्धकों तथा आध्र प्रदेश सरकार से बातचीत के पश्चात रिपोर्ट देने के लिए कहा था। वह विधिमंत्रालय के एक अधिकारी के साथ तिरुपती गये थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के धर्मस्व मंत्री तथा देवास्थानम के अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने देवास्थानम द्वारा देवास्थनम पर लागू संविधिक उपबन्धों द्वारा रखी गई लेखापुस्तकों तथा निवेद रजिस्ट्रों की भी जांच की। रजिस्ट्रों की स्थानीय निधि लेखों के सहायक आयुक्त द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी की गई बातचीत तथा विभिन्न रजिस्ट्रों की जांच के फल-स्वरूप यह पता लगा कि देवास्थानम की निधियों का कोई दुर्पयोग नहीं किया गया है। धार्मिक संस्थाओं को धन की अभिरक्षा, उनको बैंकों में जमा करना, तथा निकालना और ऐसी निधियों का लगाया जाना मद्राम धार्मिक तथा धर्माथ धर्मस्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (2) (के) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का पालन किया गया है।

अत. मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस वक्तव्य में कोई सच्चाई नहीं है कि तिरुपति मंदिर की निधियों का दुर्पयोग किया गया है।

बरेली आगरा यात्री रेलगाड़ी तथा बस के बीच टक्कर के बारे में वक्तव्य

STATMENT RE. COLLISION BETBEEN BAREILY AGRA PESENGER AND BUS

रेलवे मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : महोदय, मैं बड़े दुख के साथ सदन को यह सूचित करने के लिए खड़ा हूँ कि 12-5-1969 को उत्तर रेलवे के अलीगढ़-बरेली इकहरी बड़ी लाइन वाले खंड पर अलीगढ़ और हरदुआगंज स्टेशनों के बीच स्थित चौकीदार वाले एक समपार पर लगभग 03-45 बजे नं० 356 डाउन बरेली-आगरा सवारी गाड़ी एक बस से टकरा गयी। इस दुर्घटना के फल-स्वरूप बस में आग लग गई।

इस दुर्घटना में बस के 20 यात्रियों की मृत्यु हो गई 14 की घटनास्थल पर और 6 की अलीगढ़ सिविल अस्पताल में। बस के 37 यात्रियों को चोटें पहुंचीं, जिनमें से 16 को गम्भीर रूप से चोटें पहुंचने का सन्देह है, 18 को हल्की चोटें पहुंचीं और 3 को मामूली, जिनकी केवल मरहम पट्टी करने की जरूरत थी।

अलीगढ़ के सहायक चिकित्सा अधिकारी, सहायक इंजीनियर और रेल सुरक्षा दल तथा पुलिस के अधिकारी जीप के द्वारा 05-00 बजे घटना-स्थल के लिए रवाना हो गये। टूंडला के सहायक चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारी भी टूंडला से चिकित्सा यान के साथ घटना-स्थल के लिये रवाना हो गये। उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक और मुख्य परिचालन अधीक्षक भी रेलवे के अन्य अधिकारियों के साथ घटना-स्थल के लिये रवाना हो गये। उप रेल मंत्री भी दुर्घटना-स्थल पर गये तथा उन्होंने अलीगढ़ सिविल अस्पताल में घायल व्यक्तियों को देखा।

मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया है। जिलाधीश ने भी कोयल के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने का आदेश दिया है।

———

गन्ने के न्यूनतम मूल्य के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : MINIMUM PRICE SUGARCANE

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : सरकार ने निर्णय किया है कि 1969-70 पेरन वर्ष के लिए गन्ने के न्यूनतम मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस समय गन्ने का न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या कम रिकवरी होने पर 7 रुपये 37 पैसे प्रति क्विंटल या रिकवरी में 0.1 प्रतिशत वृद्धि होने पर 5.36 पैसे प्रति क्विण्टल है।

Shri Ram Charan (खुर्जा) : I rise on a point of Order. The hon. Minister have not stated as to too much compensation is being given to the victing of the accidents. I would also like to know whether any judicial enquiry will be held regarding the courses of the accident.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री रामचरण को अपेक्षित जानकारी दे दें क्योंकि यह दुर्घटन उनके चुनाव क्षेत्र में हुई है।

श्री नाथपाई (रामपुर) : माननीय मंत्री को कोई भी आश्वासन यहां पर ही देना चाहिए।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : चार हरिजनों की इसमें मृत्यु हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : सभी लोग एक समान हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि गन्ने के मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित किये गये हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायेगा।

———

नियम ३७७ के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

बनासकांटा उप-चुनाव के परिणाम की घोषणा का स्थापना किया जाना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We have read in to-days tonewspaper tha announcement in regard to the result of the Palampur bye-election has been postponed. Deputy Election Commissioner has gone there to look into the matter. In my view the Election Commissioner has acted beyound his powers. There is no provision in the Constitution to remove the Election Commissioner even if he does something wrong. In this connection I want to submit that according to section 66 of the Representation of People's Act, 1951 the Returning officer should declare the result forthwith on the completion of the counting of votes. This clause was amended thereafter. According to the clarification given by the Government that time the Election Commissioner can withhold the declaration of the result only if anything goes using in the counting of the votes.

May I know from the hon. Law Minister whether the declaration of the result has been with held by the Election Commissioner because there was something wrong in the counting of the votes or there is some political reason behind it ? It should be decided once for all whether the Election Commissioner has the right to withold the declaration of the result even of there is nothing wrong in the counting of the votes.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि हाल के महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी शक्तियों से अधिक काम किया है । यदि मुख्य चुनाव आयुक्त इसी प्रकार हस्तक्षेप करते रहे तो चुनाव आयोग रखने का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा अतः चुनाव आयोग के कार्य तथा प्राधिकार के बारे में चर्चा करने के लिए हमें अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी हैं । क्या उनको स्वीकृति दी जा रही है अथवा क्या आप प्रत्येक सदस्य को इस मामले का यहां उल्लेख करने की अनुमति दे रहे हैं । यह प्रक्रिया का मामला है । मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आज प्रातः ही पता लगा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने परिणाम की घोषणा को रोक लिया है । ऐसी स्थिति में ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता । मैं अन्य दलों के सदस्यों को विचार रखने की अनुमति दे रहा हूं ।

श्री नाथपाई (राजापुर) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होगी ।

श्री वासुदेवन नायर (परियाडे) : यह विषय कार्यसूची में नहीं था । मेरा निवेदन है कि पूरे तथ्यों के बिना चुनाव आयोग जैसे निकाय की आलोचना करना ठीक नहीं है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : चुनाव आयोग के पिछले कुछ समय के व्यवहार से लोगों के मन में इसके बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया है कि या यह सत्तारूढ़ दल की कोई एजेन्सी है ? परिणाम की घोषणा को रोकने का अर्थ माननीय व्यक्ति को इस सभा का सदस्य

बनने से रोकना है । अतः यह सभा का अपमान है । माननीय विधि मंत्री को इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चुनाव आयुक्त ने चुनाव के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है । जब जम्मू और कश्मीर में पलैबीसाइट फ्रंट ने चुनाव में भाग लेना चाहा था तो चुनाव आयुक्त ने उनसे पूछा था कि क्या वे भारत के प्रति वफादार हैं । यह बात पूछना चुनाव आयुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आता । उसको इस प्रकार चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग जो कि एक स्वतंत्र निकाय है इस प्रकार की बातें कर रहा है । मतदान 4 तारीख को होना था परन्तु उसको 11 तक स्थगित कर दिया गया और इसके लिए कोई कारण भी नहीं दिया गया था । चुनाव आयुक्त को चुनाव परिणाम की घोषणा को स्थगित करने का भी कोई अधिकार नहीं है । इससे चुनाव आयोग ने निष्पक्षरूप से तथा स्वतंत्ररूप से कार्य करने के बारे में बहुत सन्देह उत्पन्न हो गया है । मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वह...**...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको सभा की कार्यवाही से निकाल रहा हूँ । हम केवल कानूनी स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : अतः मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर वाद-विवाद करने का अवसर दिया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री सेनतयी ने यह निर्णय सोमवार रात को स्वतंत्र पार्टी द्वारा मतपेटियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ किये जाने के विरुद्ध शिकायतों को देखते हुए किया है । गोडा संसदीय चुनाव में भी बहुत गड़बड़ हुई थी और एक वरिष्ठ अधिकारी का हाथ इसमें पाया गया था । इस मामले विशेष में हम चुनाव आयुक्त पर किस प्रकार आरोप लगा सकते हैं । हमने चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाने शुरू कर दिये हैं कि**

अध्यक्ष महोदय : मैं इनको पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल चुका हूँ ।

स० मो० बनर्जी : जब तक सभी तथ्य सभा पटल पर नहीं रख दिये जाते तब तक चुनाव आयुक्त के निर्णय की आलोचना नहीं की जानी चाहिए ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : पिछले कुछ वर्षों से विरोधी दलों वाले चुनाव आयुक्त कार्य संचालन के बारे में अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं । मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके आधार पर मैंने उनको लिखा है । माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने एक नियम का उल्लेख किया है जिसके अन्तर्गत चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सकता है । मतों की गिनती कब शुरू हुई । मेरे विचार में जब पेटियों को चुनाव अधिकारी के समक्ष लाया गया था तो हमने देखा था कि उनकी मोहरों में कुछ

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

** Expunged on orderd by the Chair.

गड़बड़ी है । उस अवस्था से ही मतदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए । अतः मैं समझता हूँ कि चुनाव आयुक्त के साथ इस मामले को उठाकर मैंने अपनी पार्टी और लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के अनुसार कितनी पेटियों में गड़बड़ पाई गई है ।

श्री रंगा : मुझे ठीक संख्या मालूम नहीं है । मैंने अपने अभ्यावेदन में यह भी लिखा है कि चुनाव तिथि से कुछ समय पूर्व कलेक्टर और चुनाव अधिकारी को बदल दिया गया था । चुनाव आयुक्त ने इस बारे में पूछे जाने पर अपनी मजबूरी व्यक्त की है । चुनाव आयोग को उम्मीदवार तथा अन्य अनेक व्यक्तियों से टेलीफोन पर शिकायतें प्राप्त हुई थी। मेरे विचार में इन सब बातों को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था । मेरे विचार में वर्तमान परिस्थियों में उसने ठीक कार्यवाही की है और उसने निष्पक्षरूप से कार्यवाही की है । अब यह आप पर निर्भर करता हूँ कि आप आगे चर्चा करने की अनुमति दे अथवा न दे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि आगे चर्चा होगी अथवा नहीं । सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL THIRTY MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर तेंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

THE LOK SABHA THEN RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT THIRTY THREE MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री समर गुह (कन्टाई) **:** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम श्री पीलु मोदी को बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री पीलुमोदी (गोधरा) : मेरी रुचि इस मामले में केवल इतनी है कि इस देश में लोकतंत्र का इस प्रकार विनाश न हो और कि लोकतंत्रात्मक संस्थायें मजबूत हों । चुनाव में किसी की विजय तथा किसी की पराजय होना निश्चित बात है ।

SARI K. N. TIWARI (बेतिया) : I rise on a point of order this matter has aleady boon discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त नहीं हुई थी । इसलिए उनको अवसर दिया जा रहा है ।

श्री पीलु मोडी : जब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जा

रहा है और जिस प्रकार परिणाम घोषित किया जा रहा था हमें पहले से ही कुछ सन्देह था कि चुनाव प्रक्रिया में आरम्भ से अन्त तक गड़बड़ हो रही है। हमने और पुलिस कलक्टर को कई अभ्यावेदन दिये उनकी प्रतियां चुनाव आयोग तथा गुजरात के मुख्य मंत्री को भी भेजी गई। श्री पाटिल से हमारा कोई विरोध नहीं है परन्तु वह जिस पार्टी में है हम उसके सिद्धान्तों का समर्थन नहीं करते। हमने पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा है क्योंकि हम इसको अपना चुनाव क्षेत्र समझते हैं। परन्तु जो परिणाम निकाला उससे हमारे मन में सन्देह उत्पन्न हो गया। मुझे पालनपुर से अनेक टेलीफोन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि मत-पेटियों की मोहरों में गड़बड़ थी। यह भी सूचना मिली है कि कुछ पेटियां पर मोहरें थी ही नहीं। इसके बाद मैंने इस मामले पर श्री रंगा से चर्चा की और उनका एक पत्र लेकर मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के पास गया। उन्होंने मुझे बताया था कि वह पालनपुर के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह औचित्य का प्रश्न है। अतः इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न सभा में इस मामले को उठाने के औचित्य के बारे में है। अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी हैं। (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मामले को सभा में उठाने के औचित्य को चुनौती दे रहे हैं तो मेरा निवेदन यह है कि यह एक गम्भीर मामला है और इसलिए इसको सभा में उठाने की अनुमति दी गई है।

श्री समर गुह : मैंने अपना वाक्य अभी पूरा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : चुनाव आयुक्त का यह काम है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि चुनाव उचित ढंग से हों। यदि इस मामले को कुछ माननीय सदस्य सभा में उठाना चाहें तो सभा को उस मामले को उठाने की अनुमति देने का अधिकार है।

श्री समर गुह : मुझे आपने अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया।

श्री हेम बरुआ : वह जो कुछ कहना चाहते हैं उनको कहने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह : यदि मामला इतना ही गम्भीर था तो इस पर चर्चा की अनुमति दिये जाने से पूर्व विधि मंत्री को तथ्यों की सम्बन्धी एक रिपोर्ट सभा में देनी चाहिये थी। परन्तु उनकी अनुपस्थिति में तथा रिपोर्ट के बिना ही उनकी आलोचना की गई है। माननीय विधि मंत्री को चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए था। ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर माननीय विधि मंत्री को वक्तव्य देने के लिये तैयार होकर आना चाहिये था। उसके आधार पर ही चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये थी। चुनाव आयुक्त का उल्लेख करना जबकि वह यहां पर उपस्थित नहीं है, उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री को अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा। यदि कोई माननीय सदस्य चुनाव आयुक्त पर आक्षेप करेगा तो उसकी रक्षा की जायेगी।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि 'वरिष्ठ सदस्य' का क्या अर्थ है ?

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : इस सभा में सभी सदस्य बराबर हैं। इसमें वरिष्ठता का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मुझे हैरानी है कि यह प्रश्न उठाया गया है और अब इस पर चर्चा की जा रही है। वास्तव में, वह प्रश्न है कौनसा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कहा गया है कि विधि के अनुसार चुनाव आयुक्त तब तक चुनाव के परिणामों की घोषणा को रोक नहीं सकता जब तक कि मतों की गणना में अनियमितता न हो। चुनाव आयुक्त से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना ऐसा प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। इसलिए, इस प्रकार की चर्चा में कोई सार नहीं है।

मैं चुनाव आयुक्त को उनके साहस के लिए बधाई देता हूँ। उनको बधाई देने की बजाय इस मामले पर चर्चा की जा रही है। यदि चुनाव आयुक्त ने इस मामले में गलत हस्तक्षेप किया है प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जाकर उनके विरुद्ध याचिका प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जिस प्रश्न पर चर्चा की जा रही है, उसका क्षेत्र सीमित है। पहला प्रश्न यह है कि क्या चुनाव आयुक्त ने किसी दल अथवा व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर ठीक कार्य किया है तथा या उनकी कार्यवाही से सदस्य चुनाव करने को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव आयुक्त स्थल पर उपस्थित नहीं थे तो वे उस निर्वाचन अधिकारी के निर्णय का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं जिससे यह निश्चय करने का अधिकार है कि एक दल अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत ठीक है अथवा नहीं और उसको माना जाना चाहिये अथवा नहीं। चुनाव आयुक्त को दिल्ली में बैठकर मत गणना के परिणाम निकल जाने के पश्चात परिणाम की घोषणा को नहीं रोकना चाहि था क्योंकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

श्री सेझियान (कुम्बरोणम) : चुनाव आयोग संविधान द्वारा बनाया गया एक स्वायत्त निवास है तथा उस पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत चुनाव अ युक्त को ऐसी कार्यवाही करने का अधिकार है, यदि कोई आरोप सच सिद्ध हो तो उसे पुन: चुनाव कराने का आदेश देने का अधिकार है। उसको पहले सभी बातों को देखकर अपने आपको संतुष्ट करना होता है, तभी वे चुनाव परिणामों की सार्वजनिक घोषणा करने की अनुमति दे सकते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : इस प्रकार का वाद-विवाद ठीक नहीं है क्योंकि चुनाव आयुक्त मुख्य न्यायाधिपति, नियंत्रक लेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भान्ति एक ऐसा अधिकारी है जिसे संविधान के अन्तर्गत विशेष अधिकार हैं। हम इस तरह से किसी भी अच्छे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के पद पर कार्य करने में रुकावट डाल रहे हैं, प्रो० रंगा जैसे व्यक्तियों की शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंची हैं और वे शिकायतें प्रथम

जांच पर चुनाव आयुक्त को ठीक लगी हैं, कभी उन्होंने यह कार्यवाही की है। इस सदन में इस बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिये कि यह कार्यवाही ठीक थी अथवा नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : प्राप्त हुई कुछ सूचनाओं के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ बनासकांठा में उम्मीदवार से टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुजरात राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से बातचीत की जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कई निर्वाचन केन्द्रों पर पर्चियों के डिब्बों में हेर फेर किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बात की बधाई दी जानी चाहिये कि उन्होंने समय नष्ट किये बिना उप मुख्य चुनाव आयुक्त को विमान द्वारा बनासकांठा भेजा ताकि वह स्वयं देख सकें तथा उचित कार्यवाही कर सकें।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मुख्य चुनाव आयुक्त ने संविधान अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत मिले अधिकार से बाहर कार्य किया है। मतगणना समाप्त हो जाने के बाद अधिकारियों को चुनाव के परिणाम रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुनी सुनाई बात पर कार्यवाही की है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। इस सम्बन्ध में धारा 64 बिल्कुल स्पष्ट है। निर्वाचन अधिकारी से शिकायत मिलने पर ही चुनाव अधिकारी हस्तक्षेप कर सकता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं विधि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त से कोई सूचना इस बीच प्राप्त हुई है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : इस प्रक्रम पर हमें सभी घटनाओं को भूल कर विधि मंत्री को सूचना प्राप्त करने तथा सभा में सूचना देने के लिए रहना चाहिये। हमें मुख्य चुनाव आयुक्त के पक्ष में अथवा उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिये। यह उचित नहीं है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मुझे इस मामले के तथ्यों की सभा में कही गई बातो के अतिरिक्त कोई जानकारी नही है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : If the minister has no information, he should give a statment in to House tomorrow after getting full facts.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker *in the Chair]*

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : It is strange that the minister says that he has no information in this connection. The office of Chief Election Commission is in Delhi and information cold have been collected.

श्री गोविन्द मेनन : मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतन्त्र अधिकारी है और यदि धारा 66 के अन्तर्गत आने वाली परिस्थितियां हों, तो उन्हें घोषणा रोकने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा के लिए समय का मामला मेरे पर छोड़ दिया जाये, मैं देखूंगा कि क्या इस सत्र में इस पर विचार करना सम्भव है अथवा नहीं।

— — —

राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक

PRESIDENT (DISCHARGE OF FUNCTIONS) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किन्हीं संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन की व्यवस्था करने के लिए विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं इस विधेयक के पुरः स्थापित किये जाने का विरोध करता हूँ। सरकार ने विधेयक शीघ्र लाने के लिये जल्दबाजी में आवश्यक तैयारी नहीं की है। मैं आपका ध्यान विधेयक के प्रारूप की कुछ त्रुटियों की ओर लाना चाहता हूँ। "राष्ट्रपति का कार्य चला रहे उप-राष्ट्रपति" को भारत का 'राष्ट्रपति' कहना बहुत बड़ी संवैधानिक त्रुटि है।

हमें परिचालित किये गये इस विधेवक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में 'उप-राट्रपति को, जो राष्ट्रपति का कार्य चला रहे हैं, राष्ट्रपति कहा गया है। इस समय कोई राष्ट्रपति नहीं है परन्तु उप-राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति का काम चला रहे हैं। यह संविधान का उल्लंघन है, भारत सरकार के ऐसे अनेकों अधिनियम तथा अधिसूचनाएं हैं, जो यह बताते हैं कि जब कभी भी उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति कहा गया। इसलिए इस विधेयक में भी उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति कहना चाहिये।

श्री कामथ ने राजधानी से प्रकाशित होने वाले अधिकांश दैनिक पत्रों में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है, संविधान सभा के सदस्य होने के नाते वह ऐसा कहने के लिए सक्षम हैं।

भारत के संविधान में केवल एक ही राष्ट्रपति की व्यवस्था है और वह अनुच्छेद 54 तथा 55 के उपबन्धों के अन्तर्गत चुना जाता है। किसी अन्य व्यक्ति को, अस्थायी रूप से भी भारत के राष्ट्रपति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। संविधान में यह व्यवस्था है कि जब उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति की पद संज्ञा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 65 में यह बात बिलकुल स्पष्ट की गई है। इस भेद पर विधेयक में ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए, यह असंवैधानिक है।

मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 65 की ओर दिलाना चाहता हूं। इस अनुच्छेद में तीन उपबंध है। अनुच्छेद 65 (1) के अनुसाद यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65 (2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से कार्य मंत्रालय में असमर्थ हों, तो उप-राष्ट्रपति उनके कृत्यों का निर्वहन करेंगे। कार्य करने तथा कृत्यों को निर्वहन करने में स्पष्ट अन्तर बताया गया है। संविधान में नौ अनुच्छेदों में कार्य करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने में अन्तर बताया गया है। विधेयक के खण्ड 3 (1) में बहुत भ्रम है।

किसी प्रक्रम पर तो ऐसा मालूम होता—कि जैसे उन्हें 'कार्यकारी राष्ट्रपति" और 'कृत्य निभाते हुए' का भेद ज्ञात है। वस्तुतः इस विधेयक के द्वारा संवैधानिक संशोधन का कार्य लिया जा रहा है। अनुच्छेद 70 के अन्तर्गत संसद के अधिकार को ले लिया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद

रिक्त होता है तो कार्यकारी राष्ट्रपति बनाने का प्रश्न उत्पन्न होता है और संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उप राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं। इस प्रकार 'कार्यकारी नियुक्ति' और 'कृत्यों के निर्वाह' में अन्तर है। इस बारे में वास्तविक भेद राज्यपाल सम्बन्धी अनुच्छेद 160 में स्पष्ठ दिखाया गया है।

कार्यकारी रूप से कार्य करने का प्रश्न तभी पैदा होता है जब कि 'पद' रिक्त हो। यह विधेयक का धारण ही पद के रिक्त होने से होता है। पद के रिक्त होने पर 'कृत्य निभाने' का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है तब केवल कार्यकारी रूप से कार्य किया जायेगा यदि किसी कार्य को किसी के स्थान पर कार्य करना होगा तो इस व्यवस्था को पूर्ति के लिये संविधान में संशोधन करना होगा। इस विधेयक से इस बारे में भ्रांति पैदा होती है।

यह विधेयक संविधान के चुनाव सम्बन्धी सिद्धान्त का उल्लंघन करता है। उसके अनुसार वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो लोक सभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। अतः इनका निकट का सम्बन्ध माना गया है। अब इस विधेयक के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उत्तराधिकारी बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता को ठेस पहुंचेगी। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी सभी आशंकाओं की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा होगी। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस चुनाव को रद्द करके स्वयं राष्ट्रपति बन जायेंगे। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ऐसा हो सकता है।

मैं एक और उदाहरण भी देना चाहता हूँ। एक संवैधानिक संशोधन पर एक न्यायाधीश को उससे मतभेद हो सकता है। परन्तु कल को यदि वह राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उन्हें उसी विवादस्पद संशोधन पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसे संसद ने पारित किया है।

आज न्यायाधीश के पद पर होते हुए वह एक अपील अस्वीकार कर देते हैं परन्तु उत्तराधिकार के क्रम में होते हुए यदि वह राष्ट्रपति बन जाते हैं तो हो सकता है उन्हें राजनैतिक दबाव में आकर उसी अभियुक्त को क्षमा करना पड़ जाये। इस प्रकार इस विधेयक द्वारा सरकार न्यायपालिका की निष्पक्षता को आघात पहुंचा रही है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि पुरःस्थापन के अवसर पर विधेयक का विरोध न किया जाये और इस समय इसके गुणावगुणों पर चर्चा न की जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Many fundamental constitutional points have come up in the wake of this Bill on the 6th May, I had pointed out that this Government should take fresh oath of office, because the President who administerd oath to this Government had died. I was told that the President is a continuing authority. The President is never dead ; it is the person who died. No doubt in America they have a practice for hundreds of years, why should we adopt their stand ?

As this contingency has occured for the first in our country we should establish correct tradition and procedure. We have no President at present as such. The Vice President is only acting for him. The U.S. Attorney General at the time of death of the President John Kennedy had stated that the Vice President there should not take the oath of President because he is simply acting as President.

The President's office is an elective office, but the office of chief justice is an appointive office. In France in the event of vacancy in the office of President, the Chairman of National Assembly assumes the office of President. Similarly we should also make provision that the speaker of Parliament will succeed President in the event of vacancy. This will be most appropriate thing. The Deputy Chairman of Rajya Sabha and Deputy speaker can also be placed in line of succession.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं सबसे पहले इस विधेयक के लाये जाने के तरीके के प्रति विरोध व्यक्त करना चाहता हूँ। इस विषय पर श्री नाथ पाई ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था। सरकार को उस पर विचार करना चाहिये था और उसे स्वीकार कर लेना चाहिये था। इससे सरकार की मानहानि नहीं होती।

गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बहुत से विधेयकों को सरकार ने सरकारी विधेयकों के रूप में स्वीकार किया है।

श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत विधेयक सरकारी विधेयक से अच्छा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार का क्रम लोक सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उप-सभापति होने चाहिये। लेकिन विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति या देश की उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीश को राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी निर्दिष्ट किया गया है। इस बारे में विपक्षी दल से सलाह न लेने के लिये सरकार को सभी से क्षमा याचना करनी चाहिये, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सरकार की विपक्षी सदस्यों को इस बारे में चर्चा करनी चाहिये थी।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): इस अवसर पर संवैधानिक आपत्ति उठाई जानी चाहिये थी लेकिन किसी भी सदस्य ने ऐसा नहीं किया।

श्री नाथ पाई ने केवल 'राष्ट्रपति' शब्द का उल्लेख किया है। उनके विचार से यह शब्द 'राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति होना चाहिये"। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो तो उसे राष्ट्रपति कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह विधेयक का अंग नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 65 के अन्तर्गत तीन स्थितियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप-राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्य करने वाला व्यक्ति यह विधेयक का अंग नहीं है लेकिन यह केवल एक सिफारिश है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सभा का ध्यान अनुच्छेद 117 (3) की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उल्लेख किया गया है :

> "जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद् के किसी कदम द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन् से राष्ट्रपति ने सिफारिश न की हो"।

सिफारिश में शब्द "राष्ट्रपति" उल्लेख किया गया है। यह अनिवार्य व्यवस्था है।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य का सारा मामला इस बात पर आधारित है कि आज देश में राष्ट्रपति नहीं है। यह सच है कि निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं है लेकिन राष्ट्रपति पद बदस्तूर काम कर रहा है। अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि :—

"संघ के लिये संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य परिषद् और लोक सभा होंगे"।

एक बार यदि आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि देश में राष्ट्रपति नहीं है तो संसद् भी समाप्त हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी देश राष्ट्रपति के बिना काम नहीं कर सकता। यह ठीक है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हैं। ठीक स्थिति यह है "कि उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है" अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि विधेयक को कल तक के लिये रोक लिया जाये। तदन्तर उसे ठीक रूप में लाया जाये।

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक

WEST BENGAL LEGISLATION COUNCIL (ABOLITION) BILL

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मुझे पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन के लिये तथा उनके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों के लिये उपबन्धन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान परिषद के उत्सादन के लिए तथा उनके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों के लिए उपबन्धन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक को नियमानुसार पुनः स्थापित नहीं किया गया है। नियम 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक सदस्यों को विधेयक की प्रति कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त नहीं हो जाती तो यदि कोई सदस्य आपत्ति करें तो विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नियमों का पालन किया जाना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल में दूसरे सदन को समाप्त करने की क्या जल्दी है। यदि इसको अब समाप्त नहीं किया जाता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसको समाप्त करने का विधेयक संसद् द्वारा वर्षाकालीन सत्र में पास किया गया।

यह बहुत विवादास्पद विधेयक है। किसी भी विधान सभा की इच्छा के अनुसार संसद् कार्य नहीं कर सकती।

इस विधेयक पर विचार करने के लिये और अधिक समय दिया जान चाहिये क्योंकि इससे ही अन्य राज्यों के लिये परम्परा स्थापित होगी। यदि किसी राज्य में दूसरे सदन की आवश्यकता है तो वह पश्चिमी बंगाल राज्य है क्योंकि वहां पर एक दल के लोगों को 43 प्रतिशत बहुमत

प्राप्त है और विधान सभा में उनका पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है । विधेयक को वर्षाकालीन सत्र में पुन: स्थापित किया जाना चाहिये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत आता है । जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि विधान सभा समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से यह पारित करेगी कि विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाये । इस संबंध में पश्चिम बंगाल विधान सभा ने हमें एक संकल्प भेजा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाये । हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है । हम सदस्यों को दी जाने वाली जानकारी पर निर्भर नहीं रह सकते । मंत्रालय को हमें टिप्पणी या ज्ञापन के रूप में जानकारी देनी चाहिये थी ।

निदेश 9 (क) में उल्लेख किया गया है कि विधेयक को पुर: स्थापित करने के लिये कम से कम सात दिन पहले सूचना दी जानी चाहिये । और उसका परिचालान कम से कम दो दिन पूर्व किया जाना चाहिये । विधेयक की सूचना 10 तारीख को दी गई थी । अत: इसे 17 तारीख को पुर: स्थापित किया जा सकता था ।

निदेश 19 (क) में उल्लेख किया गया है कि :—

"विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने के इच्छुक मंत्री अपने इस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा" ।

इससे आगे कहा गया है कि :—

"इस निदेश के अधीन विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने का अनुमति न दें" ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस संबंध में अध्यक्ष महोदय के निदेश हैं और हमें उनका पालन करना चाहिये । पूर्व वक्ताओं ने जिन शर्तों का उल्लेख किया है उनकी पूर्ति हमने पूर्व के विधेयकों में नहीं हुई थी । राज्य सरकार ने 19 (ख) के अन्तर्गत यह इच्छा व्यक्त की है कि विधेयक को संसद् के चालू सत्र में पारित किया जाना चाहिये । इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति में भी चर्चा की गई थी । श्री मसानी ने अपने उल्लेख किया था कि संयुक्त मोर्चे को फर्जी बहुमत प्राप्त है क्योंकि उसने केवल 43 प्रतिशत मत प्राप्त किये थे । यदि ऐसा है तो यहाँ भी कांग्रेस को फर्जी बहुमत प्राप्त है । मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I support this Bill and want some details in this regard. If assurance is given by the Government to pass this Bill by 16th, we will give full Cooperation to the Government.

श्री गोविन्द मेनन : हमारा ऐसा विचार है ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Jan Sangh is in fovour of abolition of Upper House. But there is no need to be make hurry in this matter. It does not matter if this

Bill may be introduced in the next session. Similar resolution has been passed in Punjab Assembly. It should be introduced in the next session so that discussion in respect of Punjab may also be taken.

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् में यह प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास किया गया था। अतः सरकार के लिये इस बारे में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल दूसरे सदन को समाप्त करने में जो बहुत खर्चीला था, अग्रिम है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जैसे ही यह संकल्प पश्चिम बंगाल विधान सभा में पूर्ण बहुमत से पारित हुआ विरोधी दल के सदस्यों ने मुझसे विधेयक को इस सत्र में पुरःस्थापित करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल के सम्बद्ध मन्त्री ने अनुरोध किया था कि इस विधेयक को शीघ्र पारित किया जाये अन्यथा वहां की स्थिति खराब हो जाने का भय है।

इस मामले में चूंकि राज्य सरकार ने पूर्ण बहुमत से यह सुझाव दिया था केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य हो जाता था कि वह पश्चिम बंगाल के सदस्यों की मांग को स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : जैसे ही राज्य विधान सभा में यह संकल्प पूर्ण बहुमत से पारित हुआ। यहां सदन में यह प्रश्न उठाया गया।

श्री गोविन्द मेनन : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न उठाया था और मैंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कानून बनाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में यह मांग निरन्तर की गई थी कि यह कानून इस सत्र में अवश्य बनाया जाना चाहिये। चूंकि पश्चिम बंगाल विधान सभा तथा विधान परिषद ने परिषद् को समाप्त करने का संकल्प पारित कर दिया है। अतः इस सम्बन्ध में बाधा डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है

"कि पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान परिषद् के उत्पादन के लिए तथा उनके अनुपूरक आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों के लिए उपबंधत करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion Was adopted

श्री गोविन्द मेंनन : मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूँ।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक—जारी

COMPANIES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Sperker *in the Chair*]

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : कल मैं कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने और मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने के बारे में बोल रहा था...

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मंत्री महोदय वादविवाद का कब उत्तर देंगे आज या गुरुवार को ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें लगभग 5.30 बजे बुला लिया जायेगा। तब तक सामान्य चर्चा पूरी की जाये।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यदि आप मुझे 5-30 बजे से पूर्व भी बुलायेंगे तो भी मुझे आपत्ति नहीं होगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) अतः खंडवार चर्चा मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद गुरुवार को की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री सेझियान : कम्पनियां राजनीतिक दलों को बड़ी धनराशि दे रही हैं। श्री एस० के० पाटिल के अनुसार कांग्रेस दल ने 1957 के चुनावों में 5 करोड़ रुपये खर्च किया उस समय यह कहा गया था कि द्राविड़ मुनेत्र कषगम् दल नहीं बना था अतः इसे दान देने का प्रश्न ही नहीं था। उस समय द्राविड़ मुनेत्र कषगम् दल की स्थापना 1949 में हुई थी और उसने गत चुनावों में अपनी धनराशि में से 10 लाख रुपये खर्च किये थे। किसी भी कम्पनी ने उसे रुपया नहीं दिया था। सब कम्पनियों को यही प्रक्रिया अपनानी चाहिये। उन्हें दान देकर देश में लोकतन्त्र को कमजोर और भ्रष्टाचार नहीं फैलाना चाहिये।

देश में मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। यह प्रणाली अब उपयोगी नहीं रही है अतः इसको अब समाप्त किया जाना चाहिये। मैनेजिंग एजेंसी जाँच समिति ने तीन वर्ष पूर्व इस विषय में पूरी जांच की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लेकिन सरकार ने इस विषय को केवल अब चर्चा के लिये उठाया है।

मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को जारी रखने के लिये तीन कारण दिये गये हैं। प्रथम यह कि मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली से कम्पनियों की स्थापना में सहायता मिलती है। दूसरे यह कि इससे यह छोटी और अन्य कम्पनियों को प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीक की जानकारी होती है। तीसरे यह भी कहा जाता है कि मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली से वित्त की वृद्धि को बढ़ाव मिलता है पिछले दस वर्षों के आंकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि नई कम्पनियों के निर्माण में प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली से कोई सहायता नहीं मिली है।

जहाँ तक प्रबन्धक योग्यता वाले लोगों का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि इसमें भी कोई योगदान नहीं दिया गया है। 91 प्रतिशत प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पास केवल एक या दो कम्पनियां हैं और इस प्रकार उनका उद्देश्य इस प्रणाली की आड़ में अधिक कमीशन अर्जित करने का है। जहां तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने का सम्बन्ध है। प्रबंध अभिकरण जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यह बात भी गलत सिद्ध हो चुकी है।

एक तर्क यह दिया गया है कि यदि यह प्रबंध अभिकरण प्रणाली कर रही है, तो इसे अपनी मौत क्यों न मरने दिया जाये ? कोई भी चीज जो कर रही है उसे और अधिक समय तक

जीने नहीं देना चाहिये। तकनीकी विकास के इस युग में यदि आप इस पद्धति को जारी रहने देंगे, तो देश की आर्थिक तथा औद्योगिक शक्ति कुछ एकाधिपतियों के हाथों में ही केन्द्रित हो जायेगी और इस प्रकार एकाधिपत्य को बढ़ावा मिलेगा जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : प्रबंध अभिकरण प्रणाली अर्थशास्त्र के नियमों को तोड़ मरोड़ कर अन्य संख्यक लोगों को लाभ पहचाने की एक पद्धति है। यह पद्धति अंशधारियों को देश के पूंजी विकास में उनके समुचित भाग से वंचित रखती है। हमारा देश एक लोकतन्त्रात्मक देश है और लोकतन्त्र में जब तक एक साधारण व्यक्ति को एक विधायक बनने के साधन प्राप्त नहीं होते, उसे सही मानों में लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता किन्तु यह प्रणाली एकाधिपत्य को प्रोत्साहन देती है अतः लोकतन्त्र में इसको समाप्त करना सर्वथा उचित है। हम उद्योगपतियों के हाथों में अपने देश का शासन नहीं देना चाहते। जब आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मन्त्री चन्दा स्वीकार करते हैं तो आप उनकी कठपुतली बन जाते हैं। ये कम्पनियां कभी अंशधारियों की सलाह लिये बिना ही राजनीतिक दलों को चन्दा देती है।

धन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है, जो लोकतन्त्र पर बुरा असर डालती है और देश के सामाजिक ढांचे को भ्रष्ट करती है। यदि यह विधेयक पारित किया जाता है तो इससे लोकतन्त्र के ढांचे को पवित्र बनाने में काफी सहायता मिलेगी। शक्ति तो जन साधारण से, किसानों से और मजदूरों से आती है। संसार में कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं है। केवल यही व्यवस्था पूर्ण है जो देश के लोगों को स्वीकार है और जो देश के लोगों के हित में है।

मैं गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा अध्ययन देने के पूंजीपतियों के विरुद्ध नहीं हूं। किंतु मेरा कहना तो केवल यह है कि वे इस बात का फैसला नहीं कर सकते, कि देश पर शासन कौन करेगा। यह संसद् सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न है और सदैव रही है। धन की शक्ति जनता या संसद् को प्रभावित नहीं कर सकतीं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : हमें खुशी है कि माननीय मन्त्री से इस विधेयक को पुनःस्थापित किया। किंतु इसके उद्देश्य और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य से पत चलता है कि बहुत हिचकिचाहट के बाद इस विधेयक को लाया गया है। बिड़ला और अन्य पूंजीपतियों से लाखों रुपया इकट्ठा करने के बाद इस विधेयक को लाया गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि साम्यवादी भी धन प्राप्त करते हैं। साम्यवादी दल ही एक ऐसा दल है जो एकाधिपतियों से धन प्राप्त नहीं करता। स्वतन्त्र दल को छोड़ कर इस ओर शेष सभी इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

जिस तरीके से पूंजीपति अपना कारोबार करते हैं उससे मुझे संदेह है कि क्या इस विधेयक को पारित करने मात्र से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। भ्रष्टाचार जारी रखने के लिये सभी प्रकार के अवांछनीय तरीके अपनाये जाते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि चुनावों के समय कांग्रेस सारा धन कहां से प्राप्त करती है क्योंकि कांग्रेसी लोगों से चन्दा इकट्ठा नहीं करते हैं।

आजकल चुनावों का खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है और एक साधारण व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना असम्भव हो गया है। यदि हम इस देश में लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम चुनावों को इतना कम खर्च वाला बनायें कि एक साधारण नागरिक भी सरलता से चुनाव लड़ सके।

मुझे खुशी है इस विधेयक द्वारा 3 अप्रैल, 1970 तक प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया जायेगा। यह विधेयक प्रगति की दिशा में एक कार्यवाही है और हम इसका स्वागत करते हैं और इसका श्रेय माननीय मंत्री और उनके योग्य सहयोगी को है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इतने थोड़े समय में मुझे बोलने का अवसर दिया है।

[श्री गादिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए]

[Shri Gadlingana Gowd *in the Chair*]

मैं श्री नम्बियार से सहमत हूँ कि इस देश में चुनाव लड़ना बहुत भारी खर्च का काम है। अतः जनता में इसके विरुद्ध प्रचार करने और उचित वातावरण बनाने की आवश्यकता है। किन्तु बात यह है कि यदि एक प्रत्याशी चुनाव पर अधिक धन खर्च करता है तो उसके प्रतिद्वन्दी को भी अधिक खर्च करना पड़ता है। मेरे माननीय मित्र विभिन्न अप्रत्यक्ष साधनों से धन प्राप्त करते हैं और वे स्रोत अदृश्य हैं। मैं उनका नाम न लेना ही अधिक अच्छा समझती हूँ।

टाटा द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा दिये जाने सम्बन्धी मामले में अपील की इजाजत दी गई और न्यायाधिति श्री तंडूलकर ने अपना फैसला सुनाते समय कहा था :—

> "टाटा एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड की इस अपील को स्वीकार करते हुए हमें काफी मानसिक अशान्ति सी महसूस होती है कि उनके मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन में संशोधन करके उन्हें राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमती दीं जाए। हमारा लोकतन्त्र अभी आरम्भिक अवस्था में है और इसकी देखभाल करना आवश्यक है।"
>
> किन्तु इसके लिए किससे लड़ा जाए ? मेरा दल इसके लिए सबसे अधिक दोषी है।

श्री नम्बियार इस तरह की बातें नहीं कर सकते कि उनके पास धन नहीं है। वह एक मजदूर संघ के नेता हैं और उनके चुनाव का खर्च उनका मजदूर संघ देता है। हम मजदूर संघों के नेता नहीं हैं और इसलिये हम घाटे में रहते हैं। मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। किन्तु भारत के लोगों में मेरा विश्वास है और आज भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव क्षेत्रों में जा कर काम करते है और उन्हें चुनावों में अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार और राजनीतिक दलों को मिलकर परस्पर बैठकर ऐसे तरीके निकालने चाहिए जिनसे चुनावों का खर्च काफी घटाया जा सके।

जब सरकार बिरला के मामलों की जांच कर रही थी तो उसे उनसे धन इकट्ठा नहीं करना चाहिये था। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के राजनीतिक चन्दा या दान समाप्त करने चाहिये। अतः हमें इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे चुनाव कम खर्च से लड़ा जा सकेगा। चुनावों का व्यय निरन्तर

बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में तो चुनावों का व्यय अत्यधिक है अतः यदि इस प्रक्रिया को इसी प्रकार बढ़ावा दिया गया तो यह अन्त में जाकर हानिकारक बन जायेगी। अतः इसे यहीं पर दबा देना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत कर बड़े साहस का कार्य किया है, मैं सरकार के पिछले सारे दोषों को क्षमा करती हूँ तथा इस विधेयक की प्रशंसा करती हूं।

प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली इस समय सारे विश्व से समाप्त हो गई है, इसका कोई प्रचलन नहीं है। अब सारे संसार में कुशल कार्यकारी पद्धति चल रही है। इस देश में भी अब स्वामित्व की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि अमरीका जैसे पूंजीपति देश में भी—यद्यपि कुछ सदस्य इसके विरोधी हैं—वे किसी एक व्यक्ति को आधे प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति का स्वामित्व नहीं देते। परन्तु यहां बड़ी-बड़ी कम्पनियां डेढ़ प्रतिशत से अधिक की राष्ट्रीय सम्पत्ति की स्वामी बनी हुई हैं। सरकार को चाहिए कि वह उनसे कहे कि इससे अधिक और न लें: वस्तुतः आपकी लाइसेंस देने की पद्धति ही ऐसी हैं जिसने यह हानिकारक स्थिति उत्पन्न करदी है। अतः इस पद्धति में सुधार लाने की आवश्यकता है और उन्हें किसी एक सीमा का अतिक्रमण नहीं करने देना चाहिए। ऐसा विधान बनाएं जिससे बिरला, टाटा जैसे पूंजीपति न पनपने पायें। विवियन बोस जांच आयोग ने 10 वर्ष तक कुछ नही किया क्योंकि वह विधि का अतिक्रमण नहीं कर सकता तथा वैधानिक दृष्टि से यह आयोग कम्पनियों को समाप्त नहीं कर सकता। वह केवल उनके औचित्य के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। यदि इन पूंजीपतियों ने ऐसा कोई अनौचित्यपूर्ण कार्य किया हो। इससे बिरलाओं आदि के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह केवल करारोपण के प्रस्ताव पर विचार करता कि उन अनौचित्यों, जिनके लिए आयोग ने यह सिफारिश की हो कि वैधानिक रूप में इन पर कार्यवाही की जाए। वे विधान पर काबू नहीं पा सकते इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि आप इन प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहते हैं तो देश में उचित प्रकार की कार्यकारी प्रणाली का विकास कीजिये क्योंकि प्रबन्धक एजेंसी पद्धति में स्वामित्व की भावना ही रहती है। इसलिए देश में कार्यकारी पद्धति को बढ़ावा देना आवश्यक है। गैरसरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से मुझे बैर नहीं है। मैं प्रबन्धक ऐजेंसी पद्धति को समाप्त करने के प्रस्ताव के हक में हूं। नवयुवक व्यापारी भी इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि इनमें एक प्रकार की उत्तेजना का विकास हो रहा है। क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि स्वामित्व की इस प्रणाली में परिवर्तन आयेगा और यदि हम उनकी सहायता करेंगे तो वे हमारी भी सहायता करेंगे। इससे देश में जन सम्पति बहुत अच्छी हो जायेगी। अतः इस विधेयक का स्वागत किया जाता है।

श्री जि० मो० विस्वास (बाँकुरा) : निगमित क्षेत्र के द्वारा राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों को चन्दा देने पर निषेध लगाने के लिए सरकार को बहुत विलम्ब और हिचकिचाहट के पश्चात् इस सदन में अन्ततः कम्पनी (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा है। यह विलम्ब एवं हिचकिचाहट केवल इसलिए थी क्योंकि कम्पनी विधान के अन्तर्गत बड़े-बड़े व्यापारियों के द्वारा राजनीतिक दलों को धन देने की जो व्यवस्था है। उससे कांग्रेस पार्टी एवं सरकार को विशेष लाभ होता था तथा यह धन उन्हीं के कोष में जाता था। सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1962-63

और 1967-68 के बीच कांग्रेस पार्टी को इन बड़े-बड़े व्यापारियों से 2,05,22,790 रुपये चन्दे के रूप में मिले। पिछले आम चुनाव के दौरान कांग्रेस दल को सबसे अधिक चन्दा मिला था। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के चुनाव पर बिड़ला ने कितना धन व्यय किया यह स्वयं ही बताने की कृपा करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुझे माननीय सदस्य के वक्तव्य पर आपत्ति है तथा मेरी चुनौती है कि वे स्वयं इसकी जांच करें। मेरे चुनाव में किसी ने भी कुछ खर्च नहीं किया।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यह व्यक्तिगत आरोप है और माननीय सदस्य को इसका प्रमाण दें, नहीं तो उन्हें अपना भाषण जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। उनके भाषण का यह भाग सभा की कार्यवाही में से निकाला जाये। यदि इनके पास ऐसा कोई प्रमाण है तो वे उसे सभा पटल पर रखें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह बहुत गम्भीर बात है और इस आरोप की पुष्टि की जाये नहीं तो मैं इसका विरोध करूंगी। माननीय सदस्य को सप्रमाण यह बताना होगा कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के चुनाव पर बिड़ला ने कितना धन व्यय किया। या तो वे इसका प्रमाण दे अन्यथा अपने शब्दों को वापस लें।

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य फिर किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में आरोप लगायेगा तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री जि० मो० विश्वास : मैंने तो केवल इतना ही कहा कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के चुनाव पर बिड़ला ने कितना धन व्यय किया, मुझे उसका पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 1969 में 8 लाख रुपये चन्दे के रूप में मिले। परन्तु परोक्ष रूप में कितना धन मिला यह ज्ञात नहीं है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक वस्तुतः इसलिए है कि कांग्रेस की मध्यावधि चुनावों में हार हुई ? इस विधेयक को केवल इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि कांग्रेस को अब यह अच्छी प्रकार जानकारी हो गई है कि इन बड़े-बड़े व्यापारियों से वे ही चन्दा प्राप्त करने वाले नहीं हैं अब यह चन्दा अन्य दलों को भी मिलने लगा है जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी और इसलिए अब यह कांग्रेस के लिए एक समस्या बन गई है।

1962-63 और 1967-68 के बीच स्वतन्त्र पार्टी को 46,62,563 रुपये दान के रूप में मिले जिसमें से 25 लाख रुपये 1967-68 में मिले थे। जनसंघ को इस बीच में 1,20,399 रुपये मिले। यह आंकड़े तो वे हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं अन्दरूनी तौर से कितना धन मिला उसका कोई पता नहीं है और वह इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

अब प्रश्न उठता है कि ये व्यापारी राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों को चन्दा क्यों देते हैं और किस प्रयोजन से देते हैं। इसका आशय बिल्कुल साफ़ है। सत्ताधारी दल को चन्दा देने का प्रयोजन है कि देश की अर्थ व्यवस्था में उनका बहुत अधिक प्रभाव रहे। कांग्रेस दल एवं केन्द्रीय सरकार के प्रति बहुत निष्ठावान है। कांग्रेस के शासन में इनका प्रभाव, शक्ति, स्थिति एवं इन

एकाधिकारवाद बहुत तेजी से बढ़ा है । जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है । उन्होंने केवल धन ही नहीं जमा किया है अपितु इस सदन में उनका अपना एक शक्तिशाली दल भी बना हुआ है । इस सरकार में उनके अपने व्यक्ति हैं अन्यथा बिड़ला के विरुद्ध मामलों की जांच करने के लिए सर्व-शक्तिशाली समिति की स्थापना का इतना भारी विरोध नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बिड़ला के विरुद्ध जो आरोप है वे कर की चोरी, शेयरों की चोर बाजारी, कम्पनी विधान का उल्लंघन, नौकरशाही का संरक्षण, और भ्रष्टाचार के आरोप में है । सरकार ने कुछ आरोपों को स्वीकार भी किया है । राज्यसभा में भी कांग्रेसी सदस्य ने ही बिड़ला के विरुद्ध आरोप लगाये थे । फिर भी जांच आयोग बैठाने में सरकार इतनी उदासीन क्यों है । क्योंकि एक वित्त मंत्री जी के बिड़ला की एक कम्पनी एलको-केमीकलज़ के शेयर हैं और उन पर उन्हें बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है । एक उपमंत्री ने बिड़ला की हैदराबाद ऐस्वेस्टोस की एक कम्पनी की ऐजेंसी ले रखी थी । ये सब बातें विपक्षी दल के किसी सदस्य ने नहीं उठायी, कांग्रेस दल के सदस्यों ने इन्हें उठाया है केवल संसद में ही नहीं अपितु अखिल भारतीय कांग्रेस दल के फ़रीदाबाद के अधिवेशन में भी उठाया गया है । बिड़लाओं को संतुष्ट करने के लिए मध्यमवर्गीय लोगों की कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही घृणित रूप में निन्दा की ।

राजस्थान में स्थित मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया जिसका श्री ए० सी० दत्त एक तकनीकी व्यक्ति ने विकास किया था और जिस पर उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था । परन्तु जब उस से लाभ होने लगा तो बिड़ला उसे खरीदना चाहता था । अतः इसे पूर्ण रूप से हड़पने के लिए उसने सरकार को इंगित किया गया और सरकार ने बिड़ला के इशारे पर इस मैटश कारपोरेशन को भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकार में कर लिया । अतः यह कार्य केवल इसलिए किया है क्योंकि इस निगम के प्रबन्धक निकाय ने बिड़ला को इस कम्पनी का वास्तविक स्वामी बनाने का विरोध किया था । बिड़ला के व्यक्ति श्री रघुनाथ सिंह को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का सभापति बनाया गया है क्योंकि सरकार ने इस कम्पनी को अपने अधिकार में कर लिया था और सरकार बिड़ला को संतुष्ट नहीं कर सकी थी ।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ परन्तु केवल कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों को धन देने पर निषेध लगाने से ही कार्य नहीं चलेगा । परन्तु दुर्भाग्य से रुपये की शक्ति और प्रभाव इतना अधिक शक्तिशाली है कि कांग्रेस पार्टी एवं सरकार को उसका सामना करने के लिए ठोस कदम उठाने का साहस ही नहीं है । इसके विपरीत सरकार देश में वही एकाधिकार वादी आर्थिक नीतियों को अपनाये जा रही हैं । जो गैर-सरकारी क्षेत्र एवं बड़े व्यापारियों का पक्ष लेती है । यह कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विकास अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए ही किया जा रहा रहा है । परन्तु चौथी योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी श्रेत्रों के लिए बहुत अधिक धन की व्यवस्था की है । चौथी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र किसी भी परियोजना की व्यवस्था नहीं है ।

विदेशी पूंजी बहुत बढ़ रही है । गैर सरकारी क्षेत्रों पर से नियंत्रण एवं प्रतिबन्ध धीरे-धीरे हटाये जा रहे हैं । लाइसेंसों से अधिक उद्योगों को मुक्त किया जा रहा है । आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं । देश में बेकारी बढ़ रही है । अनेक प्रकार के दमनकारी विधानों से श्रमिकों के

अधिकारों का दमन किया जा रहा है । यह सब पहले सरकार द्वारा गलत नीतियों के अपनाने का फल है ।

आश्चर्य की बात है कि एकाधिकार जांच समिति के प्रतिवेदन पर एकाधिकार को दबाने के लिए कोई प्रभाव पूर्ण कार्य नहीं किया है । कम्पनी विधान प्रशासन ने बताया है कि तीन वर्षों में 1963-64 से 1966-67 तक टाटा की सम्पत्ति 417.7 करोड़ से बढ़कर 531 करोड़ रुपये हो गई है । अर्थात 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बिड़ला की 74 प्रतिशत वृद्धि हुई है । अर्थात 290 करोड़ रुपये से बढ़कर 510 करोड़ रुपये हो गई है । इसी प्रकार मफतलाल समूह की भी बढ़ी है 46 करोड़ रुपये से 127 करोड़ रुपये हो गई है ।

Shri Tulsidas Judhav (Baramati) : Sir, There is no difference of opinion in supporting the Company (Amendment) Bill. While speaking on this bill many of my friends have made allegations on various parties and theses alligations may be correct to some extent. Inspite of ban to receive donations from businessman all the parties received Company donations. It is also a fact that party in power gets more donations from the Companies and big business. It is not Congress, Jan Sangh or Swatantra parties who have got these donations, even the Communist party got Rs. 8753 donation though a small amount it may be but they have received donations. The question is of principle whether they have accepted Company donation. S.S.P. party accepted donation upto Rs. 24550/- from 1963 to 1968. All the other parties also tooks it. Even the Muslim League party accepted Rs. 1,69,369. I am not in favour of taking donations from any party. Political party or Government will have to oblige the business Concern and they will hesitate to take action against them, if any.

Secondly, Company also feels that they can do every thing they take as they have influence or the Minister and the officers. Every now and then questions are raised in Parliament that money should not be accepted from the business concerns and if any accepts and gives donations he will have to undergo imprisonment for three years. Too much expenses on the elections is harmful for democracy.

Much more money should not be spent on elections because only the rich people come forward to help finance the candidates for winning them elections for their own interests. These rich people make the legislators to enact laws for their benefits. Therefore the political partices and individuals should not accept money from the rich people otherwise they will have to oblige these rich people and they will have to work under their influence. I did not spend more than rupees two thousand only and it is because of the fact that I keep relations with the public. I had among them. I try to eleminate their difficulties. We should view the favour of the people and we should represent them here in Parliament and State Assemblies with full Zeal and self confidence. This is possible only when we have not taken money from the rich people.

People of to-day will not tolerate that wealth should concentrate in a few hands. We should try to spend less money in order to keep democracy safe. We should not criticise Congress unnecessarily time and again and destroy our energy.

Since Congress itself has moved the Company (Amendment) Bill the opposition should support this bill. The Managing Agency system should be abolished and the entire opposition will welcome this step taken by Government. It is true that Candidates while contesting elections spend unlimited amount. From where this money comes and who spends and for what purpose. It is not the candidates of only Congress party who accept this money from rich people, but all other political parties take this money and are guilty of this sin.

If the elections are contested by spending money after taking donation and voters are given money for casting their vote, the country will go to ruins and the day is not far when

there will be a bloody revolution to the country. The tendency of business in elections should cease in the country. I, therefore, welcome this Bill.

Shri Madhu Limaye : I am happy to-day to see that Government has fulfilled his assurance given to me about one and a half year back. At that time I submitted a Bill to ban donations to companies. The House supported it. But the hon. Minister for Company Law expressed his technical difficulties. Now the proposals for abolishing the system of Treasurer and Secretaries along with the Managing Agency system in this bill has been included which I welcome.

Regarding the question of taking large sum of money from foreign countries. I have already submitted a Bill in this respect and I request the hon. Minister to move that Bill also in the House I hope that will help bring democracy stronger.

We got this Managing Agency system from the English. It is actually an aristocratic tradition and is based on nepotism and casterism and so long as this remains, exploitation of the people will go on. Similarly we have to see that we have not been able to provide modern management system so far I want that the opportunity should be given to most capable and intelligent person irrespective of their Caste, cread, and religion so that he may rise on equal footings in each and every Industry, Company, firm. I would like the hon. Minister to take necessary measures in this regard.

When the big business men smelt the abolition of Managing Agency System they have started a new system, a system of sole selling Agency. The share holders have not been given any profit or dividend whereas these sole selling agents are getting large amount of commission. M/s Tulsidas Kita Chand have not to take any pain to sell artificial rubber and even then they are getting heavy Commission. I therefore, request the hon. Minister to abolish this system of sole selling agency also from every field of business, industry etc. so that share holders do not get any loss and moreover consumer is also benefited. This system should be abolished in the interest of the consumer. So far as the question of political donations is Concerned it is said that Birlas gave Rs. 41 lakhs out of which Rs. 38 lakhs were given to the Congress party. But this comes under 'A' account. What is the position of 'B' account ? Had I not interfered Government would have borne a loss of Rs. 1.60 crores as a result of this 'B' account in the matter of Jute Case ; and Jute Mills Owners had to agree to sell old Jute at Control prices. They advertised that they were running in the loss of Rs. 75 lakhs. They may run in loss or not but Government was able to save Rs. 75 lakhs when I interferred in the matter.

We have banned giving donations out of 'A' account money. But the concentration of wealth out of 'B' account should also be banned.

The influence of foreign money should be banned so that Indian polities may not come under the influence of this foreign money ; otherwise neither the democracy nor the socialism will flourish in the country.

Government is not utilising its powers deligated to it for realesing taxes, particularly wealth taxes. Complete property returns are not given even by the Ministers. In 1962 our present Prime Minister Shrimati Indira Gandhi donated all her gold ornaments. But now she has got gold and gold ornaments, worth of Rs. 20 thousands, and she has not included them in the property return. This has been confirmed in a reply given by Shri Morarji Desai.

Banking companies do not come under Law Ministry, these companies comes under Finance Ministry. The Banking Rigulation Act was passed with a view to have social control our banks and their Credit systems, and that loan facilities so that there may be extended to the small cultivators, small industrialists and small intrepreneares. But I have come to know that a scheduled bank gave an overdraft of Rs. 10 lakhs to the Congress President Shri Nijalingappa during or before the mid-term elections. I want to know from you, is he a small agriculturist. He is a big man. Has this overdraft of Rs. 10 lakhs not

given by a scheduled bank, because the banking regulation act was enacted by Shri Morarji Desai ? That bank is a Birla concern. As Shri Piloo Mody refered this U. Co. Bank.

I want that steps should be taken to see that donations, concentration of wealth, evasion of taxes, and misappropriation in timing import and industrial licenses should be stopped and the inflow and circulation of foreign money should also be banned, and, moreover something should be done in so far as the 'B' accounts are concerned. There are imbalances and disparities which we oppose, we also oppose the privy purses. Company (Amendment) Bill is a step in this direction. So I welcome the Bill and Congratulate the hon. Minister for bringing this Bill in the House.

श्री रा० धो० भण्डारे : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। वाद-विवाद के दौरान मैंने सुना है कि विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस को बुरी तरह से बदनाम किया है और यह विपक्षी दलों की एक प्रकार से आदत सी बन गई है कि समय मिलते ही वे कांग्रेस की निन्दा करें तथा कांग्रेस के सत्ताधारी उच्चस्तरीय नेताओं के चरित्रों पर कलंक लगाएं। साधारण सी बात है कि कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे पर सरकार रोक लगाना चाहती है ताकि जनता के जीवन में पवित्रता का संचार हो।

केवल कांग्रेस पार्टी ने ही कम्पनियों से चन्दा नहीं लिया वास्तव में प्रत्येक दल ने ऐसा चन्दा लिया है। उनके नाम, आंकड़े एवं सारा विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है। यह केवल विपक्षी दलों की निन्दा करने के लिए नहीं है। यह बात सिद्ध हो चुकी है और रिकार्ड कर ली गई है। परन्तु मैं उसे गलत नहीं बताता। विधान के अन्तर्गत इस प्रकार का चन्दा लेने की अनुज्ञा थी, परन्तु अब इस अनुज्ञा को विधान के बदलने से समाप्त करना चाहते हैं।

जहां तक हम जैसे निर्धनों का सम्बन्ध है हम चुनाव लड़ने के लिए लोगों से चन्दा लेकर चुनाव लड़ते हैं। मैं अपने यौवन काल से ही चुनाव लड़ता आ रहा हूं। अपने छात्र जीवन में जब मुझे 75 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी तो मैंने उसमें से 73 रुपये चुनाव पर व्यय कर दिये थे। 1962 में एक राजा के विरुद्ध चुनाव लड़ते हुए मैंने 2300 रुपये व्यय किये थे जबकि इसकी तुलना में राजा ने बहुत अधिक खर्चा किया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना वक्तव्य बृहस्पतिवार को आरम्भ करें।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 14 मई, 1969/24 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 14, 1969/ Vaisakha 24, 1891 (Saka)

प्रकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।